रजिस्ट्री सं० डी०—(डी एन)—128

REGISTERED NO. D—(DN)—128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5, 1988 (फाल्गुन 15 ; 1909)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5, 1988 (PHALGUNA 15, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications Including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 18 फरवरी 1988

सं० एस० बी० डी०/000534—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29(1) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के निदेशक बोर्ड से विचार विमर्श करने के पश्चात तथा भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति से श्री एम० सी० शर्मा को और एक वर्ष की अवधि, दिनांक 28 फरवरी 1988 से दिनांक 27 फरवरी 1989 (दोनों दिन सम्मिलित) तक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

25 फरवरी 1988

सूचना

नं. बीएम/26/29—भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारियों की 33वीं वार्षिक सामान्य सभा टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इन्सिटट्यूट (पश्चिम क्षेत्र) शिमला हिल्स, भोपाल 462002 में गुरूवार, दिनांक 21 अप्रैल 1988 को अपराह्न 4.00 बजे निम्नलिखित कार्य हेतु होगी :—

31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलनपत्र और लाभ हानि लेखा तथा तुलनपत्र और लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना।

डी० एन० घोष;
अध्यक्ष

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली 110002, दिनांक 19 फरवरी 1988

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 1-सी० ए० (7)/160/87—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट, 1949 (1949 का अड़तीसवां) की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन प्रदान अधिकारों का उपयोग करते हुए, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया की परिषद् ने, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रेगूलेशन्स, 1964 में निम्न-लिखित संशोधन किये हैं। कथित धारा की उपधारा (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार, इन संशोधनों को पहले भी प्रकाशित किया जा चुका है, तथा केन्द्रीय सरकार ने इन्हें अपनी स्वीकृति दे दी है।

कथित रेगूलेशन्स में, वर्तमान रेगूलेशन 63, को निम्नलिखित में बदल दें :—

"63. चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या:—

(1) प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन मंडल से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या निर्वाचन मंडल के सदस्यों की ऐसी संख्या, जिसका निर्धारण अधिनियम की धारा 9 के उपधारा (2) में व्यवस्थित परिषद के लिये चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या द्वारा निम्नलिखित उप विनियम (4) की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित विधि द्वारा कुल सदस्यों की संख्या को विभाजित करके किया गया हो, एक होगी।

(2) यदि प्रत्येक निर्वाचन मंडल के सदस्यों में से चुनी गयी संख्या, भिन्न संख्या पर विचार किए बिना पूर्ण संख्या के रूप में जोड़े जाने के बाद भी धारा 9 की उप धारा (2) में व्यवस्थित अधिकतम संख्या से कम है तो सर्वोच्च भिन्न सहित उस क्षेत्र की भिन्न संख्या को आंकलन एक के रूप में किया जायेगा। इसके बावजूद भी अधिकतम संख्या का कुल योग कम रहने पर अगली सर्वोच्च भिन्न संख्या सहित उस क्षेत्र की भिन्न संख्या का आंकलन एक के रूप में किया जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि धारा 9 की उप धारा (2) के अधीन चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या उसके बराबर नहीं आ जाती।

(3) यदि प्रत्येक निर्वाचन मंडल के सदस्यों में चुनी गयी संख्या, जोड़े जाने के उपरान्त भी अधिकतम संख्या के योग से कम रहती है और ठीक उसी भिन्न संख्या के साथ एक क्षेत्रीय निर्वाचन मंडल से अधिक क्षेत्रीय मंडल हैं तो उच्चतर सदस्य संख्या वाले निर्वाचन मंडल पर भिन्न संख्या को एक के रूप में परिवर्तित की जाने वाली प्रक्रिया लागू होगी।

(4) उप विनियम (1) में उल्लिखित कुल सदस्य संख्या को निर्धारण जिस वर्ष चुनाव होने वाले हैं उससे पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित सदस्य सूची की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

(5) उप विनियम (1) में उल्लिखित प्रारूप के बावजूद भी प्रत्येक निर्वाचन मंडल से परिषद् के लिये चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम होगी।"

दिनांक 23 फरवरी 1988

सं० 1-सी० ए०(7)/129/82—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रेगूलेशन्स, 1964 में किये जाने वाले निश्चित संशोधनों का निम्नांकित मसविदा, जो चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट, 1949 (1949 का 38वां) के भाग 30 के उपभाग (1) और (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित किया गया है और इसके द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मसविदे पर 20-4-1988 को अथवा इसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

मसविदे के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया की परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

उपर्युक्त रेगूलेशन में :—

वर्तमान रेगूलेशन 32-बी, को दिनांक एक अगस्त 1984 से निम्न प्रकार बदल दिया जाएगा।

"3-2बी आर्टिकल्ड क्लर्कों को वृत्तिका

(1) कोई भी सदस्य जो आर्टिकल्ड क्लर्क को नियुक्त करता है, वह ऐसे क्लर्क को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्येक माह न्यूनतम वृत्तिका देगा, जहां पर कि आर्टिकल्ड क्लर्क की सेवा का सामान्य स्थान स्थित है :—

आर्टिकल क्लर्क की सेवा के सामान्य स्थान की स्थिति	प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में	प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष में	प्रशिक्षण की शेष अवधि में
	रु०	रु०	रु०
(ए) 20 लाख और अधिक जनसंख्या वाले शहरों में	150	225	300
(बी) 20 लाख से अधिक जन संख्या वालों के अतिरिक्त शहरों/कस्बों में	100	150	225

बशर्ते इन रेगूलेशन्स के अधीन किसी भी आर्टिकल्ड के बाद, परिणाम घोषित होने के बाद के माह की पहली तिथि से, चाहे शहर/कस्बों के संदर्भ में दरों का कैसा भी वर्गीकरण क्यों न हो रु० 50/- प्रति माह अतिरिक्त वृत्तिका देनी होगी।

बशर्ते यह भी कि इस रेगूलेशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 1 जुलाई, 1973 से पूर्व रजिस्टर हुई तिथि से किसी भी आर्टिकल्ड अथवा आडिट क्लर्क को इस रेगूलेशन के अधीन वृत्तिका दी जाए।

स्पष्टीकरण 1—इस रेगूलेशन के अन्तर्गत जिस दर पर वृत्तिका देय है, उसे निश्चित करने के लिए क्लर्क की आर्टिकल्ड ट्रेनिंग की अवधि किसी पूर्व के नियोक्ता या नियोक्ताओं के अधीन, भी विचारणीय होगी (1 जुलाई 1973 के पूर्व की अवधि नहीं)।

स्पष्टीकरण 2—इस रेगूलेशन के उद्देश्य के लिए जनसंख्या के अंकों को वैसा ही किया जाए जैसा कि भारत की अंतिम जनगणना रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है।

2. इस रेगूलेशन के अन्तर्गत सदस्य द्वारा आर्टिकल्ड क्लर्क को वृत्तिका या तो:—

(ए) रेखांकित एकाउन्ट पेई चैक के रूप में प्रतिमाह दी जाए जिसके लिए आर्टिकल्ड क्लर्क से रसीद प्राप्त हो, या

(बी) आर्टिकल क्लर्क द्वारा खोले गए, एकाउन्ट में उसके नाम में राशि प्रतिमाह उस बैंक की शाखा में जमा कराई जाए, जिसे द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

नोट:—

उपर्युक्त अधिसूचना में, वृत्तिका की दरों को चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स रेगूलेशन्स 1964 के रेगूलेशन 32बी का, 1-8-1984 से केन्द्रीय सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद, एक भाग बना दिया गया था। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकाएं (जिनमें की 1984 की रिट याचिका संख्या 8781; 9039, 9040, 9431, 9432 और 12004 है) दाखिल की गई माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 20 अक्तूबर 1987 के आदेश में निर्देश दिया है कि, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट 1949 के धारा 30 की उपधारा (3) के व्यवस्थाओं के अनुसार इस अधिसूचना को सर्वसाधारण के सुझावों हेतु प्रकाशित किया जाय। इस प्रकार न्यायालय के आदेश के अनुसार इस अधिसूचना को सुझावों हेतु प्रकाशित किया जा रहा है।

इस सन्दर्भ में, इस बात का भी वर्णन किया जाता है कि परिषद् ने वृत्तिका की दरों को और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इन दरों को इसी प्रति में 23 फरवरी 1988 की अधिसूचना संख्या 1-सी० ए०(7)/162/88 में प्रकाशित किया गया है।

सं० 1-सी०ए०(7)/162/88—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन्स, 1964 में किये जाने वाले निम्नांकित संशोधनों का निम्नांकित मसविदा, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1949 (1949 का 38वां) के भाग 30 के उपभाग (1) और (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित किया गया है और इसके द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मसविदे पर 20-4-1988 को अथवा इसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

मसविदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

कथित रेगूलेशन्स में:—

वर्तमान रेगूलेशन 32वीं का उप रेगूलेशन (1) को; 1 जुलाई 1988 से निम्नलिखित में बदल दिया गया है:—

"(1) कोई भी सदस्य जो आर्टिकल्ड क्लर्क को नियुक्त करता है, वह ऐसे क्लर्क को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्येक माह न्यूनतम वृत्तिका देगा, जहां पर कि आर्टिकल्ड क्लर्क की सेवा का सामान्य स्थान स्थित है:—

आर्टिकल्ड क्लर्क की सेवा के सामान्य स्थान की स्थिति	प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान	प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के दौरान	प्रशिक्षण की शेष अवधि के दौरान
1	2	3	4
	रु०	रु०	रु०
(ए) 20 लाख और अधिक जनसंख्या वाले शहरों/ कस्बों में	225	350	450
(बी) 3 लाख और अधिक लेकिन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों/ कस्बों में	150	225	350
(सी) 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों/ कस्बों में	125	175	250

बशर्ते इन रेगूलेशन्स के अधीन, इण्टरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद, उस आर्टिकल्ड क्लर्क को परिणाम घोषित होने के बाद के माह की पहली तिथि से, चाहे शहर कस्बों के सन्दर्भ में दरों का कैसा भी वर्गीकरण क्यों न हो, 100 रुपये प्रति माह अतिरिक्त वृत्तिका देनी होगी।

बशर्ते यह भी कि इस रेगूलेशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 1 जुलाई 1973 से पूर्व रजिस्टर हुई तिथि से किसी भी आर्टिकल्ड अथवा आडिट क्लर्क को इस रेगूलेशन के अधीन वृत्तिका दी जाए।

स्पष्टीकरण 1—इस रेगूलेशन के अन्तर्गत जिस दर पर वृत्तिका देय है, उसे निश्चित करने के लिये क्लर्क की आर्टिकल्ड ट्रेनिंग की अवधि किसी पूर्व के नियोक्ता या नियोक्ताओं के अधीन, भी विचारणीय होगी (1 जुलाई, 1973 के पूर्व की अवधि नहीं)

स्पष्टीकरण 2—इस रेगूलेशन के उद्देश्य के लिये जनसंख्या के अंकों को वैसा ही लिया जाय जैसा कि भारत की अन्तिम जनगणना रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है।"

आर० एल० चोपड़ा,
सचिव

कलकत्ता–700071, दिनांक 12 फरवरी 1988

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3–ई० सी० ए०(8)/12/87–88—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10(1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	10807	श्री संकरप्रसन्ना मुखोपाध्या, एफ० सी० ए०, 13, जुबिली पार्क, कलकत्ता–700033।	1–4–87
2.	53021	श्री देबासिस नाथन, ए० सी० ए०, 98/27, गोपाल लाल टैगोर रोड़, कलकत्ता700036।	21–1–88
3.	53309	मिसिज सुजाता साहा, ए० सी० ए०, 248, एस० एन० राय रोड़, कलकत्ता 700038।	4–6–87

दिनांक 19 फरवरी 1988

सं० 3–ई० सी० ए० (5)/14/87–88—इस संस्थान की अधिसूचना नं. 3–ई० सी० ए०/4/10/86–87 और 3 ई० सी० ए० (4)/11/86–87 दिनांक 27–2–87 और 31–3–87, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	7875	श्री राम रतन दास, ए० सी० ए०, 10, पीमर्स मीड, कोक्सटिड रोड़, वैस्ट डलविच, लंदन एस० ई० 21 8एन० क्यू०।	22–12–87
2.	50194	श्री मन्तु लाल साहा, ए० सी० ए०, 1711–2560, किंगस्टन रोड़, स्कारबोरो, आन्टारियो, कनाडा एम० आई० एम० आई० एल० 8।	14–1–88

आर०एल० चोपड़ा
सचिव

मद्रास-600034, दिनांक 1 फरवरी 1988

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

3-एस० सी० ए० (4)/12/87-88—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	2559	श्री एस० वेंकटासुब्रामनमन 35 नैकर न्यू स्ट्रीट, मदुराई 625 001।	26–1–88
2.	2622	श्री टी० के० मल्लिनाथन "जयम" नं० 3, 6 क्रोस स्ट्रीट, इंदिरानगर मद्रास 600020।	22–10–86
3.	3157	श्री आर० अन्नाजी राव 51, यूनिटी हाउस एबिड्स हैदराबाद 500001।	2–12–87
4.	19856	श्री एस० रघुरामामूर्थी डी० नं० 6–2–77 2/3 अरुणडेलपेट गुन्टूर 522002।	15–12–87
5.	25624	श्री वी० कुमार 31, लक्ष्मणन स्ट्रीट, महालिंगापुरम, मद्रास 600034।	10–1–88

1	2	3	4
6.	82359	श्री अम्बादी नारायनन विजयाकुमार, 30/97, "अवस्थी", पुनकुन्नम, त्रिचूर 680002 केरल ।	2-9-86

3-एस० सी० ए० (4)/13/87-88—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है ।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	5949	श्री सी० के० फिलिपोज, चेम्पाकनारोर, पय्यापडी, कोट्टायाम 686034 केरल स्टेट ।	1-8-87
2.	8474	श्री एम० सुन्दरेसन, केयर आफ जैड० टी० आर० एस०, पी० ओ० बोक्स 32581, लुसाका—जाम्बिया ।	1-8-85
3.	19122	श्री ए० रामासुब्रामनियन, प्लोट नं० 102, अपस्टेयर्स, श्रीनगर कोलोनी, हैदराबाद 500873 ।	1-8-87
4.	19835	श्री टी० वी० सच्चिदानन्दन, 81-बी, कामाराज एवेन्यु, अड्यार, मद्रास 600020 ।	1-8-85
5.	21564	श्री एन० सूर्यानारायनन, "मे फ्लोवर", 73, वी० एम० स्ट्रीट, रोयापेट्टाह, मद्रास 600014 ।	1-8-87
6.	80910	श्री टी० जेम्स सैम्यूलराज, 61, पोन्नप्पा मुदाली स्ट्रीट, पुरसावाकम, मद्रास 600084 ।	1-8-87

3-एस० सी० ए० (4)/14/87-88—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण 1 फरवरी, 1988 से हटा दिया है ।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता
1	2	3
1.	22417	श्री ए० वसन्थाराजन, 51, अलारमेलमंगापुरम, माइलापोर, मद्रास 600004 ।
2.	22426	श्री सी० एस० कृष्णास्वामी, 41, 2 क्रोस स्ट्रीट, रमनाकृष्णनगर, मद्रास 600028 ।
3.	23738	श्री बी० मोहम्मद इकबाल, नं० 27, 2 फ्लोर, सिलवर जुबिली पार्क रोड़, बंगलोर 560002 ।

दिनांक 12 फरवरी 1988

3-एस० सी० ए० (8) 13/87-88—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रक्टिस प्रमाण पत्र

उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	2226	श्री एस० संकरा सुब्रामनी, ए० सी० ए०, 3, 1 क्रोस, करपगम गार्डन्स, अद्यार, मद्रास 600020।	31-7-87
2.	9627	श्री कंडाथिल चन्डी बाबू, एस सी ए चीफ एकाउन्टैन्ट, लेसोथो नेशनल इंश्योरेंस कं० लिमिटेड, पी० बैग ए-65, मसेरू, लेसोथो।	31-7-87
3.	21991	श्री एस०मनी, ए०सी०ए० 13 मालविया स्ट्रीट, रामनगर, कोयम्बाटोर 641009।	31-7-87
4.	22564	श्री टी० एम० जोज, ए० सी० ए० कनाक्कापिलिल हाऊस, चेरायिल, अम्बालापुझां पी० ओ० अलेपी डिस्ट०, केरल।	5-10-87
5.	23518	श्री आर० संतोष ए०सी०ए० इंटरनेशनल हाऊस, मनसागंगोथ्री मैसूर 570006।	31-7-87
6.	26716	श्री पी० एस० मारगाबन्धु ए० सी० ए०, 22-ए, थर्ड स्ट्रीट, पोस्टल कोलोनी, वैस्ट मम्बालम मद्रास 600033।	14-9-87
7.	26798	श्री बी० रविसंकर, ए० सी० ए०, 4/30 कन्नागी स्ट्रीट, विनायकापुरम, अम्बाट्टूर, मद्रास 600053।	11-1-88
8.	32810	श्री शिवापुत्रां लिंगनागौडा पाटिल, एफ० सी० ए०, डिप्टी मैनेजर (फाइनैन्स एण्ड एकाउन्टसस), सिल्क फिलेचर के० एस० आई० सी० लि० टी० नरसिपुरा, मैसूर डिस्ट० पिन 571124।	1-9-87

3-एस० सी० ए० (8)/14/87-88—रेगूलेशन 10(1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के रेगूलेशन 1964 के अधिनियम 10(2) (बी) के साथ पढ़ा जाए के अनुसार एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य करने का प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द समझे जाएंगे क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	5949	श्री सी० के० फिलिपोज, एफ० सीस ए० चेम्पाकनालोर पय्यापादी, कोट्टायाम 686034।	1-8-86
2.	13227	श्री के० सुरेश राव, एफ० सी० ए०, बहरेन नैशनल आयल कं०, रूम नं० 202, पी० ओ बोक्स 25504, अवाली-बहरैन।	1-8-86
3.	14224	श्री एन० रामन्ना, ए० सी० ए०, 81 फिफ्टी फीट रोड़, हनुमंथा नगर, बंगलौर 560019।	1-8-85

1	2	3	4
4.	14715	श्री बाबू निनान, एफ० सी० ए० मैसर्स जाम्बिया नैशनल बिल्डिंग सोसायटी, पी० ओ० बोक्स 30420, लुसाका, जाम्बिया ।	1-8-86
5.	19957	श्री जे० पी० ए० जेबाराजन, ए० सी० ए०, 19, 10 एवेन्यू, अशोक नगर, मद्रास 600083।	1-8-86
6.	20685	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, ए० सी० ए०, ए/11, 2 फ्लोर, आबिड शोपिंग सैन्टर, खिराग अली लेन हैदराबाद 500001।	1-8-81
7.	21292	श्री पी० वी० मुरली, ए० सी० ए०; 31, कार स्ट्रीट, त्रिप्लीकेन मद्रास 600005 ।	1-8-83
8.	21527	श्री जोसफ मेलूकरन, ए० सी० ए० 7605 फ्लीन्ट/ई; शावनी, कंसास 66214 यू०एस०ए०।	1-8-84
9.	23092	श्री बी० आर० रंगाराजन, ए० सी० ए०, 45 थर्ड मैन रोड़, आर० ए० पुरम, मद्रास 600028।	1-8-86
10.	32760	श्री पी० एल० अनन्थाराम, ए० सी० ए०, 139 श्रीनगर कोलोनी, हैदराबाद 500873।	1-8-84
11.	37045	श्री संतोष रंगानाथ बेलावाडी, ए० सी० ए०, 261, हिंदवाडी, नियर गुरुवेव मन्दिर, बैलगांव 590011।	1-8-86
12.	51144	श्री पी० सी० शाह, ए० सी० ए०, मैसर्स आन्ध्रा ओक्सीजन पी० लि०, इंडस्ट्रियल डवलपमैन्ट एरिया, विशाखापटनम 530012।	1-8-86
13.	80982	श्री वी० कृष्ना कुमार, चीफ एकाउन्टैन्ट, अब्दुल अजीज यूसुफ एसा एण्ड कम्पनी, पी० ओ० बोक्स 3562, सफत, कुवैत ।	1-8-86

दिनांक 19 फरवरी 1988

3-एस० सी० ए० (5)/15/87-88—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3-एस० सी० ए० (4)/10/86-87 दिनांक 27 फरवरी, 1987 और 4-एस० सी० ए० (1)/8/77-78 दिनांक 13 फरवरी, 1978, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	10952	श्री के० मोहना राव, ए० सी० ए०, डिपटी जनरल मैनेजर (एकाउन्ट्स) ; ए० पी० हैवी मशीनरी एण्ड इंजीनियरिंग लि०, कोन्डापल्ली 521228 ।	11-12-87
2.	14494	श्री आर० एन० प्रभु, ए० सी० ए०; मैसर्स जैस्को लि०; पी० ओ० बोक्स 71334, नडोला, जाम्बिया ।	18-1-88

1	2	3	4
3.	19523	श्री हेमेन्द्रा कुमार कंकारिया, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्, 1-2-593/7, गगनमहल कोलोनी, हैदराबाद 500029 ।	18-1-88

आर० एल० चोपड़ा
सचिव

कानपुर 208001, दिनांक 27 जनवरी 1988

नं० 3-सी० सी० ए०(5)/(3)/87-88—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3 सी० सी० ए० (4)/(6)/86-87 दिनांक 28-1-87 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है ।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	8576	श्री राम धरोसे लाल वैश्य, ए० सी० ए०, मैनेजर सेल्स, एल० आई० सी० आफ इंडिया, पंडारी, रायपुर 492004 ।	8-1-88

आर० एल० चोपड़ा,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1988

सं० आर०-12/19/5/75/बीमा-1—कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संकल्प दिनांक 14 दिसम्बर, 1980 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 75 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इसके द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 54 तथा 54-क के प्रयोजन के लिए दूसरे चिकित्सा बोर्ड का निम्न प्रकार गठन किया है :—

1. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, शिलमिल, दिल्ली । — अध्यक्ष
2. शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, शिलमिल, दिल्ली — सदस्य
3. विकलांग विज्ञान विशेषज्ञ, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, शिलमिल, दिल्ली । — सदस्य

आवश्यक होने पर अध्यक्ष जांच किए जाने वाले बीमाकृत व्यक्ति के पीड़ित होने से संबंधित अपंगता की प्रकृति के आधार पर विकलांग विज्ञान विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ के बदले में या उनके साथ-साथ दिल्ली में किसी कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल से किसी अन्य विशेषज्ञ को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

अधिकारिता : बोर्ड की अधिकारिता सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में तथा उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद व बुलन्दशहर जिलों और हरियाणा राज्य के फरीदाबाद व गुड़गांव जिलों पर होगी ।

नरोत्तम व्यास
बीमा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 1988

सं० एन० 15-13-7-4/87—यो० एवं वि० (2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-2-88 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे ।

अर्थात्

"जिला धारवार, तालुक और होबली हुबली के अधीन तारिहाल गांव (सर्वेक्षण सं० 64, 65, 68, 69, 87, 88, 89, 90/1 व 92) तथा के० आई० ए० डी०बी० औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"

हर भजन सिंह
निदेशक (योजना एवं विकास)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 1988

सं० 1/88-122—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग, जीवन दीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में उनके अवर सचिव, भारत सरकार के दिनांक 23 अप्रैल, 1987 के पत्र सं० एफ० 2(6) 87-आई०एफ०-1 द्वारा प्राप्त निदेशानुसार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43(1) की व्यवस्थाओं के अधीन बनाए गए निम्नलिखित विनियम, 27 अक्तूबर, 1986 तक संशोधनों सहित, एतद्द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं :—

1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारियों को उपदान संदाय) विनियम, 1968,
2. औद्योगिक वित्त निगम (बांडों का निर्गम और प्रबन्ध) विनियम, 1949,
3. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 1982,
4. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सामान्य विनियम, 1982,
5. औद्योगिक वित्त निगम अधिकारी (कर्मचारी) (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र की संस्थाओं में नियोजन का प्रतिग्रहण) विनियम, 1978।

एम० एल० कपूर,
उप महाप्रबन्धक (प्रशासन एवं कार्मिक)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

[औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) के अधीन निगमित]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
(कर्मचारियों को उपदान संदाय) विनियम, 1968

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का XV) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (जिसे आगे "निगम" कहा गया है) के निदेशक बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से परामर्श करने के बाद और भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, जो इस प्रकार हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (कर्मचारियों को उपदान संदाय) विनियम, 1968 कहा जाएगा।

(2) ये जनवरी, 1968 के पहले दिन से लागू माने जाएंगे।

निर्वचन की शक्ति

2. इन विनियमों के निर्वचन की शक्ति निगम के अध्यक्ष (इस अभिव्यक्ति में वह व्यक्ति भी शामिल होगा जो औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 13क के अधीन कुछ समय के लिए अध्यक्ष के कार्य निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया हो) में निहित होगी जो इन विनियमों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुदेश जारी करने का प्राधिकार देगा।

परिभाषाएं

3. इन विनियमों में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो—

(1) किसी कर्मचारी के संबंध में "औसत वेतन" का अर्थ है

(क) उस पर लागू मूल वेतन, जिसकी व्याख्या की गई है,

(ख) स्थानापन्न वेतन,

(ग) विशेष वेतन,

(घ) वैयक्तिक वेतन, और

(ङ) कोई अन्य परिलब्धियां जिन्हें निगम ने "वेतन" के रूप में वर्गीकृत किया गया हो,

(2) "सेवानिवृत्ति की तारीख" का अर्थ है—

(क) किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में जो उसकी सेवा की शर्तों के अधीन सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त किया जाता है, वह तारीख जिसको वह इस प्रकार से सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त किया जाता है, और

(ख) किसी अन्य कर्मचारी के मामले में वह तारीख जिससे वह निगम की सेवा में नहीं रहता;

और "सेवानिवृत्ति का मास" अभिव्यक्ति का अर्थ भी इसी के अनुसार माना जाएगा।

(3) "वेतन" का अर्थ है—

(क) किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले बारह महीने या इससे अधिक अवधि तक लगातार छुट्टी पर रहा हो, उस तारीख को उसका मूल वेतन या जिस महीने वह छुट्टी पर गया हो उस महीने से ठीक पहले बारह कलैंडर महीनों में ड्यूटी पर रहते हुए उसके द्वारा अर्जित औसत वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो :

(ख) किसी अन्य मामले में उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को उसका मूल वेतन या सेवानिवृत्ति के महीने के ठीक पहले बारह कलैंडर महीनों में ड्यूटी पर रहते हुए उसके द्वारा अर्जित औसत वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

(4) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में "मूल वेतन" का अर्थ उस वेतन से है जो कर्मचारी धारित मूल पद से सम्बद्ध वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का पात्र है ।

(5) "निगम में सेवा" में—

(क) किसी कर्मचारी के पुष्टीकरण से ठीक पहले की उसकी लगातार अस्थायी सेवा की अवधि शामिल है ;

(ख) वह अवधि शामिल है जिसके दौरान कोई कर्मचारी ड्यूटी पर रहा है अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत छुट्टी पर रहा है ;

(ग) ऐसी कोई अवधि शामिल नहीं है जिसके दौरान कोई कर्मचारी ड्यूटी से बिना अनुमति अनुपस्थित रहा है या स्वीकृत छुट्टी से अधिक दिन अनुपस्थित रहा है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी ने विशेष रूप से अनुमति प्रदान न की हो ।

दिए जाने की शर्तें

4. अनुवर्ती विनियमों में दी गई शर्तों, निबन्धों और अन्य उपबन्धों के अधीन निगम में सेवा की समाप्ति पर किसी स्थाई कर्मचारी को या उपदान प्राप्त करने से पूर्व स्थाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में जैसा कि विनियम 8 में निर्धारित किया जाए, के अनुसार उपदान दिया जाएगा; किन्तु इन विनियमों से यह अर्थ न लिया जाए कि किसी ऐसे कर्मचारी को कोई अधिकार या लाभ प्राप्त होगा जिसकी निगम में सेवा किसी ऐसी संविदा द्वारा शासित है जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उसकी सेवा एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए है ।

कब अनुज्ञेय नहीं

5. (1) किसी ऐसे कर्मचारी को या किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में कोई उपदान नहीं दिया जाएगा जिसने निगम में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा नहीं की है ।

(2) उपविनियम (1) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी कर्मचारी को या किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में उपदान दिया जाएगा जिसने निगम में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा नहीं की है, बशर्ते कि—

(i) निगम की सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है; या

(ii) शारीरिक अथवा मानसिक अशक्तता के फलस्वरूप प्रमाणित स्थाई अक्षमता के कारण वह सेवानिवृत्त हो जाता है या उसे सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाता है अथवा स्थापना में कमी के कारण उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाती है ; या

(iii) निगम से उसकी सेवा, स्थापना में कटौती करने से भिन्न अन्य कारणों से निगम द्वारा समाप्त कर दी जाती है ।

अनुज्ञेय राशि

6. विनियम 5 के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी कर्मचारी को अनुज्ञेय उपदान की राशि इस प्रकार होगी—

(क) निगम में की गई सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के बराबर राशि लेकिन यह राशि बीस महीने के वेतन या तीस हजार रुपए, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी; और

(ख) तीस वर्ष से अधिक निगम में की गई सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त राशि ।

कुछ मामलों में घटी हुई राशि की अदायगी

7. पूर्ववर्ती विनियमों में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, किसी कर्मचारी को देय उपदान की राशि का निर्धारण करते समय निगम उस कर्मचारी की अदक्षता या कदाचार के कारण निगम को हुई किसी वित्तीय हानि को ध्यान में रख सकता है और उपदान की घटी हुई राशि दे सकता है;

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती विनियमों के अधीन सामान्यतया स्वीकार्य उपदान की राशि और इस प्रकार घटाई गई उपदान की राशि का अन्तर निगम को हुई वित्तीय हानि की राशि से अधिक नहीं होगा ।

कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अदायगी

8. उपदान प्राप्त करने से पूर्व किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में स्वीकार्य उपदान की राशि इस प्रकार की जाएगी—

(क) उस व्यक्ति को जिसे कर्मचारी ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों के विनियम 15 के अधीन नामित किया हो और यदि एक से अधिक व्यक्ति इस प्रकार से नामित हों तो उन व्यक्तियों को उपदान की राशि उस अनुपात से वितरित की जाएगी जिस अनुपात में कर्मचारी ने अपनी भविष्य निधि में जमा राशि वितरित की हो; और

(ख) यदि इस प्रकार का कोई नामांकन किया गया या विद्यमान न हो, तो निगम का अध्यक्ष इस बात का निर्धारण करेगा कि उपदान की राशि किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को अदा की जाए और राशि किस अनुपात में वितरित की जाए ।

निगम के उन कर्मचारियों को उपदान देने के सम्बन्ध में बोर्ड की शक्तियां जो 1-7-1965 को या इसके बाद सेवा में नहीं रहे

9. बोर्ड अपने स्व-विवेक से किसी ऐसे कर्मचारी को उपदान की उतनी राशि दे सकता है जो इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय राशि अधिक नहीं होगी, जो जुलाई, 1965 के पहले दिन या इसके बाद निगम की सेवा में नहीं रहा, बशर्ते कि उस दिन यदि ये विनियम लागू होते तो वह इन विनियमों के अधीन उपदान का पात्र होता।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

[औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का XV) के अधीन निगमित]

औद्योगिक वित्त निगम (बांडों का निर्गम तथा प्रबन्ध) विनियम, 1949

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का XV) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड ने, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और अनुप्रयोग :

(1) इन विनियमों को औद्योगिक वित्त निगम (बांडों का निर्गम तथा प्रबन्ध) विनियम, 1949 कहा जाएगा।

(2) ये निगम द्वारा, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निर्गमित और बेचे गए बांडों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948;

(ख) "बैंक" से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक;

(ग) "बांड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन निगम द्वारा निर्गमित तथा बेचे गए बांड;

(घ) "निगम" से अभिप्रेत है औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का XV) के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम;

(ङ) "विकृत बांड" से अभिप्रेत ऐसा बांड है जो अस्पष्ट हो गया हो और जिसके प्रमुख भाग अपाठ्य हो गए हों तथा बांड के प्रमुख भाग में निम्नलिखित निहित हैं :—

(i) संख्या, बांड सम्बन्धित निर्गम और बांड का अंकित मूल्य अथवा ब्याज की अदायगी दिखाई करने के लिए निर्धारित भाग, अथवा

(ii) पृष्ठांकन अथवा अदाकर्त्ता का नाम लिखने के लिए, निर्धारित भाग, अथवा

(iii) नवीकरण पावती देने सम्बन्धी सूचना।

(च) "प्रपत्र" से अभिप्रेत वह प्रपत्र है जो इन विनियमों की अनुसूची (अनुसूचियों) में निर्धारित किया गया हो;

(छ) "गुमशुदा बांड" से अभिप्रेत ऐसा बांड है जो वास्तव में खो गया हो तथा इसका तात्पर्य ऐसे बांड से नहीं होगा जो दावेदार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी व्यक्ति के कब्जे में हो;

(ज) "कटा-फटा बांड" से अभिप्रेत ऐसा बांड है जो नष्ट हो गया हो, फट गया हो अथवा उसके प्रमुख भाग नष्ट हो गए हों;

(झ) "निर्गम कार्यालय" का तात्पर्य भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यालय अथवा बैंक के कार्यालय से है जिसकी पुस्तकों में बांड पंजीकृत किया गया है या किया जा सकता है;

(ञ) "निर्धारित अधिकारी" का तात्पर्य निगम अथवा बैंक के ऐसे अधिकारियों से है जिन्हें विनियम 9, 10, 11, 13, 14, और 15 के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति निगम अथवा बैंक के संचालक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

(ट) "स्टाक प्रमाण पत्र" का तात्पर्य विनियम 3 के अन्तर्गत जारी किए गए स्टाक प्रमाण-पत्र से है।

3. बांड का स्वरूप तथा उसके हस्तान्तरण का ढंग आदि

(1) बांड निम्नलिखित रूप में निर्गमित किए जा सकते हैं :—

(क) किसी व्यक्ति को, अथवा उसके आदेश पर देय वचन-पत्र (प्रोमिसरी नोट); अथवा

(ख) निगम अथवा बैंक की पुस्तकों में पंजीकृत स्टाक के लिए स्टाक प्रमाण-पत्र।

(2) (i) वचन-पत्र के रूप में निर्गमित बांड, पृष्टांकन द्वारा तथा आदेश पर देय वचन-पत्र की तरह सुपुर्दगी पर हस्तान्तरणीय होगा।

(ii) वचन-पत्र के रूप में निर्गमित बांड पर लिखी गई कोई बात, परक्रामण के प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होगी यदि लिखी गई ऐसी कोई बात बांड द्वारा मूल्यांकित राशि के केवल आंशिक भाग के हस्तान्तरण से सम्बन्धित हो।

(3) स्टाक प्रमाण-पत्र के रूप में निर्गमित तथा निगम या बैंक की पुस्तकों में पंजीकृत कोई बांड, प्रपत्र 1 में हस्तान्तरण दस्तावेज के निष्पादन द्वारा या

तो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से हस्तान्तरणीय होगा । ऐसे किसी मामले में हस्तान्तरणकर्त्ता, हस्तान्तरण से सम्बन्धित स्टाक प्रमाण-पत्र के रूप में निर्गमित बांडों का धारक माना जाएगा जब तक कि हस्तान्तरी का नाम निगम या बैंक द्वारा पंजीकृत न कर लिया गया हो ।

(4) (i) प्रत्येक बांड निगम के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निर्गमित किया जायेगा जो कि मुद्रित, रेखांकित अथवा शिलामुद्रित अथवा निगम द्वारा यथा निर्देशित किसी अन्य मशीनी प्रक्रिया द्वारा छापा गया हो ।

(ii) इस प्रकार मुद्रित, रेखांकित, शिलामुद्रित अथवा अन्यथा छापा गया हस्ताक्षर उसी प्रकार मान्य होगा मानो कि वह स्वयं हस्ताक्षरकर्त्ता की उपयुक्त लिखावट में अंकित किया गया हो ।

(5) वचन-पत्र के रूप में बांड का कोई पृष्ठांकन अथवा स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में बांड की स्थिति में हस्तांतरण का कोई दस्तावेज तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वचन-पत्र के रूप में जारी किए गए बांड के मामले में बांड के पीछे और स्टाक प्रमाण-पत्र के मामले में हस्तान्तरण विलेख पर धारक के हस्ताक्षर अथवा उसके विधिवत नियुक्त अटार्नी या प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों ।

3क. बांडों आदि का निर्गम :

(1) बांड बैंक द्वारा निर्गमित किए जायेंगे ।

(2) बैंक द्वारा निर्गमित बांडों की एक सूची निगम के सम्बन्धित उसकी कार्यालय को उसकी पुस्तकों में पंजीकरण के प्रयोजन के लिए प्रेषित की जाए ।

4. ट्रस्ट को मान्यता नहीं दी जाएगी

(1) निगम अथवा बैंक किसी ट्रस्ट को अथवा बांड के सम्बन्ध में किसी अधिकार को, जब तक कि धारक का उसमें पूर्णतः अधिकार न हो, उसकी जानकारी होते हुए भी किसी प्रकार से मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगा अथवा किया जाएगा ।

(2) उप-विनियम (1) की व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निगम अथवा बैंक, अनुग्रहपूर्वक कार्य के रूप में तथा निगम या बैंक पर देयता के बिना स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में निर्गमित बाँड के धारक, द्वारा, ब्याज अथवा परिपक्वता मूल्य की अदायगी के लिए अथवा हस्तान्तरण के लिए अथवा स्टाक प्रमाण पत्र से सम्बन्धित ऐसे मामलों के लिए, जिन्हें निगम या बैंक उचित समझ, दिए गए निर्देशों को इसकी पुस्तकों में दर्ज कर सकता है ।

4क ट्रस्टियों तथा पदधारियों द्वारा स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में निर्गमित बांड धारण करने के लिए प्रावधान

(1) स्टाक प्रमाण-पत्र के रूप में बांड किसी पदाधारी द्वारा निम्नलिखित रूप में धारित किया जा सकता है :—

(क) निगम अथवा बैंक की पुस्तकों में और स्टाक प्रमाण-पत्र में ट्रस्टी के रूप में उसके निजी नाम में चाहे वह अपने आवेदन में निर्दिष्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में हो अथवा ऐसे किसी वर्गीकरण के बिना ट्रस्टी के रूप में हो, अथवा

(ख) अपने पद के नाम से ।

(2) जिस व्यक्ति के नाम में बांड हो उसके द्वारा निगम या बैंक द्वारा अपेक्षित प्रपत्र में निगम या बैंक को लिखित रूप में दिए गए आवेदन पर अथवा बांड के वापस कर दिए जाने पर, निगम अथवा बैंक निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है :—

(क) अपनी पुस्तकों में एक प्रविष्टि करेगा जिस में उसे विनिर्दिष्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अथवा किसी विनिर्दिष्ट ट्रस्ट के बिना ट्रस्टी के रूप में उल्लिखित किया जाएगा तथा यथास्थिति विनिर्दिष्ट ट्रस्ट सहित अथवा उसके बिना ट्रस्टी के रूप में उल्लिखित उसके नाम में एक स्टाक प्रमाण-पत्र जारी करेगा, अथवा

(ख) उसके पद के नाम से उसे एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा और अपनी पुस्तकों में एक प्रविष्टि करेगा जिसमें उसे, आवेदक के आवेदन के अनुसार, उसके पद के नाम में स्टाक के धारक के रूप में उल्लिखित किया गया हो, बशर्ते कि

(i) आवेदन उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुरूप हो;

(ii) निगम अथवा बैंक द्वारा उप-विनियम (7) की शर्तों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हों; और

(iii) यदि बांड वचन-पत्र के रूप में है तो उसे निगम के पक्ष में पृष्ठांकित कर दिया गया हो तथा यदि यह स्टाक प्रमाण-पत्र के रूप में है तो प्रपत्र-II में पंजीकृत धारक द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो ।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन स्टाक प्रमाण-पत्र किसी पदधारी द्वारा या तो अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ अथवा पदधारी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारण किया जा सकता है ।

(4) यदि स्टाक किसी व्यक्ति द्वारा उसके पद के नाम में धारित हो तो सम्बन्धित स्टाक प्रमाण-पत्र से सम्बद्ध कोई दस्तावेज, तत्समय पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति के नाम से निष्पादित किए जायेंगे जिसके नाम में स्टाक प्रमाण-पत्र धारित हो, मानो कि उसका निजी नाम वही है ।

(5) यदि निगम या बैंक की पुस्तकों में ट्रस्टी के रूप में अथवा किसी पदधारी के रूप में उल्लिखित स्टाक प्रमाण-पत्र धारक द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए अभिप्रेत कोई हस्तान्तरण विलेख, मुख्तारनामा या अन्य दस्तावेज निगम या बैंक को प्रस्तुत किया जाता है तो निगम या बैंक इस बात की जांच करने से सम्बद्ध नहीं होगा कि क्या स्टाक प्रमाण-पत्र धारक किसी ट्रस्ट या दस्तावेज अथवा नियमों की शर्तों के अधीन कोई ऐसा अधिकार देने या ऐसा विलेख का दस्तावेज निष्पादित करने का हकदार है और हस्तान्तरण विलेख, मुख्तारनामा अथवा दस्तावेज पर उसी प्रकार कार्यवाही कर सकता है मानो कि निष्पादक स्टाक प्रमाण-पत्र धारक हो तथा क्या हस्तान्तरण विलेख, मुख्तारनामे अथवा दस्तावेज में स्टाक प्रमाण-पत्र धारक का उल्लेख ट्रस्टी के रूप में या किसी पदधारी के रूप में किया गया है अथवा नहीं तथा क्या वह ट्रस्टी के रूप में या पदधारी के रूप में अपनी हैसियत में हस्तान्तरण विलेख, मुख्तारनामे अथवा दस्तावेज का निष्पादन करता है अथवा नहीं ।

(6) इन विनियमों में कुछ भी, जैसा कि किन्हीं पदधारियों के लिए ट्रस्टियों के बीच अथवा किन्हीं ट्रस्टियों या पदधारियों और हिताधिकारियों के बीच, ट्रस्ट या किसी दस्तावेज या नियमों के अन्तर्गत ट्रस्टियों या पदधारियों को प्राधिकृत करने के लिए अथवा ट्रस्ट का गठन करने वाले लिखत की शर्तों के अनुसार ट्रस्ट पर लागू होंगे वाले विधिक नियमों या उस एसोसिएशन, जिसका कि स्टाक प्रमाण-पत्र धारक कोई पदधारी हो, को नियंत्रित करने वाले नियमों से अन्यथा कार्यवाही करने के लिए नहीं माना जाएगा तथा न तो निगम और न ही बैंक तथा न ही कोई व्यक्ति जिसका किसी स्टाक प्रमाण-पत्र में कोई हित धारित अथवा अर्जित हो, किसी स्टाक प्रमाण-पत्र या किसी स्टाक प्रमाण-पत्र धारक के सम्बन्ध में निगम या बैंक द्वारा रखे गए किसी रजिस्टर में केवल किसी प्रविष्टि के अथवा स्टाक प्रमाण-पत्र सम्बन्धित किसी दस्तावेज में किसी बात के कारण ही किसी ट्रस्ट की या किसी स्टाक प्रमाण-पत्र धारक की न्यासी प्रकृति अथवा किसी स्टाक प्रमाण-पत्र की धारिता से सम्बन्धित किसी न्यासी दायित्व की जानकारी से प्रभावित होगा ।

(7) किए गए किसी आवेदन पर अथवा निष्पादित किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी दस्तावेज पर इस विनियम के अनुपालन में किसी पदधारी के नाते किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यवाही किए जाने से पूर्व निगम अथवा बैंक इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि ऐसा व्यक्ति तत्समय इस पद का धारक है ।

5. धारक के रूप में निरर्हक व्यक्ति

कोई अवयस्क तथा कोई व्यक्ति, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा अस्थिर मानसिक स्थिति का पाया गया हो, धारक बनने का हकदार नहीं होगा ।

6. ब्याज की अदायगी :

(1) किसी वचन-पत्र के रूप में बांड पर ब्याज, बांड के प्रविवरण में विनिर्दिष्ट निर्गम कार्यालय अथवा निगम के किसी अन्य कार्यालय या बैंक के कार्यालय द्वारा इस शर्त के अधीन अदा किया जायेगा कि बांड के धारक द्वारा बांड प्रस्तुत किए जाने पर निगम या बैंक द्वारा यथा अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन कर दिया गया हो ।

(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी निगम या बैंक वचन-पत्र के रूप में उस बांड पर ब्याज अदा कर सकता है जिस पर ब्याज बैंक के किसी अन्य कार्यालय में, उस कार्यालय में देय ब्याज वारंट द्वारा देय हो ।

(3) स्टाक प्रमाण-पत्र के रूप में बांड पर ब्याज निगम या बैंक द्वारा जारी किए गए वारंटों द्वारा अदा किया जाएगा और निगम अथवा बैंक के स्थानीय कार्यालय में देय होगा। ब्याज की अदायगी के समय स्टाक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा लेकिन पाने वाला वारंट के पीछे पावती स्वीकार करेगा ।

7. वचन-पत्र के रूप में निर्गमित बांड के खो जाने आदि पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(1) पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से खोए गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, कटे-फटे या विकृत हो गए बांड के स्थान पर दूसरा बांड निर्गमित करने के लिए प्रत्येक आवेदन, निर्गम कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित ब्यौरा होगा अर्थात :—

(क) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बांड का ब्यौरा :—

.....रु० के लिए बांड प्रतिशत बांड.....की सं० .....

(ख) पिछली छमाही जिसके लिए ब्याज अदा किया जा चुका है ;

(ग) वह ब्याज किस व्यक्ति को अदा किया गया था;

(घ) किस व्यक्ति के नाम में बांड निर्गमित किया गया था (यदि ज्ञात हो) ;

(ङ) बांड पर अंकित ब्याज की अदायगी का स्थान;

(च) हानि, चोरी, विनाश, विकृति या विरूपण होने की परिस्थितियां;

(छ) क्या हानि या चोरी की रिपोर्ट पुलिस को की गई थी ।

(2) ऐसे आवेदनों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जायेंगे :—

(क) यदि बांड रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाने के दौरान खोया गया हो तो बांड प्रेषण पत्र से सम्बन्धित डाक घर रजिस्ट्रेशन पावती;

(ख) यदि हानि या चोरी की रिपोर्ट पुलिस को की गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति;

(ग) यदि ब्याज की पिछली अदायगी निर्गम कार्यालय द्वारा न की गई हो तो जहां पिछली अदायगी की गई हो उस स्थान पर निगम के प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, जिसमें बांड पर ब्याज की पिछली अदायगी प्रमाणित की गई हो तथा उस पार्टी के नाम का उल्लेख हो जिसे ऐसी अदायगी की गई थी, लेकिन यदि ब्याज की पिछली अदायगी रिजर्व बैंक द्वारा की गई हो तो उस पत्र पर बैंक के उस प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जहां पिछली बार ब्याज अदा किया गया था ।

(घ) यदि आवेदक पंजीकृत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक बांड का अन्तिम विधिक धारक था तथा पंजीकृत धारक के स्वामित्वाधिकार का पता लगाने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों साक्ष्य; और

(ङ) खोए गए, चोरी हो गए, कटे-फटे अथवा विकृत हो गए बांड का बचा हुआ कोई भाग या अंश ।

(3) यदि ब्याज की अदायगी निर्गम कार्यालय द्वारा अदा न की जाती हो तो आवेदन की एक प्रति निगम के कार्यालय अथवा बैंक के उस कार्यालय को भी भेजी जाएगी जहां ब्याज अदा किया जाता है, लेकिन आवेदन के साथ लगे संलग्नकों की प्रतियां भेजना आवश्यक नहीं होगा ।

8. राजपत्र में अधिसूचना :

वचन-पत्र के रूप में निर्गमित किसी बांड अथवा बांड के किसी भाग की हानि, चोरी, नष्ट हो जाने, कट-फट जाने या विकृत हो जाने पर आवेदक द्वारा तत्काल भारत के राजपत्र और हानि, चोरी होने, नष्ट हो जाने, कट-फट जाने अथवा विकृत हो जाने के स्थान पर स्थानीय राजपत्र के तीन क्रमिक अंकों में अधिसूचित किया जाएगा। ऐसी अधिसूचना निम्नलिखित प्रारूप में अथवा लगभग उसी प्रारूप में होगी जैसी कि परिस्थितियां अनुमति दें :—

"खोया गया" (यथास्थिति "चोरी हो गया", "नष्ट हो गया", "कट-फट गया" अथवा "विकृत हो गया ")

.....रु० का.....प्रतिशत बांड का भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बांड सं.....जो मूल रूप से.....के नाम में था तथा अन्त में.....स्वामी को पृष्ठांकित किया गया था । जिसके द्वारा यह कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को पृष्ठांकित नहीं किया गया था, के खो जाने (चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, कट-फट जाने अथवा विकृत हो जाने) पर एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त बांड और उस पर ब्याज की अदायगी निर्गम कार्यालय में रोक दी गई है, तथा स्वामी के पक्ष में बांड की दूसरी प्रति के निर्गम के लिए आवेदन किया जाना है अथवा कर दिया गया है । जनसाधारण को उपर्युक्त बांड खरीदने अथवा अन्यथा लेन-देन करने के प्रति सावधान किया जाता है ।

अधिसूचित करने वाले व्यक्ति का नाम.....

निवास.....

9. बांड की दूसरी प्रति का निर्गम तथा क्षतिपूर्ति करारनामा प्राप्त करना :

(1) विनियम 8 में निर्धारित अन्तिम अधिसूचना प्रकाशन के बाद, यदि निर्धारित अधिकारी बांड के के खोए जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, कट-फट जाने या विकृत हो जाने से और आवेदक के दावे के औचित्य से आश्वस्त हो तो वह विनियम 10 के अन्तर्गत प्रकाशित सूची में बांड का ब्यौरा शामिल करने की व्यवस्था करेगा और निर्गम कार्यालय को निम्नलिखित आदेश देगा :—

(क) यदि बांड का कोई भाग खो गया, चोरी हो गया, नष्ट हो गया, कट-फट गया अथवा विकृत हो गया हो और यदि बांड की पहचान के लिए पर्याप्त उसका कोई भाग प्रस्तुत किया गया हो तो ब्याज अदा करने का तथा आवेदक को, यहां इसके बाद उल्लिखित क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र के निष्पादन करने पर उस बांड के स्थान पर जिसका कि कोई भाग खो गया, चोरी हो गया, नष्ट हो गया, कट-फट गया अथवा विकृत हो गया हो, विनियम 10 के अन्तर्गत सूची के प्रकाशन के तत्काल बाद अथवा उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से निर्धारित अधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई अवधि की समाप्ति के बाद बांड की दूसरी प्रति जारी करना;

(ख) यदि इस प्रकार खोये गए, चोरी हो गये, नष्ट हो गय, कट फट गये अथवा विकृत हो गये बांड की पहचान के लिए अपर्याप्त कोई भाग प्रस्तुत किया गया हो तो आवेदक को, उक्त सूची के प्रकाशन के दो वर्ष बाद तथा यहां इसके बाद निर्धारित ढंग से क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र के निष्पादन करने पर, इस प्रकार खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गये कट-फट गये अथवा विकृत हो गए बांड के सम्बन्ध में यहां इसके बाद आगे दी गई व्यवस्था के अनुसार छह वर्ष की अवधि की समाप्ति तक ब्याज अदा करना तथा इस प्रकार खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए कट-फट गए अथवा विकृत हो गए बांड के बदले में, उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से छह वर्ष बाद आवेदक को बांड की दूसरी प्रति जारी करना, बशर्ते कि

(i) यदि बांड की पुर्नअदायगी के लिए देय तारीख छह वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले आती है तो निर्धारित अधिकारी, पहले वाली तारीख के छह सप्ताह के भीतर बांड पर देय मूलधन राशि, डाक घर बचत बैंक में निवेश कर देगा और जब बांड की दूसरी प्रति अन्यथा जारी की गई हो तो उस समय यह राशि, ऐसे बैंक में उस पर प्रोद्भूत किसी ब्याज सहित आवेदक को पुनर्अदा करेगा, और

(ii) यदि बांड की दूसरी प्रति जारी किए जाने से पूर्व किसी समय मूल बांड का पता लग जाए अथवा अन्य कारणों से निर्गम कार्यालय को प्रतीत हो कि आदेश रद्द किया जाना चाहिए तो विचार-विमर्श के लिए मामला निर्धारित अधिकारी के पास भेजा जाएगा तथा इस दौरान सभी कार्यवाही निलम्बित कर दी जाएगी। इस उप-विनियम के अन्तर्गत पारित कोई आदेश उसमें उल्लिखित छह वर्ष की अवधि की समाप्ति पर अन्तिम आदेश होगा। यदि इस दौरान उसे रद्द अथवा अन्यथा संशोधित न कर दिया गया हो।

(2) यदि बांड की दूसरी प्रति जारी किए जाने से पूर्व किसी समय निर्धारित अधिकारी पर्याप्त कारण पाता है तो वह इस विनियम के अधीन उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश को परिवर्तित अथवा रद्द कर सकता है और निदेश दे सकता है कि बांड की दूसरी प्रति जारी करने से पूर्व के अन्तराल को छह वर्ष से अनधिक उस अवधि तक बढ़ाया जाएगा जैसी कि वह उचित समझे।

(3) क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र—

(i) (क) जब उप-विनियम (1) (ख) के अन्तर्गत निष्पादित किया जाए तो उसमें निहित ब्याज की राशि से दुगुने के लिए होगा अर्थात बांड पर प्रोद्भूत होने वाले पिछले सारे ब्याज की राशि का दुगुना तथा बांड की दूसरी प्रति जारी किए जा सकने से पूर्व व्यतीत हो जाने वाली अवधि के दौरान उस पर प्रोद्भूत होने वाले सारे ब्याज की राशि का दुगुना, और

(ख) अन्य सभी मामलों में यह बांड के अंकित मूल्य स दुगुनी राशि तथा खण्ड (क) के अनुसार परिगणित ब्याज की राशि से दुगुनी राशि के लिए होगा।

(ii) निर्धारित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आवेदक द्वारा अकेले अथवा आवेदक द्वारा एवं निर्धारित अधिकारी द्वारा अनुमोदित और उचित समझी गई एक या दो प्रतिभूतियों द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

9क. स्टाक प्रमाण-पत्र के रूप में निर्गमित बांड के खो जाने आदि पर की जाने वाली कार्यवाही :

(1) पूर्णतः या आंशिक रूप से खोए गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, कट फट गए अथवा विकृत हो गए, किसी स्टाक प्रमाण-पत्र के स्थान पर उसकी दूसरी प्रति जारी करने के लिए, प्रत्येक आवेदन निर्गम कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा तथा उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :—

(क) यदि बांड रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाने के दौरान खोया गया हो तो बांड प्रेषण पत्र से सम्बन्धित डाक घर रजिस्ट्रेशन पावती;

(ख) यदि हानि अथवा चोरी की रिपोर्ट पुलिस को की गई थी तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति;

(ग) मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक, स्टाक प्रमाण-पत्र का विधियक धारक है और कि स्टाक प्रमाण-पत्र न तो उसके कब्जे में है और न ही यह उसके द्वारा हस्तान्तरित किया गया, गिरवी रखा गया अथवा अन्यथा लेन-देन किया गया है; और

(घ) खोए गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, कट-फट गए अथवा विकृत हो गए स्टाक प्रमाण-पत्र का ऐसा कोई भाग या अंश जो शेष रह गया हो

(2) आवेदन में हानि होने की उत्तरदायी परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा।

(3) यदि निर्गम कार्यालय स्टाक प्रमाण-पत्र के खोए जाने, चोरी, नष्ट, कट-फट जाने अथवा विकृत हो जाने से आश्वस्त हो तो वह मूल प्रमाण-पत्र के बदले स्टाक प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा।

10. सूची का प्रकाशन

(1) विनियम 9 में उल्लिखित सूची, जनवरी या जुलाई के महीनों में अथवा उसके तत्काल बाद जब भी सुविधाजनक हो, भारत के राजपत्र में अर्ध-वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाएगी ।

(2) ऐसे सभी बांड जिनके सम्बन्ध में विनियम 9 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया हो, ऐसा आदेश पारित किए जाने के बाद प्रकाशित पहली सूची में शामिल किए जायेंगे और तत्पश्चात ऐसे बांड, प्रथम प्रकाशन की तारीख से छह वर्ष की समाप्ति तक प्रत्येक क्रमिक सूची में शामिल किए जाते रहेंगे ।

(3) सूची में शामिल प्रत्येक बांड के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरा उसमें दिया जाएगा अर्थात निर्गम का नाम, बांड की संख्या, इसका मूल्य, उस व्यक्ति का नाम जिसे यह निर्गमित किया गया था, तारीख जिसमें उस पर ब्याज लगेगा, दूसरी प्रति के निर्गम के लिए निर्धारित अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश की संख्या तथा तारीख, और उस सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें बांड पहली बार शामिल किया गया था ।

11. नवीकरण के लिये अपेक्षित बांड के रूप में कटे फटे बांड का निर्धारण

किसी कटे फटे अथवा विकृत हो गये बांड को, विनियम 9 के अधीन बांड को, विनियम 9 के अधीन बांड की दूसरी प्रति जारी करने के लिये अथवा विनियम 14 के अधीन केवल नवीकरण के लिये अपेक्षित बांड के रूप में मानना निर्धारित अधिकारी के विकल्प पर होगा ।

12. जब वचन पत्र के रूप में निर्गमित बांड का नवीकरण किया जाना अपेक्षित हो ।

(1) वचन पत्र के रूप में किसी बांड (इस विनियम में जहां इसके बाद बांड के रूप में उल्लिखित) के धारक को, निम्नलिखित किसी मामले में नवीकरण के लिये उसे निर्गम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अर्थात्:—

(क) यदि केवल बांड के पृष्ठ भाग में एक और पृष्ठांकन के लिये पर्याप्त स्थान शेष हो अथवा यदि बांड पर विद्यमान पृष्ठांकन या पृष्ठांकनों पर कोई शब्द लिखा गया हो;

(ख) यदि निर्गम कार्यालय के विचारानुसार बांड फट गया हो या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया हो अथवा उस पर बहुत अधिक लिख दिया गया हो अथवा अनुपयुक्त हो;

(ग) यदि कोई पृष्ठांकन स्पष्ट और सुपाठ्य न हो अथवा यथास्थिति आवाता या आदाता के नाम का द्योतक न हो अथवा बांड के पृष्ठ भाग में बने किसी पृष्ठांकन खानों की बजाय अन्यथा लिखा गया हो;

(घ) यदि बांड पर ब्याज दस वर्ष या अधिक समय से प्राप्त न किया गया हो;

(ङ) यदि बांड के पृष्ठ भाग में बने ब्याज के खानों को पूर्ण रूप से भर दिया गया हो अथवा यदि बांड ब्याज लेने के लिये बांड प्रस्तुत करने की तारीख को पीछे निर्धारित खाली खाने उन अर्ध वर्षों से, जिनके सम्बन्ध में ब्याज देय हो गया है, मेल न खाये;

(च) यदि ब्याज की अदायगी के लिये तीन बार अंकित किये जा चुके बांड को पुनः अंकित कराने के लिये प्रस्तुत किया गया हो; हो; तथा

(छ) यदि निर्गम कार्यालय की राय में, ब्याज की अदायगी के लिये बांड प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का स्वामित्वाधिकार अनियमित अथवा पूर्णतः प्रमाणित न हो ।

(2) यदि किसी बांड के नवीकरण के लिये मांग उप विनियम (1) के अन्तर्गत की गई हो तो उस पर आगे किसी ब्याज की अदायगी के लिये तब तक मना कर दिया जायेगा जब तक कि इसे नवीकरण के लिये प्राप्त न कर लिया गया हो और वास्तव में नवीकरण न कर दिया गया हो ।

13. मृतक एक मात्र धारक के बांड के स्वामित्वाधिकार वाले व्यक्ति को मान्यता प्रदान की जायेगी :

(1) किसी बांड मृतक एकमात्र धारक के निष्पादक अथवा प्रशासक (चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, पारसी, अथवा अन्यथा हो) तथा बांड के सम्बन्ध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का xxxix) के भाग x के अन्तर्गत जारी किये गये उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के धारक ही केवल ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें बांड के किसी स्वामित्वाधिकार के सम्बन्ध में निर्गम कार्यालय द्वारा (निर्धारित अधिकारी के किसी सामान्य अथवा विशेष निर्देश के अधीन) मान्यता प्रदान की जायेगी) ।

(2) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का ix) की धारा 45 में निहित किसी बात के होते हुए भी, दो या अधिक धारकों को निर्गमित, बेचे गये अथवा देय हुए किसी बांड के मामले में उत्तरजीवी और अन्तिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर उसके निष्पादक, प्रशासक अथवा ऐसे बांड के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र का धारक कोई व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसे बांड के किसी स्वामित्वाधिकार के सम्बन्ध में निर्गम

कार्यालय द्वारा (निर्धारित अधिकारी के किसी सामान्य अथवा विशेष निर्देश के अधीन) मान्यता प्रदान की जायेगी)।

(3) निगम कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं होगा जब तक कि वे भारत के किसी सक्षम न्यायालय या कार्यालय, जिसका निगम कार्यालय के स्थान पर क्षेत्राधिकार हो, यथास्थिति प्रोबेट या प्रशासन पत्र अथवा अन्य विधेयक प्रतिदिन, प्राप्त नहीं कर लेंगे। परन्तु फिर भी ऐसे किसी मामले में जिसमें निर्धारित अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, क्षतिपूर्ति की अथवा अन्यथा शर्तों के अधीन उसके लिये प्रोबेट, प्रशासन पत्र अथवा अन्य विधिक प्रतिवेदन का प्राप्त न करना विधिमान्य होगा।

14. नवीकरण आदि के लिये पात्रता :

(1) निर्धारित प्राधिकारी के सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अधीन निगम कार्यालय, धारक के आवेदन पर अपने आदेश द्वारा—

(क) वचन पत्र या वचन पत्र के रूप में उसके द्वारा बांड या बांडों का वितरण किये जाने पर और उसके दावे के औचित्य के सम्बन्ध में निगम कार्यालय को आश्वस्त किये जाने पर वचन पत्र या वचन पत्रों का नवीकरण, उपविभाजन या समेकन कर सकता है बशर्ते कि वचन पत्र यथास्थिति प्रपत्र III, प्रपत्र IV या प्रपत्र V में प्राप्त किया गया हो, अथवा

(ख) वचन पत्र या वचन पत्रों को स्टाक प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्रों में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते कि वचन पत्र या वचन पत्रों को निम्नानुसार पृष्ठांकित किया गया हो:— "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अदा करें" या

(ग) स्टाक प्रमाण पत्र या स्टाक प्रमाण पत्रों का नवीकरण, उप विभाजन या समेकन कर सकता है बशर्ते कि स्टाक प्रमाण पत्र यथास्थिति प्रपत्र VI, प्रपत्र VII अथवा प्रपत्र VIII में प्राप्त किया गया हो; अथवा

(घ) स्टाक प्रमाण पत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों को वचन पत्र या वचन पत्र में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते कि स्टाक प्रमाण-पत्र प्रपत्र IX में प्राप्त किया गया हो; अथवा

(ङ) एक ऋण के बांडों को अन्य ऋणों के बांडों में परिवर्तित कर सकता है, बशर्ते कि—

(i) आन्तरिक ऋण परिवर्तन अनुमत्य हो, और

(ii) ऐसे परिवर्तन का संचालन करने वाली शर्तों का अनुपालन किया गया हो।

(2) निर्धारित अधिकारी के आदेशों के अनुसार निगम कार्यालय, उप विनियम (1) के अन्तर्गत किसी बांड के नवीकरण, उप विभाजन या समेकन के लिये आवेदक को, उसके द्वारा अनुमोदित एक या अधिक प्रतिभूतियों सहित प्रपत्र में बांड का निष्पादन करने के लिये करेगा।

15. स्वामित्वाधिकार सम्बन्धी विवाद के मामले में बांड का नवीकरण :

यदि किसी ऐसे बांड, जिसके नवीकरण के लिये आवेदन किया गया हो, के स्वामित्वाधिकार के संबंध में विवाद हो तो निर्धारित अधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है—

(क) यदि विवाद में सम्मिलित किसी पार्टी ने सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय से निर्णय प्राप्त कर लिया हो जिसमें उसे ऐसे बांड का हकदार घोषित किया गया हो, तो वह उस पार्टी के पक्ष में नवीकृत बांड जारी कर सकता है, अथवा

(ख) बांड का नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है जब तक कि ऐसा निर्णय प्राप्त न कर लिया गया हो।

स्पष्टीकरण :

इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए "अन्तिम निर्णय" शब्द का तात्पर्य ऐसे निर्णय से है जिस पर अपील नहीं की जा सकती अथवा जिस पर अपील तो की जा सकती हो लेकिन उसके विरुद्ध विधि द्वारा अनुमति दी गई सीमा अवधि के भीतर कोई अपील दायर न की गई हो।

16. नवीकृत बांड आदि के सम्बन्ध में देयता

यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में विनियम 9 के अन्तर्गत बांड की दूसरी प्रति निर्गमित की गई हो अथवा नवीकृत बांड निर्गमित किया गया हो अथवा विनियम 14 के अन्तर्गत उप-विभाजन या समेकन किये जाने पर नया बांड निर्गमित किया गया हो तो इस प्रकार निर्गमित बांड द्वारा, निगम तथा ऐसे व्यक्ति और उसके माध्यम से उसके बाद स्वामित्वाधिकार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच एक नई संविदा का गठन समझा जाएगा।

17. उन्मोचन

निगम ऐसे बांड या बांडों के संबंध में सभी देयताओं से उन्मोचित हो जाएगा जो परिपक्वता अवधि पर अदा कर दिये गये हों अथवा जिसके स्थान पर दूसरी प्रति

नवीकृत, उप-विभाजित या समेकित बांड निर्गमित कर दिये गये हों :—

(क) अदायगी के मामले में, अदायगी देय होने की तारीख से छह वर्ष की समाप्ति के बाद;

(ख) बांड की दूसरी प्रति के मामले में, बांड की पहली बार उल्लेख किये जाने वाली सूची के विनियम 10 के अधीन प्रकाशन की तारीख से अथवा मूल बांड पर ब्याज की अदायगी की तारीख, जो भी तारीख बाद में हो, से छह वर्ष की समाप्ति के बाद;

(ग) नवीकृत बांड अथवा उप-विभाजन का समेकन किये जाने पर नया बांड निर्गमित किये जाने के मामले में, उसके निर्गम की तारीख से छह वर्ष की समाप्ति के बाद।

18. ब्याज के सम्बन्ध में उन्मोचन

बांड की शर्तों में अन्यथा सुनिश्चित की गई व्यवस्था के सिवाय कोई व्यक्ति उस बांड पर अदायगी के लिए देय राशि की मांग करने की सबसे पहली तारीख के बाद, किसी भी ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा जिसकी अवधि व्यपगत हो चुकी है ।

19. बांड का उन्मोचन

जब कोई बांड मूलधन की अदायगी के लिए देय हो जाता है तो उसे निगम के कार्यालय में अथवा बैंक के उस कार्यालय में जहां उस पर ब्याज देय हो अथवा निर्गम कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके पृष्ठ भाग पर धारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएगें ।

20. बांडों से सम्बन्धित रिकार्ड का संरक्षण और विनाश :

(1) बांडों के संबंध में निगम या बैंक द्वारा रखे गये रिकार्डों के संरक्षण की अवधि, अनुसूची II के कालम में उप अनुसूची के कालम 3 में दर्शाए गए रिकार्ड के ब्योरे के सामने उल्लिखित है।

(2) निगम अथवा बैंक, अनुसूची II के कालम 3 में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद किसी ऐसे रिकार्ड के विनाश के कारण होने वाली किसी हानि, क्षति अथवा दावे के लिये किसी प्रकार उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

(3) रिकार्ड के संरक्षण की अवधि, रिकार्ड से संबंधित वर्ष से प्रत्येक अगले वर्ष पहली जुलाई से मानी जाएगी।

(4) निगम अथवा बैंक, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ में; विनष्ट किये जाने वाले रिकार्ड की सूची तैयार करेगा।

(5) रिकार्डों का विनाश, निगम अथवा बैंक के किसी प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में आग लगाकर किया जाएगा।

अनुसूची ( )

प्रपत्र I

(विनियम 3 (3) देखें)

मैं/हम .....एतद्द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के .....प्रतिशत..... रुपये की राशि के बांड/इस दस्तावेज पर उल्लेख किये गए .....रुपये के भाग को .....— के भाग को .....के नाम, उनके निष्पादकों, प्रशासकों अथवा समनुदेशितों को प्रोद्भूत ब्याज सहित अपने/हमारे हित अथवा हिस्से को समनुदेशित और हस्तांतरित करता हूं/करते हैं और मैं/हम .....मुझे/हमें हस्तांतरित उक्त स्टाक प्रमाण पत्र को स्वत: स्वीकार करता हूं/करते हैं।

मैं/हम@ .....एतद् द्वारा निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमारे@ स्टाक प्रमाण पत्र (पत्रों)@ के धारक के रूप में पंजीकृत हो जाने पर मुझे/हमें हस्तांतरित किये गये उक्त स्टाक प्रमाण पत्र की सीमा तक हमें तथा हमारे नाम में बदले गये प्रमाण पत्र को मेरे/हमारे (नामों)@ में नवीकृत किया जाये।

**मैं/हम@.....एतद्द्वारा निवेदन करता हूं/करते हैं कि उक्त हस्तान्तरी/हस्तान्तरियों@ के स्टाक, प्रमाण पत्र के धारक के रूप में पंजीकृत हो जाने पर जिसे उसे/उन्हें@ एतद्द्वारा हस्तांतरित किया गया है, उसे/उन्हें@ हस्तांतरित न किये गये उक्त स्टाक प्रमाण पत्र की सीमा तक मेरे/हमारे@ नाम(नों) में नवीकृत किया जाए।

इसके साक्ष्य के रूप में .....
*की उपस्थिति में उपरिलिखित हस्तांतरक द्वारा ..... दिनांक को हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

(हस्तांतरक).....
(पता) .....
(हस्तांतरी) .....
(पता) .....
.....

की उपस्थिति में उपरिलिखित हस्तांतरी द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

@जो भाग लागू न हो उसे काट दें।

**इस अनुच्छेद का प्रयोग तब किया जाय जब स्टाक प्रमाण पत्र को आंशिक रूप में हस्तांतरित किया जाना है।

*साक्षी के हस्ताक्षर व्यवसाय और पता।

प्रपत्र II

(विनियम 4 क (2) देखें)

स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में निर्गमित बांड के नवीकरण के लिये पावती प्रपत्र

यहां इसके स्थान पर .....के पक्ष में .....रुपये के .....

प्रतिशत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बांड .....
.....का नवीकृत स्टाक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसका ब्याज भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देय है।

पंजीकृत धारक/..... (पंजीकृत धारक का नाम) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र III

(विनियम 14 (1) (क) देखें)

धारक पत्र के रूप में बांड के नवीकरण के लिये पृष्ठांकन प्रपत्र

इसके स्थान पर ..... (धारक का नाम) को देय नवीकृत वचन-पत्र प्राप्त किया जिसका ब्याज भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक .....द्वारा देय है।

धारक/..... (धारक का नाम) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र IV

[विनियम 14 (1) (क) देखें]

वचन-पत्र के रूप में बांड के उप-विभाजन के लिये पृष्ठांकन प्रपत्र

इसके स्थान पर .....
(धारक का नाम) को देय क्रमशः .....
रुपये के .....वचन-पत्र प्राप्त किए जिनका ब्याज भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक .....द्वारा देय है।

धारक/..... (धारक का नाम) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

प्रपत्र V

[विनियम 14 (I) (क) देखें]

वचन-पत्रों के रूप में बांडों के समेकन के लिये पृष्ठांकन प्रपत्र

इसके स्थान पर .....संख्या के वचन-पत्र या वचन-पत्रों के साथ समेकन करके (इसके साथ समेकित किये जाने के लिये अपेक्षित अन्य वचन-पत्रों की संख्या तथा राशियों का उल्लेख करते हुए और निर्गम का विशेष उल्लेख करते हुए) .....
रुपये के लिये .....(धारक का नाम) को देय एक नया वचन-पत्र प्राप्त किया जिसका ब्याज भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक .....द्वारा देय है।

धारक/.....(धारक का नाम) के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

प्रपत्र VI

(विनियम 14 (1) (ग) देखें)

स्टाक प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये पृष्ठांकन प्रपत्र

इसके स्थान पर .....के नाम में .....रुपये के .....
प्रतिशत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बांड .....का नवीकृत स्टाक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसका ब्याज भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक .....द्वारा देय है।

पंजीकृत धारक/.....(पंजीकृत धारक का नाम) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

प्रपत्र VII

[विनियम 14(I) (ग) देखें]

स्टाक प्रमाण पत्र के उप विभाजन के लिये पृष्ठांकन प्रपत्र

इस स्टाक प्रमाण पत्र .....के स्थान पर ..... प्रतिशत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बांड .....
के क्रमशः .....रुपये के स्टाक प्रमाण पत्र प्राप्त किये जिनका ब्याज भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक .....द्वारा देय है।

पंजीकृत धारक/..... (पंजीकृत धारक का नाम) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

प्रपत्र VIII

[विनियम 14 (I) (ग) देखें]

स्टाक प्रमाण पत्रों के समेकन के लिए पृष्ठांकन प्रपत्र

..... प्रतिशत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बांड .....के क्रमशः .....
रुपये के लिये .....स्टाक प्रमाण पत्रों के स्थान पर .....प्रतिशत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बांड .....के .....
रुपये का एक स्टाक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसका ब्याज भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक .....द्वारा देय है।

पंजीकृत धारक/ .....(पंजीकृत धारक का नाम) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

प्रपत्र IX

[विनियम 14 (1) (घ) देखें]

स्टाक प्रमाण पत्रों के वचन पत्रों में संपरिवर्तन के लिए पृष्ठांकन

प्रमाण-पत्र

इस प्रमाण पत्र .....के स्थान पर प्रत्येक .....रुपये के वचन पत्र (.....) रुपये की बकाया राशि के नये स्टाक प्रमाण पत्र सहित) प्राप्त हुए जिनका ब्याज भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक .....द्वारा देय है।

पंजीकृत धारक/ .....(पंजीकृत धारक का नाम) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रपत्र X

[विनियम 14 (2) देखें]

(क) मूल आवेदक

यह सब को ज्ञात हो कि हम .....

.....

.....

सुपुत्र .....

निवासी .....

(और .....

सुपुत्र .....

निवासी .....

और .....

सुपुत्र .....

(ख) प्रतिभूतियां

निवासी ..... एतद्द्वारा स्वयं को तथा हम में से प्रत्येक को, हमारे और हम में से प्रत्येक के उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों तथा उन सबको संयुक्त रूप से और अलग-अलग, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 द्वारा गठित किये गये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (यहां इसके बाद उक्त निगम कहा गया है) के प्रति उक्त निगम को, इसके कुछ अटार्नियों, उत्तराधिकारियों तथा समनुदेशितों को .....रुपये की राशि की अदायगी करने के लिये आबद्ध करते हैं। और मैं/हम में से प्रत्येक .....एतद्द्वारा उक्त निगम के साथ प्रतिज्ञा करता हूं/करते हैं कि यदि इस दायित्व अथवा यहां इसमें लिखी गई शर्त के संबंध में कोई भी मामला, दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार से निम्न किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा, तो उसे, उक्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक, दिल्ली के अनुरोध पर, चाहे उस मामले में कोई भी पार्टी क्यों न हो, उक्त उच्च न्यायालय द्वारा इसके असाधारण मूल सिविल क्षेत्राधिकार के अधीन वहां पर दर्ज, विचारार्थ और निर्णीत किया जायेगा जैसे कि मानों मामला दिल्ली में हुआ हो।

*यहां इसके बाद उल्लिखित अनेक विकल्पों में से एक, जो मामले पर लागू होता हो, तथा अन्य को काट दें।

उक्त .....ने

(क) निगम यहां बैंक को यहां दी गई अनुसूची में उल्लिखित उक्त निगम/बैंक द्वारा निर्गमित किये गये बांड (बांडों) के नवीकरण/समेकन/उप-विभाजन के लिये आवेदन किया है और उक्त निगम/बैंक ने, उक्त लिखित बांड को करने तथा निष्पादित करने वाले दो ठीक और पर्याप्त प्रतिभूतियों सहित उक्त (क) .....

(क) मूल आवेदक

के उक्त आवेदन को यहां निम्नलिखित शर्त के अधीन सहमति दे दी है तथा स्वीकार करने के लिये स्वीकृति दे दी है; और उक्त .....

के अनुरोध पर उपर्युक्त बाध्यकारी .....

*यदि दो प्रतिभू हों।

(क) मूल आवेदक

.....(और) .....

..... ने (क) के लिये प्रतिभूत (प्रतिभूतियां) बनने तथा उपयुक्त लिखित बांड निष्पादित करने में उक्त .....(क) का साथ देने के लिये स्वीकृति दे दी है।

उपरिलिखित बांड की शर्त यह होगी कि अभी उपर्युक्त बन्धकर्ता .....

(ख) मूल आवेदक और (क) प्रतिभू के नाम .....(ख) अथवा उनमें से प्रत्येक अथवा उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक अथवा प्रतिनिधि अथवा उनमें से कोई या प्रत्येक समय-समय पर और इसके बाद हर समय उक्त निगम और उक्त भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये दावा रहित, सुरक्षित, बचाकर रखेगा और यहां अनुसूची में उल्लेख किये गये उक्त निगम द्वारा जारी किये गये बांड/बांडों अथवा उन पर देय किसी भी ब्याज के संबंध में किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा किये गये दावों और मांग के संबंध में क्षतिपूर्ति करता रहेगा और उक्त बांड/बांडों के संबंध में अन्य व्यक्तियों अथवा उनके नवीकरण अथवा उन पर देय किसी भी ब्याज की अदायगी से और सभी प्रकार के नुकसान, हानियों, लागतों प्रभारों, और व्यय, जो कि उक्त निगम अथवा उक्त भारतीय रिजर्व बैंक को उठाना पड़े, करना पड़े या देनी पड़े अथवा किसी भी दावे अथवा मांग अथवा उक्त बांड/बांडों के नवीकरण के रूप में निगम अथवा उक्त बांड/बांडों पर देय किसी भी ब्याज की अदायगी अथवा बांडों के नवीकरण

से हुई हो, से मुक्त रखता रहेगा तो यह बांड शून्य हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतः प्रकृत और लागू रहेगा।

..... की ओर

..... की उपस्थिति

में .....द्वारा हस्ताक्षर किये गये और परिदान किया गया।

तारीख :

इसमें उल्लिखित अनुसूची

बांड की प्रकृति और विवरण	संख्या	निर्गम तारीख	राशि

अनुसूची II

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बांडों और उनकी संरक्षण अवधि से संबंधित रिकार्ड

कालम सं० I क्रम सं०	कालम सं० II रिकार्ड का ब्यौरा	कालम सं० III संरक्षण अवधि
1.	रद्द किये गये औ०वि० नि० बांड	रद्द किये जाने के वर्ष से 10 वर्ष बाद
2.	जांच रजिस्टर	स्थायी
3.	कार्ड	10 वर्ष
4.	दैनिक पुस्तकें	10 वर्ष
5.	दैनिक रजिस्टर	10 वर्ष
6.	मूल्यांकन निरसन रजिस्टर	10 वर्ष
7.	सामान्य खाता	10 वर्ष
8.	सरकारी बचत-पत्र खाता	10 वर्ष
9.	ब्याज ड्राफ्ट रजिस्टर	10 वर्ष (ब्याज के जांच रजिस्टर में अदत्त ड्राफ्टों को बोट करने के बाद)
10.	ऋण करार सत्यापन विवरण	10 वर्ष
11.	निर्गम रजिस्टर	स्थायी
12.	औ०वि०नि० बांड आवेदन रजिस्टर	स्थायी
13.	दलाली रजिस्टर	ऋण राशि के करार से 10 वर्ष
14.	प्रदत्त औ०वि०नि० ब्याज वारंट	6 वर्ष
15.	नवीकरण आदि शुल्क का रजिस्टर	10 वर्ष
16.	निरसन प्रतिभूति रजिस्टर	10 वर्ष
17.	सार्वजनिक ऋण कार्यालयों में और से ऋणों का अन्तरण का रजिस्टर	10 वर्ष
18.	पुनर्भुगतान रजिस्टर	उस तारीख से 10 वर्ष जिसको ऋण राजस्व में जमा किया गया हो।
19.	स्टाक निर्गम रजिस्टर	स्थायी
20.	स्टाक ब्याज ड्राफ्ट रजिस्टर	10 वर्ष
21.	स्टाक निरसन रजिस्टर	10 वर्ष
22.	स्टाक खाता	10 वर्ष
23.	अवरुद्ध सूची	स्थायी
24.	रूपरेखा प्रपत्र रजिस्टर	3 वर्ष
25.	सार्वजनिक ऋण कार्यालयों से विशेष निरसन तथा पुनः संख्या सूचनायें	10 वर्ष
26.	सेफ अकाउन्ट बार्डर फार्म रजिस्टर	3 वर्ष
27.	सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये प्रमाण पत्रों के संबंध में सूचक कार्ड	निरसन की तारीख से 10 वर्ष
28.	खाता अनुभाग को भेजे गये वाउचरों की प्रविष्टि की सामान्य पंजिका	2 वर्ष
29.	विस्तृत शीट रजिस्टर	3 वर्ष
30.	दस्तावेज रजिस्टर	स्थायी
31.	साधारण नेमी पत्रों की फाईल	3 वर्ष
32.	केन्द्रीय कार्यालय अनुदेशों की फाईल	स्थायी
33.	उत्तराधिकार तथा मिताक्षरा प्रमाण पत्रों की फाइल	10 वर्ष
34.	भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों से साधारण पत्रों की फाईल	10 वर्ष
35.	जनता से महत्वपूर्ण पत्रों की फाईल	10 वर्ष
36.	विवादग्रस्त दावों के मामलों की फाइल	स्थायी
37.	पूर्ण रूप से खोए गए बांड के मामलों की फाइलें	दूसरी प्रति के जारी होने के बाद 10 वर्ष
38.	खोई हुई रसीदों संबंधी फाईल	दावेदार को प्रतिभूतियां सौंपने की तारीख के बाद 6 वर्ष।
39.	तृतीय प्रति फाइलें	3 वर्ष
40.	नई ऋण दलाली और वचनबद्धता फाइलें तथा प्राप्तकार्ता कार्यालय से आंकड़े	ऋण राशि के करार से 10 वर्ष
41.	निरीक्षण रिपोर्टों की फाइलें	स्थायी
42.	प्रबन्धक के आदेशों की फाइलें	स्थायी

कालम सं० I क्रम सं०	कालम सं० II रिकार्ड का ब्योरा	कालम सं० III संरक्षण अवधि
43.	खोए गए औ०वि०नि० बांडों की दूसरी प्रति के निर्गम के लिये मांग सूचियों की फाइलें	10 वर्ष
44.	ब्याज अनुसूची फाइलें	10 वर्ष
45.	विशेष निरसन रजिस्टर	10 वर्ष
46.	उन्मोचित प्रतिपत्रक	3 वर्ष
47.	ऋण संतुलन रजिस्टर	5 वर्ष
48.	प्रदत्त औ०वि०नि० ब्याज वारंटों का सूचक रजिस्टर	10 वर्ष
49.	जारी की गई विशेष निरसन सूचियों का सूचक रजिस्टर	10 वर्ष
50.	भेजी गई सूचना को पुनः संख्यांकित करने का सूचक रजिस्टर	10 वर्ष
51.	जारी किये गये ड्राफ्टों आवंटित की गई संख्याओं की पंजिका	10 वर्ष
52.	वर्ष के दौरान रद्द किये गये बांडों की सूची	स्थायी
53.	सार्वजनिक ऋण कार्यालय की की पुस्तकों के माध्यम से पारित लेन-देन का सारांश	3 वर्ष
54.	रद्द की गई प्रतिभूतियों का सूचक रजिस्टर	10 वर्ष
55.	स्टाक कार्ड रजिस्टर	10 वर्ष
56.	प्रोद्भूत स्टाम्प शुल्क राशि रजिस्टर	स्थायी

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

[औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का XV) के अधीन निगमित]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 1982

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड ने, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त शीर्षक :

1. इन विनियमों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 1982 कहा जाएगा।

परिभाषा :

2. इन विनियमों में विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल यदि कुछ न हो तो :—

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) है;

(ख) "विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्था" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 26 की उप धारा (2) के परन्तुक के अधीन आने वाली औद्योगिक संस्था से भिन्न औद्योगिक संस्था है जिसमें निगम का कोई संचालक, स्वामी, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, एजेंट अथवा गारंटीकर्ता हो अथवा जिसमें निगम के एक या अधिक संचालकों का एक ही साथ पर्याप्त हित हो जैसा कि उक्त उप-धारा के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है।

(ग) इन विनियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न की गई तथा अधिनियम में प्रयुक्त अन्य अभि-व्यक्तियों के अभिप्राय, अधिनियम, के प्रयोजन के लिये निर्धारित क्रमानुसार अभिप्राय से है।

विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ संव्यवहार

3. किसी विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्था के साथ कारोबार, अधिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों और परिसीमाओं के अति-रिक्त निम्नलिखित शर्तों तथा परिसीमाओं के अनुसार किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) सहायता केवल बोर्ड द्वारा ही मंजूर की जायेगी।

(ख) किसी विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्था को मंजूर की गई किसी भी सहायता की सूचना केन्द्रीय सरकार और विकास बैंक को दी जायेगी तथा उस सहायता के मंजूर किये जाने की अवधि के दौरान निगम की वार्षिक रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जायेगा।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

[औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का XV) के अधीन निगमित]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सामान्य विनियम, 1982

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक बोर्ड ने, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाए हैं :

अध्याय-I

परिचयात्मक

1. संक्षिप्त शीर्षक : इन विनियमों को "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सामान्य विनियम, 1982" कहा जाएगा।

2. परिभाषाएं : इन विनियमों में विषय अथवा सन्दर्भ के प्रतिकूल यदि कुछ न हो तो :—

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का XV) से है;

(ख) "सदस्य" का अभिप्राय सलाहकार समिति के सदस्य अथवा निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा गठित किसी अन्य समिति के सदस्य से है;

(ग) इन विनियमों में प्रयुक्त की गई अन्य अभिव्यक्तियों का, जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है और जो अधिनियम में प्रयुक्त की गई हैं, क्रमशः वही अर्थ है जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उन्हें दिया गया है।

अध्याय-II

निगम के शेयर

3. शेयर चल सम्पत्ति : निगम के शेयर चल सम्पत्ति होंगे।

4. निगम के शेयरधारी : (i) निगम के शेयरधारी विकास बैंक, अनुसूचित बैंक, बीमा कम्पनियां, निवेश न्यास और इसी प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थान तथा सहकारी बैंक होंगे।

(ii) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) और (7) तथा धारा 4क की उपधारा (2) के आशय के अन्तर्गत कोई कम्पनी, निगम या संस्था निवेश न्यास है या इसी प्रकार का अन्य वित्तीय संस्थान है, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न पर बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

5. शेयरों के आबंटन की शर्तें : (i) अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधान के अनुसार शेयरों का आबंटन बोर्ड के नियंत्रण के अधीन होगा।

(ii) शेयरों का प्रथम आबंटन अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा और अनुवर्ती आबंटन, अधिनियम की धारा 4क के अनुसार किए जायेंगे।

(iii) बोर्ड, सम्बन्धित शेयरधारियों के वर्ग से आवेदकों की संख्या के आधार पर पूर्ण अथवा आंशिक शेयरों के लिए आवेदकों को उक्त प्रथम आबंटन कर सकता है। कम संख्या में शेयरों के आवेदनों के सम्बन्ध में जहां तक व्यवहार्य हो, बोर्ड पूरा आबंटन करेगा, ताकि उस श्रेणी के शेयरधारियों की संख्या, जितनी भी अधिक सम्भव हो, हो सके।

(iv) जब कभी भी अधिनियम की धारा 4(1ख) के प्रावधान के अनसार पूंजी बढ़ा दी जाती है, तो इस प्रकार बढ़ाई गई पूंजी के द्योतक शेयर, अधिनियम की धारा 4क(2) में दिए गए तरीके के अनुसार बोर्ड द्वारा आबंटित किए जाएंगे।

(v) इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा कि शेयरों के सम्बन्धित आवेदन पर पूरा या आंशिक आबंटन किया जाए अथवा कोई आबंटन न किया जाए।

6. शेयर रजिस्टर : निगम अपने प्रधान कार्यालय में शेयरधारियों को पंजीकृत करने के लिए एक रजिस्टर रखेगा और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्ज करेगा :

(क) प्रत्येक शेयरधारी का नाम और पता जहां उसके कारोबार का मुख्य स्थान है;

(ख) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) और (3) में विनिर्दिष्ट श्रेणियां, जिनसे शेयरधारी सम्बन्धित हों;

(ग) प्रत्येक संस्थान या बैंक को शेयरधारी के रूप में दर्ज किए जाने की तारीख, किस तरीके से उसने अपना शेयर प्राप्त किया और शेयरों के प्रथम आबंटन के मामले को छोड़कर पिछले शेयरधारी का नाम।

(घ) किसी संस्थान या बैंक के शेयरधारी न रहने की तारीख और जिस संस्थान या बैंक को शेयर हस्तांतरित किया गया, उसका नाम।

स्पष्टीकरण :—

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 4(7) के अधीन रिज़र्व बैंक को हस्तान्तरित किए गए शेयरों के मामले में सम्बन्धित शेयरधारी द्वारा गिरवी रखे गए/हस्तान्तरित किए गए शेयरों के सम्बन्ध में शेयर रजिस्टर में उपयुक्त स्थान पर अलग टिप्पणी लिखी जाएगी।

7. संयुक्त शेयरधारिता अनुमत्य नहीं : शेयरों की संयुक्त धारिता को निगम मान्यता प्रदान नहीं करेगा।

8. शेयर रजिस्टर का निरीक्षण : (i) विनियम 6 द्वारा निर्धारित शेयर रजिस्टर का, सिवाय उस स्थिति के जब यदि इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन उसे बन्द कर दिया गया हो, कार्यालय समय के दौरान निगम के प्रधान कार्यालय में किसी भी शेयरधारी द्वारा निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है, लेकिन यह निगम की पूर्व सूचना तथा निगम द्वारा लागू किए जाने वाले उचित प्रतिबन्धों के अधीन होगा ताकि निरीक्षण के लिए प्रतिदिन दो घंटे से कम समय न दिया जाए।

(ii) शेयरधारी को ऐसे किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की नकल करने का अधिकार नहीं होगा लेकिन, सिवाय इसके कि जब रजिस्टर बन्द कर दिया गया हो, वह नकल किए जाने वाले प्रत्येक सौ शब्दों के लिए अथवा उसके किसी अंश के लिए पांच रुपए की दर से उसके लिए पूर्व अदायगी करके ऐसे किसी रजिस्टर अथवा उसके किसी भाग की प्रति मांग सकता है।

9. शेयर रजिस्टर को बन्द करना : विज्ञापन द्वारा सूचना देकर बोर्ड उस अवधि के लिए शेयर रजिस्टर बन्द

कर सकता है (एक बार में छः सप्ताह से अधिक नहीं) जो उसके विचारानुसार आवश्यक हो ।

10. शेयर प्रमाणपत्र : (i) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र निगम की कॉमन सील के अधीन जारी किया जाएगा ।

(ii) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र में संख्या विनिर्दिष्ट होगी और जिस शेयर के सम्बन्ध में यह जारी किया गया है उस शेयर की संख्याएं निर्दिष्ट की जाएंगी ।

11. प्रत्येक शेयरधारी एक शेयर प्रमाणपत्र निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार है :—

(i) विकास बैंक उसके नाम पंजीकृत सभी शेयरों के लिए उसके नाम एक शेयर प्रमाणपत्र निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(ii) विकास बैंक से भिन्न, प्रत्येक शेयरधारी उसके नाम पंजीकृत प्रत्येक 5 शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा । यदि कोई शेयरधारी अपने प्रत्येक 5 शेयरों के लिए एक से अधिक प्रमाणपत्र चाहता हो, तो प्रत्येक अतिरिक्त प्रमाणपत्र के लिए निगम को 5/- रुपए की राशि अदा करनी होगी । 5 शेयरों से कम का शेयरधारी एक शेयर प्रमाणपत्र निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा और यदि उसे एक से अधिक शेयर प्रमाणपत्र चाहिए तो वह प्रत्येक अतिरिक्त प्रमाणपत्र के लिए 5/- रुपए की राशि अदा करेगा ।

12. शेयर प्रमाणपत्र का नवीकरण : यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र फट जाए, खराब हो जाए, खो जाए या नष्ट हो जाए तो 5/- रुपये के शुल्क की अदायगी और अध्यक्ष द्वारा उचित समझे गए निबन्धनों और शर्तों को पूरा करने पर और साक्ष्य-जांच, यदि कोई हो, में निगम द्वारा किए गए वास्तविक व्यय की अदायगी करने पर इसका नवीकरण किया जा सकता है ।

13. शेयरों का हस्तान्तरण : (i) अधिनियम और इन विनियमों में उल्लिखित शर्तों के अधीन शेयर हस्तान्तरणीय होंगे, लेकिन प्रत्येक हस्तांतरण निम्नलिखित फार्म में लिखित रूप में होना चाहिए और यह सम्बन्धित शेयरधारी की ओर से विधिवत् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए :—

> ग... घ.....(नाम और पता) द्वारा, जिसे इसमें आगे हस्तान्तरिती कहा गया है, हमें दी गई .....रुपए की राशि के प्रतिफल के रूप में हम क.....ख..... .....(नाम और पता) हस्तान्तरिती को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर संख्या ..... हस्तान्तरित करते हैं, हस्तान्तरिती और उनके समनुदेशितियों का उन पर स्वामित्व उन्हीं शर्तों के अधीन होगा, जिनके अधीन उनको खरीदने के समय हमारा उन पर स्वामित्व था और हम हस्तान्तरिती उक्त शर्तों के अधीन उक्त शेयर (अथवा शेयरों को) लेने के लिए सहमत हैं, और हम हस्तान्तरिती अनुरोध करते हैं कि उक्त शेयर (या शयरों) के लिए निगम के रजिस्टरों में हमें पंजीकृत किया जाए ।
>
> साक्षी के रूप में तारीख.....को हस्ताक्षर किए गए ।
>
> हस्तान्तरक .....
>
> (पता)
>
> साक्षी
>
> हस्तान्तरिती .....
>
> (पता)
>
> साक्षी

(ii) किसी भी शेयर के हस्तान्तरण की लिखत निगम को प्रस्तुत की जाएगी जिस पर हस्तान्तरक और हस्तान्तरिती, दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किए जाएंगे और जब तक रजिस्टर में हस्तान्तरिती का नाम दर्ज न हो जाए, तब तक हस्तांतरक को ही ऐसे शेयर का धारक माना जाएगा । ऐसे हस्तांतरण के प्रत्येक हस्ताक्षर को एक साक्षी द्वारा जो अपना पता और व्यवसाय बताते हुए हस्ताक्षर करेगा, विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया जाएगा ।

14. हस्तान्तरण को मान्यता देने से इनकार करने की शक्ति : बोर्ड शेयरों के हस्तान्तरण करने से इनकार कर सकता है जब तक कि उसके साथ सम्बन्धित शेयरों का प्रमाणपत्र और अधिनियम तथा इन विनियमों की शर्तों के अनुसार शेयरों के हस्तान्तरणों के लिए हस्तान्तरक के अधिकार तथा हस्तांतरिती के शेयरधारी बनने की पात्रता के सम्बन्ध में ऐसा कोई अन्य सबूत न हो, जिसकी बोर्ड द्वारा अपने आप को आश्वस्त करने के लिए मांग की गयी हो ।

15. शेयरों पर निगम का पुनर्ग्रहणाधिकार : अधिनियम की धारा 4(7) के अनुसार प्रत्येक शेयरधारी के नाम पंजीकृत किए गए या भारतीय रिज़र्व बैंक को हस्तान्तरित किए गए सभी शेयरों पर प्रत्येक शेयरधारी को अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ निगम के साथ उसके ऋण, देयता और वचनबद्धता के लिए शेयरों की विक्रय राशि पर निगम का पहला तथा प्रमुख पुनर्ग्रहणाधिकार होगा, भले ही उसकी अदायगी, पूरा किए जाने अथवा भुगतान की अवधि वास्तविक रूप से पूरी हो चुकी हो अथवा नहीं और ऐसे शेयरों के सम्बन्ध में समय-समय पर घोषित किए गए सभी लाभांश पर भी ऐसा पुनर्ग्रहणाधिकार रहेगा, यदि ऐसे शेयरों पर निगम का कोई पुनर्ग्रहणाधिकार हो तो जब तक कि अन्यथा सहमति न हो गई हो, शेयरों के हस्तान्तरण का पंजीकरण निगम के पुनर्ग्रहणाधिकार, यदि कोई हो, के अधित्याग के रूप में लागू रहेगा ।

16. निरर्हित शेयरधारी : (i) शेयरधारी के रूप में पंजीकृत किसी संस्थान या बैंक की यह ड्यूटी होगी कि

अधिनियम के अधीन शेयरधारी के रूप में पंजीकृत रहने की अर्हता समाप्त होने पर निगम को तुरन्त उसकी सूचना दे।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या शेयरधारी के रूप में इस तरह से पंजीकृत कोई संस्थान या बैंक अर्हता खो चुका है, बोर्ड किसी भी समय ऐसी जांच करवा सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे और इस बात से सन्तुष्ट हो जाने पर कि ऐसा संस्थान या बैंक वह अर्हता खो चुका है, बोर्ड उसे सूचित करेगा कि वह निगम का शेयरधारी रहने का हकदार नहीं है। ऐसा संस्थान या बैंक न तो ऐसे किसी शेयर पर आगे किसी लाभांश की अदायगी प्राप्त करने का हकदार होगा, और न ही ऐसे शेयर के विक्रय के प्रयोजन के सिवाय वह शेयरधारी के किसी अधिकार का प्रयोग कर सकेगा और निगम रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टि करेगा।

(iii) यदि बोर्ड को यह प्रतीत हो कि निगम शेयरधारी के लिए अर्हता न रखने वाले किसी संस्थान या बैंक को भूल से अथवा अन्यथा निगम का शेयरधारी पंजीकृत किया गया है, तो वह शेयरधारी को सूचित करेगा कि वह न तो किसी शेयर पर लाभांश की अदायगी प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसे शेयर के विक्रय के प्रयोजन को छोड़कर, न ही वह शेयरधारी के किसी अधिकार का प्रयोग कर सकेगा। कोई संस्थान या बैंक शेयरधारी के रूप में अर्हता प्राप्त है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में इस विनियम के अधीन बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय—III

शेयरधारियों की बैठकें

17. वार्षिक महासभा : निगम की वार्षिक महासभा दिल्ली में अथवा भारत के अन्य उस स्थान पर होगी, जहां निगम का कार्यालय हो। प्रत्येक वार्षिक महासभा निगम का लेखा बन्द किए जाने की तारीख से चार महीने के अन्दर आयोजित की जाएगी।

18. विशेष महासभाएं : बोर्ड विनिर्दिष्ट कारोबार का संव्यवहार करने के लिए इसके द्वारा निर्धारित किए समय और स्थान पर किसी वर्ग विशेष और/अथवा श्रेणी के शेयरधारियों की विशेष महासभा, जब कभी आवश्यक समझी जाए; आयोजित कर सकता है।

19. महासभा आयोजित करने की सूचना : महासभा आयोजित किए जाने की सूचना पर निगम के अध्यक्ष अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा महाप्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे और उसे ऐसी बैठक से कम से कम 30 दिन पहले, भारत के राजपत्र में ऐसे ढंग से प्रकाशित किया जाएगा, जैसा बोर्ड निदेश दे।

20. महासभाओं में की जाने वाली कार्यवाही : (i) वार्षिक महासभा में निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :—

(क) 30 जून को समाप्त हुए वर्ष के निगम के तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखे पर, वर्ष के दौरान निगम के कार्य संचालन के सम्बन्ध में बोर्ड की रिपोर्ट तथा उक्त तुलन-पत्र और लेखे के सम्बन्ध में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित विचार;

(ख) अधिनियम के अधीन निदेशकों का चुनाव, यदि कोई हो।

(ग) अधिनियम की धारा 34 के अधीन एक लेखा परीक्षक का चुनाव।

अध्यक्ष की सहमति के सिवाय और जब तक कि ऐसी बैठक में मतदान करने की अर्हता प्राप्त कम से कम दस शेयरधारियों ने निगम को, उस बैठक के आयोजन की सूचना में शामिल किए जाने के लिए बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारूप संकल्प सहित, पांच सप्ताह पूर्व सूचना न दे दी हो, किसी विशेष महासभा में कोई अन्य कारोबार नहीं किया जाएगा अथवा उस पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

(ii) अध्यक्ष की सहमति के बिना, किसी विशेष महासभा में, उस कार्रवाई के सिवाय जिसके लिए बैठक आयोजित की गई है, कोई अन्य कार्रवाई अथवा चर्चा नहीं की जाएगी।

21. महासभा में कोरम : यदि शेयरधारियों की बैठक में मतदान के हकदार $\frac{1}{3}$ शेयरधारियों या 5 शेयरधारियों, जो भी कम हो, का कोरम विधिवत् रूप से प्राधिकृत उनके प्रतिनिधियों अथवा प्राक्सी द्वारा, बैठक की कार्रवाई शुरू होने पर, पूरा न हो, तो ऐसी किसी भी बैठक में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे वह वार्षिक महासभा हो अथवा अन्य कोई महासभा और यदि बैठक के नियत समय से 15 मिनट के अन्दर कोरम पूरा न हो, तो अध्यक्ष बैठक भंग कर सकता है अथवा बैठक आगामी सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान पर किए जाने के लिए अथवा किसी अन्य दिन, अध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य समय और स्थान पर किए जाने के लिए स्थगित कर सकता है। यदि ऐसी स्थगित बैठक में कोरम पूरा न हो, तो कोरम उपस्थित शेयरधारियों से पूरा होगा, बशर्ते कि कोई वार्षिक महासभा 30 जून के बाद 4 महीने के बाद की तारीख तक स्थगित नहीं की जाएगी और यदि स्थगन से ऐसा हो तो वार्षिक महासभा स्थगित नहीं की जाएगी, बल्कि बैठक की कार्रवाई बैठक के नियत समय से एक घन्टा बाद शुरू होगी और उपस्थित शेयरधारी कोरम पूरा करेंगे।

22. महासभा का अध्यक्ष : (i) बोर्ड का अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष की ओर से लिखित में प्राधिकृत अथवा निदेशक बोर्ड द्वारा नामित निदेशक, महासभाओं का अध्यक्ष होगा और ऐसा प्राधिकार न होने पर शेयरधारी, बैठक में उपस्थित किसी अन्य निदेशक को बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं।

(ii) सभी महासभाओं में अध्यक्ष कार्यविधि को विनियमित करेगा और उसे विशेष रूप से पूरा अधिकार होगा कि वह बैठक में शेयरधारियों के बोलने का क्रम निर्धारित करे, भाषणों की समय-सीमा का निर्धारण करे और जब उसकी राय में किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी हो तो उस मद पर चर्चा समाप्त कराए और बैठक को स्थगित करे।

23. महासभाओं में मतदान : (i) किसी महासभा में, बैठक के मत विभाजन के लिए प्रस्तुत किए गए संकल्प पर निर्णय, जब तक निम्नलिखित अनुसार मत विभाजन की मांग न की गई हो, हाथ उठा कर किया जाएगा। महासभा के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा कि किसी संकल्प को हाथ उठाकर सर्वसम्मति से या स्पष्ट बहुमत से पारित अथवा अस्वीकार किया गया है अन्तिम मानी जाएगी और निगम की कार्यवृत्त-पुस्तिका में, इस आशय की प्रविष्टि, उक्त संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में पड़े मतों की संख्या अथवा अनुपात का प्रमाण न होते हुए भी इस तथ्य का पर्याप्त प्रमाण होगी।

किसी प्रस्ताव पर मत लिए जाने अथवा हाथ उठाकर लिए गए मतदान का परिणाम घोषित किए जाने से तत्काल पूर्व निम्नलिखित अनुसार मत विभाजन की मांग की जा सकती है :—

(क) प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्राक्सी के माध्यम से उपस्थित और संकल्प के सम्बन्ध में मत देने का अधिकार रखने वाले कम से कम 5 शेयरधारी, अथवा

(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रोक्सी के माध्यम से उपस्थित कोई शेयरधारी अथवा शेयरधारियों, जिनके मतों की संख्या इस संकल्प के सम्बन्ध में कुल मत-शक्ति का कम से कम एकदशांश हो।

परन्तु मतदान की मांग उन शेयरधारियों द्वारा किसी भी समय वापस ली जा सकती है जिन्होंने मत दान की मांग की थी।

स्पष्टीकरण : (i) निगम से सम्बन्धित किसी मामले में कुल मत शक्ति से अभिप्राय निगम की सभा में मतदान में उस मामले पर दिए जाने वाले मतों की कुल संख्या से है, यदि सभी सदस्य और ऐसे अन्य सभी व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें उस मामले में मत देने का अधिकार है, सभा में उपस्थित हों और मतदान करें।

(ii) यदि मतदान की मांग की गई हो, तो मतदान तुरन्त अथवा उस समय और उस स्थान पर कराया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे तथा यह गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा, और मतदान का परिणाम उस बैठक का निर्णय माना जाएगा, जिसमें मतदान की मांग की गयी थी। ऐसे मतदान में मतदान के लिए हकदार शेयरधारी द्वारा या तो प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अथवा प्राक्सी द्वारा मतदान किया जाएगा।

(iii) मतदान के लिए किसी व्यक्ति की अर्हता और मतदान में कोई व्यक्ति कितने मत देने के लिए सक्षम है, इस सम्बन्ध में सभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

24. महासभाओं का कार्यवृत्त : (i) निगम महासभाओं की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तकों में रिकार्ड करेगा।

(ii) ऐसे किसी भी कार्यवृत्त पर, उस सभा के अध्यक्ष द्वारा जिसमें कार्यवाही हुई हो अथवा उससे अगली सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे और ये उसमें रिकार्ड की गई ऐसी कार्यवाही का प्रमाण होंगे।

(iii) यदि किसी महासभा की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त इस प्रावधान के अनुसार रखे गए हैं, तो ऐसी प्रत्येक महासभा जिसकी कार्यवाही का कार्यवृत्त इस तरह रिकार्ड कर लिया गया हो, विधिवत् रूप से बुलाई गई और आयोजित की गई मानी जाएगी और उसमें की गई प्रत्येक कार्यवाही विधिवत् रूप से हुई मानी जाएगी।

अध्याय– IV

मतदान

25. मतदान के लिए हकदार शेयरधारी और उनके मताधिकार : (i) ऐसा प्रत्येक शेयरधारी जो महासभा की तारीख से कम से कम छः महीने पहले से शेयरधारी के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह ऐसी सभा में प्रत्येक एक शेयर के लिए एक वोट दे सकेगा, किन्तु महासभा की तारीख से कम से कम छः महीने पहले से शेयरधारी के रूप में पंजीकृत होने की शर्त विकास बैंक पर लागू नहीं होगी।

(ii) ऊपर बताए गए अनुसार मतदान के लिए हकदार प्रत्येक शेयरधारी का, जो प्राक्सी द्वारा अथवा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हाथ उठाकर मत व्यक्त करते समय एक वोट होगा और मत विभाजन होने पर उसके प्रत्येक शेयर के लिए उसका एक वोट होगा। मतों द्वारा चुनाव किए जाने की स्थिति में मतपत्र, क और ख अनुसूचियों में दिए गए प्रपत्रों के अनुसार तैयार किए जायेंगे।

26. विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :

(i) निगमित निकाय के नाते कोई भी शेयरधारी, अपने निदेशक बोर्ड या कार्यकारी समिति या प्रबन्ध समिति के संकल्प द्वारा अथवा तत्समय के लिए बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति या प्रबन्ध समिति की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में अपने किसी/किन्हीं अधिकारियों अथवा किसी व्यक्ति को निगम की किसी महासभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत कर सकता है, और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति, उस शेयरधारी की ओर से

जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, उन्हीं शक्तियों को प्रयोग करने के लिए हकदार होगा, मानो वह निगम का शेयरधारी है। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो या अधिक प्रतिनिधियों के पक्ष में हो सकता है। इस खण्ड के अधीन दिए गए प्राधिकार के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति प्राक्सी नहीं माना जाएगा। इस विनियम के अधीन नियुक्त प्रतिनिधि को इन विनियमों में "विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि" माना जाएगा।

(ii) जब तक किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने के संकल्प की प्रति जिस बैठक में उसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष द्वारा सही प्रतिलिपि के रूप में साक्ष्यांकित न की गई हो और उसे बैठक की नियत तारीख से स्पष्ट रूप से कम से कम 4 दिन पहले निगम के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दिया गया हो तब तक ऐसा कोई व्यक्ति निगम की किसी बैठक में उसके विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल नहीं हो सकता। उक्त संकल्प की साक्ष्यांकित प्रतिलिपि जमा कराने के बाद विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति उस बैठक के लिए अप्रतिसंहरणीय होगी, जिसके सम्बन्ध में उसे किया गया है, और उसी शेयरधारी के लिए पहले जमा की गई कोई भी प्राक्सी रद्द हो जाएगी।

(iii) जो व्यक्ति इस निगम का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो, उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्राक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता।

स्पष्टीकरण : विनियम 25 व 26 के प्रयोजन के लिए निगमित निकाय में, विकास बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक एवं अन्य अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, बीमा कम्पनियां, निवेश न्यास तथा अन्य वित्तीय संस्थान शामिल हैं जो किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य विधान सभा के किसी अधिनियम अथवा तत्समय भारत में लागू किसी विधि के अधीन निगमित अथवा पंजीकृत हैं।

27. प्राक्सी : (i) कोई लिखत अथवा प्राक्सी तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि निगमित निकाय के मामले में लिखत अथवा प्राक्सी पर ऐसे निकाय की कामन सील लगाकर उसे निष्पादित न किया गया हो अथवा उसके लिखित रूप में विधिवत् रूप से प्राधिकृत अटार्नी द्वारा उस पर हस्ताक्षर न किए गए हों।

(ii) कोई भी प्राक्सी तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि वह उस बैठक में मतदान के प्रयोजन से विशिष्ट रूप से तैयार न की गयी हो, जिसमें उसका प्रयोग किया जाना है।

(iii) कोई भी प्राक्सी तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि उस पर विधिवत् टिकट न लगी हुई हो और मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किए गए हों अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा साक्ष्यांकित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार के साथ उसे बैठक की नियत तारीख से कम से कम पूरे चार दिन निगम के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दिया गया हो।

(iv) प्राक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक वह निम्नलिखित फार्म में तारीख सहित न लिखी गयी हो।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

.....के, हम.....जो, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी हैं तथा जिनके पास निगम के.... शेयर हैं, एतद् द्वारा निगम के शेयरधारियों की .....को.....में आयोजित होने वाली वार्षिक सभा अथवा इसकी किसी अन्य स्थगित सभा में हमारे लिए तथा हमारी ओर से मतदान करने हेतु.....के श्री.....को (अथवा इनकी अनुपस्थिति में.....के, श्री.....को) प्राक्सी नियुक्त करते हैं।

दिनांक :

(v) विनियम 26 (ii) की शर्तों के अधीन, इस प्रकार जमा की गई प्राक्सी की लिखित प्राक्सी जैसा करने के अन्तिम दिन के बाद तब तक अप्रतिहरणीय मानी जाएगी, जब तक कि उस दिन या उस दिन से पहले निगम के प्रधान कार्यालय में अनुदाता की कॉमन सील या हस्ताक्षर के अधीन लिखित नोटिस जमा नहीं करवाया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाएगा कि जिन मामलों में, लिखत में उल्लिखित कोई भी प्राक्सीधारी ऐसी किसी सभा में भाग लेने अथवा मत देने का हकदार नहीं होगा, उन मामलों में ऐसी लिखत का प्रतिसंहरण हो जाता है।

(iii) यदि उन्हीं शेयरों के विषय में प्राक्सी की दो या अधिक लिखतें जमा की जायें और यदि प्राक्सी जमा करने के अन्तिम दिन या उससे पहले खण्ड (v) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनमें से एक लिखत का विधिवत् प्रतिसंहारण नहीं करवाया गया तो प्राक्सी की सभी लिखत अमान्य समझी जायेंगी।

(vii) प्राक्सी की लिखित का उचित प्रतिसंहरण खण्ड (iii) के अनुसार परिसीमित समय के दौरान किसी भी प्रकार से प्राक्सी की अन्य मान्य लिखत को जमा करने से नहीं रोकता।

28. चुनाव विवाद : (i) यदि चुने गए या चुने जाने वाले व्यक्ति की अर्हता या निरर्हता के बारे में अथवा अन्यथा निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में कोई विवाद उठे, तो सदस्य या शेयरधारी होने के नाते उससे सम्बद्ध कोई व्यक्ति, जिसे ऐसे चुनाव में मत देने का हक हो, चुनाव का परिणाम घोषित होने की तारीख से 7 दिन के अन्दर बोर्ड के अध्यक्ष को उसकी लिखित सूचना देगा और ऐसा करते समय वह उसका पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेगा, जिसके

आधार पर उसने ऐसे चुनाव की वैधता के बारे में विवाद उठाया है । अध्यक्ष ऐसे विवाद को एक समिति के निर्णय के लिए तुरन्त प्रस्तुत करेगा, इस समिति में स्वयं अध्यक्ष और अधिनियम की धारा 10(1) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में से किसी खण्ड के अनुसार चुने गए दो निदेशक होंगे। जो इस सम्बन्ध में ऐसे चुने गए निदेशक अध्यक्ष द्वारा नामित किए जायेंगे ।

(ii) यह समिति यथावश्यक जांच करेगी और यदि जांच से यह पता चले कि चुनाव वैध था तो यह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि यह पता चले कि चुनाव वैध नहीं था, तो समिति नए चुनाव कराने के साथ-साथ ऐसे आदेश और निदेश देगी जो परिस्थितियों के अनुसार समिति को उचित प्रतीत हों ।

(iii) इन विनियमों के अनुसार इस समिति का आदेश और निदेश अन्तिम तथा निर्णायक माना जाएगा ।

अध्याय –V

निदेशकों का चुनाव

29. निवृत्त होने वाले निदेशकों का लाट द्वारा निर्धारण : अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक के अनुसार लाट द्वारा निर्धारण बोर्ड की बैठक में किया जाएगा । यह बैठक उक्त परन्तुक में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से तीन महीने पहले अवश्य होगी और परिणाम बैठक के तुरन्त बाद घोषित कर दिया जाएगा ।

30. चुनाव का नोटिस जारी करना : यदि किसी महासभा में चुनाव होना हो, तो सभा आयोजित करने के नोटिस में रिक्त पदों और भरे जाने वाले पदों की संख्या की सूचना भी दी जायेगी ।

31. प्रत्येक वर्ग के शेयरधारियों की सूची : (i) अधिनियम की धारा 10(1) के खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में से किसी भी खण्ड के अन्तर्गत निदेशकों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ग के शेयरधारियों की अलग सूची, जिस बैठक में चुनाव होना हो उसकी तारीख से कम से कम चार सप्ताह पहले तैयार की जाएगी और प्रत्येक वर्ग के शेयरधारी केवल प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों के चुनाव में ही मत देंगे ।

(ii) ऐसी प्रत्येक सूची निगम के प्रधान कार्यालय में आवेदन करने पर पांच रुपए के मूल्य पर उपलब्ध होगी ।

32. निदेशक पद के प्रत्याशियों का नामांकन : (1) कोई भी प्रत्याशी बोर्ड के निदेशक के रूप में चुनाव के लिए विधिवत नामांकित नहीं होगा, जब तक कि :—

(क) वह नामांकनों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निदेशक बनने के अयोग्य न हो ।

(ख) वह उस वर्ग के शेयरधारियों में से किसी शेयरधारी द्वारा नामांकित न किया गया हो जिसके सम्बन्ध में चुनाव होना है ।

(ग) नामांकन, निदेशक बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति अथवा प्रबन्ध समिति के संकल्प द्वारा अथवा तत्समय के लिए, शेयरधारी संस्थान के बोर्ड या कार्यकारी समिति या प्रबन्ध समिति की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा लिखित रूप में न किया गया हो और जिस बैठक में यह पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित संकल्प की एक प्रति अथवा मूल रूप में लिखित नामांकन, जैसी भी स्थिति हो, निगम के प्रधान कार्यालय में जमा करवाया जाएगा और उसे नामांकन समझा जाएगा ।

(ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह निगम के प्रधान कार्यालय में चुनाव के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 14 दिन पहले प्राप्त न हुआ हो ।

33. निदेशक पद के प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन : नामांकन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद पहले कार्य-दिवस को, अध्यक्ष उन नामांकन पत्रों पर विचार करेगा और ऐसी जांच करने के बाद यदि वह है आवश्यक समझे तो प्रत्येक प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार या अस्वीकार करेगा । अध्यक्ष का यह निर्णय कि नामांकन वैध है या अवैध है अन्तिम माना जाएगा । यदि वैध नामांकनों की संख्या भरे जाने वाले पदों की संख्या के बराबर है या उनसे कम है, तो वैध रूप से नामांकित प्रत्याशी चुनाव के लिए आयोजित बैठक में चुने गए प्रत्याशी माने जाएंगे और चुने गए प्रत्याशियों के रूप में उनके नाम और पते प्रकाशित किए जाएंगे। यदि वैध नामांकनों की संख्या रिक्त पदों की संख्या से अधिक है, तो वैध रूप से नामांकित प्रत्याशियों के नाम और पते भारत के राजपत्र और भारत के कम से कम तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे। निदेशकों के चुनाव का परिणाम भारत के राजपत्र में विधिवत् प्रकाशित किया जाएगा ।

अध्याय–VI

बोर्ड की बैठकें

34. बोर्ड की बैठकें : (i) प्रत्येक वर्ष हर तिमाही में कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी और यह कार्यपालक निदेशक अथवा महाप्रबन्धक द्वारा बुलाई जाएगी ।

(ii) कोई तीन निदेशक किसी भी समय अध्यक्ष से बोर्ड की बैठक आयोजित करने की मांग कर सकते हैं और ऐसी मांग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष उचित सूचना देते हुए बोर्ड की बैठक आयोजित करेगा, कि इस प्रकार आयोजि

की जाने वाली बैठक की तारीख, मांग प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के बाद की नहीं होगी।

(iii) बोर्ड की बैठकें दिल्ली या भारत में किसी अन्य स्थान पर होंगी।

(iv) सामान्यतः बोर्ड की प्रत्येक बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी और यह सूचना प्रत्येक निदेशक को उसके पंजीकृत पते पर भेजी जायेगी। यदि आपात् बैठक बुलाना आवश्यक समझा जाए, तो प्रत्येक निदेशक को जो उस समय भारत में है पर्याप्त सूचना दी जाएगी ताकि वह बैठक में उपस्थित हो सके।

(v) (क) बोर्ड की किसी बैठक में, चाहे नियमित बैठक हो या आपात् बैठक तब तक कोई कार्रवाई नही की जाएगी जब तक औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 17(2) के अन्तर्गत निर्धारित कोरम पूरा न हो।

(ख) यदि कोरम पूरा न होने के कारण बोर्ड की बैठक न हो पाए, तो बैठक उस तारीख और समय और स्थान के लिए स्थगित कर दी जाएगी जो अध्यक्ष निर्धारित करे।

(vi) बोर्ड की बैठक में, जिस कार्य के लिए बैठक बुलाई गई है उसके अतिरिक्त किसी अन्य कार्य पर सिवाय उस स्थिति के जब बैठक का अध्यक्ष और उपस्थित अधिकांश निदेशक, इसके लिए सहमत हो तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अध्यक्ष को उसके लिए लिखित रूप में एक सप्ताह का नोटिस न दिया गया हो।

(vii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवृत्त की एक प्रति बैठक के बाद यथाशीघ्र निदेशकों की जानकारी के लिए परिचालित की जाएगी और कार्तवृत्त अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

35. परिचालक द्वारा संकल्प : ऐसा लिखित संकल्प, जो भारत में सभी निदेशकों को परिचालित किया गया है जो उस समय भारत में हैं, उनमें से अधिकांश निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित है, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा, वैध और प्रभावी होगा तथा उसे जिस तारीख को संकल्प के अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित किया गया है उस तारीख को बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के रूप में समझा जाएगा।

परन्तु इस प्रकार पारित संकल्प बोर्ड की अगली बैठक में उसकी सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और यदि परिचालन के समय किसी निदेशक द्वारा विसम्मति व्यक्त की गई हो तो उसका भी उल्लेख किया जाएगा।

36. किसी निदेशक के हित को प्रकट करना : ऐसा प्रत्येक निदेशक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान से सम्बद्ध है या निगम की तरफ से अथवा निगम द्वारा उसके साथ की गई किसी संविदा, ऋण या व्यवस्था से हितबद्ध है, प्रतिष्ठान में उसकी रुचि किस प्रकार की है इसके बारे में, बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति को बताएगा और जब बोर्ड या समिति की किसी बैठक में ऐसी संविदा ऋण या व्यवस्था पर विचार किया जाए तो उससे निवृत रहेगा।

परन्तु यदि किसी कम्पनी या समिति के साथ ऐसी संविदा, ऋण या प्रस्तावित व्यवस्था किए जाने का विचार है जिसमें निदेशक का अकेले अथवा बोर्ड के निदेशक अथवा निदेशकों सहित सम्बन्ध या हित ऐसी कम्पनी या समिति की प्रदत्त पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक नहीं है तो सम्बन्धित निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठक से निवृत होना आवश्यक नही होगा।

37. निदेशकों या सदस्यों की बैठक के लिए शुल्क : (i) प्रत्येक निदेशक या सदस्य (अध्यक्षों के सिवाय तथा सरकार, रिजर्व बैंक या विकास बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंको या राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों, सांविधिक निगमों या निवेश न्यासों के वेतनभोगी अधिकारी के सिवाय) बोर्ड की और निगम द्वारा नियुक्त की गई समिति की प्रत्येक बैठक जिसमें वह उपस्थित रहा हो, के लिए 250.00 रुपए शुल्क प्राप्त करेगा।

(ii) इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक निदेशक या सदस्य को उसका यात्रा खर्च, यदि कोई हो, उस मान पर दिया जाएगा जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।

(iii) केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक या विकास बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंकों या राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों, सांविधिक निगमों या निवेश न्यासों के वेतनभोगी अधिकारी के मामलें में, जो निदेशक या निगम की किसी समिति का सदस्य है, सरकार, रिजर्व बैंक या विकास बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंकों या राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियां, सांविधिक निगमों या निवेश न्यासों द्वारा उनके नियमों के अन्तर्गत उस अधिकारी को दिए गए यात्रा भत्ते की अदायगी किए जाने पर, मांग प्राप्त होने से सरकार, रिजर्व बैंक या विकास बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंकों या राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों, सांविधिक निगमों या निवेश न्यासों को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

38. निदेशक द्वारा त्याग पत्र : केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त या नामांकित निदेशक अथवा विकास बैंक द्वारा नामांकित निदेशक यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या विकास बैंक को आवेदन प्रस्तुत करके, बोर्ड को उसकी एक प्रति सहित, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और उसका त्यागपत्र, निगम या केन्द्रीय सरकार या विकास बैंक द्वारा स्वीकार कर लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर प्रभावी हो जाएगा। उपर्युक्त के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार या विकास बैंक द्वारा नियुक्त या नामित किसी निदेशक को नामांकन प्राधिकारियों द्वारा हटाया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के उप-खण्ड (ग), (घ) और (ङ) में से किसी के अनुसार चुना गया निदेशक, बोर्ड को आवेदन करके अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने पर पद रिक्त हो जाएगा।

39. सलाहकार समितियों या अन्य समितियों की नियुक्ति : (i) बोर्ड, तकनीकी और अन्य प्रकार की सलाह के लिए सलाहकार समितियां और अन्य समितियां नियुक्त कर सकता है ताकि निगम को इसका कार्य कुशलता से करने में सहायता मिल सके।

(ii) ऐसा किसी भी समिति की बैठक समय-समय पर निगम के प्रधान कार्यालय में या भारत में ऐसे स्थान पर, जिसका उल्लेख बैठक आयोजित करने के नोटिस में किया गया हो, आयोजित की जाएगी। ऐसी बैठकों के लिए उचित नोटिस दिया जाएगा।

(iii) अध्यक्ष अथवा कार्यपालक निदेशक ही प्रत्येक सलाहकार समिति और बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति का अध्यक्ष होगा। यदि अध्यक्ष या कार्यपालक निदेशक किसी कारण से सलाहकार समिति या किसी अन्य समिति की बैठक में उपस्थित नही हो सकता है, तो इस सम्बन्ध में उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसा प्राधिकार न दिए जाने पर समिति उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष चुन सकेगी।

(iv) जो व्यक्ति सलाहकार समिति या किसी अन्य समिति का सदस्य है और जो उस समिति के सामने आने वाली संविदा, ऋण या व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है, वह व्यक्ति उस समिति को अपने हित के बारे में बताएगा और समिति की जिस बैठक में उस संविदा, ऋण पर विचार किया जाए उस बैठक से वह निसृत रहेगा।

(v) सलाहकार समिति या किसी अन्य समिति के प्रत्येक सदस्य को अपने पद का कार्य संभालने से पहले अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित किए गए फार्म में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे।

अध्याय—VII
सामान्य

40. निरर्हताओं के सम्बन्ध में बोर्ड केन्द्रीय सरकार और विकास बैंक को सूचित करेगा : यदि बोर्ड को पता चले कि किसी निदेशक की अधिनियम के अधीन कोई निरर्हरता हो गई है तो बोर्ड तत्काल इसकी सूचना केन्द्रीय सरकार और विकास बैंक को देगा।

41. बाद में निरर्हताओं का पता लगने पर भी निदेशकों के कार्य वैध होंगे : बोर्ड या सलाहकार समिति या निगम द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति की बैठक में अथवा बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति या सलाहकार समिति के सदस्य या निगम द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति के सदस्य द्वारा किए गए सभी कार्य उसी प्रकार वैध होंगे मानो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति विधिवत् नियुक्त किया गया है और विधिवत् अर्हता प्राप्त है, भले ही बाद में उन व्यक्तियों की नियुक्ति अथवा नियुक्ति के समय उनकी निरर्हताओं में कोई दोष पाया जाए।

42. निगम पर आबद्ध संविदायें किस प्रकार और किस रूप में निष्पादित की जायें : (1) निगम की तरफ से संविदायें इस प्रकार निष्पादित की जायें :—

(क) ऐसी कोई भी संविदा, जो कानून के अनुसार लिखित रूप में की जानी आवश्यक हो, निगम की ओर से लिखित रूप में की जाये और उस पर उसके अभिव्यक्त या अन्तर्निहित प्राधिकार, के अन्तर्गत कार्य कर रहे व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उसी पद्धति से उसे परिवर्तित या उन्मोचित किया जाए।

(ख) ऐसी कोई संविदा केवल मौखिक रूप से किए जाने पर तभी वैध होगी, जब वह निगम की ओर से उसके अभिव्यक्त या अन्तर्निहित प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से की जाए और ऐसी पद्धति से परिवर्तित की जाए या उसको उन्मोचित किया जाए।

(ग) इस विनियम के उपबन्धों के अनुसार की गई सभी संविदाएं वैध होंगी और निगम पर बाध्य होंगी।

43. निगम के लेखों, रसीदों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना : अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबन्धक, संयुक्त महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक और निगम के ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें बोर्ड इस सम्बन्ध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे, वचन पत्र, बांड, स्टाक रसीदें, स्टाक, डिबेन्चर, शेयर, प्रतिभूतियों और निगम के नाम अथवा निगम द्वारा धारित वस्तुओं के स्वामित्वाधिकार दस्तावेजों को जारी, हस्ताक्षरित, निष्पादित, पृष्ठांकित, और हस्तांतरित कर सकते हैं और निगम के चालू तथा प्राधिकृत कारोबार से सम्बन्धित अन्य विलेखों एवं विनियम बिलों को तैयार, स्वीकार एवं पृष्ठांकित कर सकते हैं और बैंक खातों को खोल तथा उन्हें संचालित और निगम के किसी कारोबार से सम्बन्धित सभी लेखों, विलेखों, पावतियों, समझौतों, संविदाओं और दस्तावेजों को हस्ताक्षरित कर सकते हैं।

44. वादपत्र, इत्यादि पर हस्ताक्षर करना : वादपत्र, लिखित विवरण, वकालतनामा, हलफनामा और कानूनी कार्यवाहियों से सम्बन्धित अन्य सभी दस्तावेज निगम की ओर से

उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किए जाएं, जिसे निगम की ओर से तथा निगम के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए विनियम 43 के अन्तर्गत या द्वारा प्राधिकार दिया गया हो अथवा जो निगम द्वारा ऐसा करने के लिए सामान्य अथवा विशेष रूप से अन्यथा प्राधिकृत किया गया हो।

45. निगम की कामन सील : (i) निगम की कामन सील, बोर्ड के संकल्प के अनुसार और एक निदेशक की उपस्थिति, जो कि उसकी उपस्थिति के रूप में लिखत पर उसके नाम के हस्ताक्षर करेगा, के सिवाय किसी लिखत पर नहीं लगाई जाएगी और निदेशक के हस्ताक्षर साक्षी के रूप में लिखत पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अलग होंगे। जब तक उक्त लिखत पर उपरोक्त अनुसार हस्ताक्षर नहीं होंगे, उसकी कोई वैधता नहीं होगी।

(ii) निगम द्वारा जारी किए गए शेयर प्रमाणपत्र पर निगम की कामन सील लगाई जाएगी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।

46. शेयरधारियों को नोटिस भेजना : (i) निगम द्वारा शेयरधारियों को उनके पंजीकृत पते पर डाक द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है।

(ii) निगम द्वारा कोई नोटिस दिए जाने की आवश्यकता हो और यदि भारत में प्रकाशित होने वाले कम से कम तीन समाचार-पत्रों में इस सम्बन्ध में विज्ञापन दिया गया हो तो वह नोटिस उचित रूप से दिया गया नोटिस माना जाएगा।

(iii) यदि कोई नोटिस डाक से भेजा गया हो तो उसे डाक से भेजने की तारीख से तीसरे दिन दिया गया नोटिस समझा जाएगा और इसे प्रमाणित करते समय यह सिद्ध करना ही पर्याप्त होगा कि नोटिस पर सही पता लिखा गया और उचित रूप से डाक में डाला गया।

(iv) निगम द्वारा दिए जाने वाले नोटिस पर हस्ताक्षर लिखकर या मुद्रित रूप में किए जा सकते हैं।

47. लेखे : बोर्ड निगम की परिसम्पत्तियों और देयताओं, प्राप्तियों और व्यय का लेखा रखेगा।

48. विवरणियां : (i) अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिया जाने वाला परिसम्पत्तियों और देयताओं का विवरण इसमें संलग्न अनुसूची "ग" में विनिर्दिष्ट फार्म में होगा और धारा 35 की उपधारा (3) की शर्तों के अनुसार परिसम्पत्तियों और देयताओं का वार्षिक विवरण और लाभ और हानि लेखा, विकास बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित फार्म में होंगे।

निगम द्वारा दिए गए ऋणों और किए गए निवेशों, ऋणों की दी गई गारंटियों और इसके द्वारा किए गए हामीदारी संविदाओं के वर्गीकरण का अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिया जाने वाला विवरण, इसमें संलग्न अनुसूची "घ" में विनिर्दिष्ट फार्म में दिया जाएगा।

49. लाभांश की अदायगी। (i) वार्षिक लेखों के बन्द होने के बाद यथाशीघ्र लाभांशों की घोषणा की जाएगी और लाभांश दिया जाएगा।

(ii) निगम द्वारा किसी भी लाभांश पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iii) लाभांश उसके हकदार शेयरधारी के पंजीकृत पते पर वारंट या चैक द्वारा दिया जाए और इस प्रकार भेजा गया प्रत्येक वारंट या चैक उसी शेयरधारी के आदेश पर देय होगा जिसे यह भेजा गया है।

(iv) निगम उस व्यक्ति को लाभांश की अदायगी नहीं करेगा जो अधिनियम या इन विनियमों के अन्तर्गत हकदार नहीं है, परन्तु उसे रोक कर रखेगा और उस व्यक्ति को उसकी अदायगी करेगा, जो बाद में जिस शेयर पर लाभांश देय है उस शेयर के लिए पंजीकृत हो जाए।

स्पष्टीकरण : लाभांश केवल उन शेयरधारियों को देय होगा जिनके नाम निगम के शेयरधारियों के रजिस्टर के वार्षिक समापन के समय उस रजिस्टर में होंगे।

अध्याय—VIII

लेखा-परीक्षक का चुनाव

50. लेखा-परीक्षक का चुनाव : अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत, एक लेखा-परीक्षक का चुनाव अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में उल्लिखित पार्टियों द्वारा निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा :—

(i) (विकास बैंक से भिन्न निगम के शेयरधारी केन्द्रीय सरकार, रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा-परीक्षकों की सूची में से एक लेखा परीक्षक चुनेंगे जिसकी कार्य अवधि एक वर्ष होगी।

परन्तु इस प्रकार चुना गया लेखा-परीक्षक, अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि यथास्थिति अगली वार्षिक महासभा या विशेष महासभा में उसके उत्तराधिकारी का चुनाव न हो।

(ii) निवृत्त होने वाला निर्वाचित लेखा-परीक्षक पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

(iii) लेखा-परीक्षक का नामांकन लिखित में होगा, जिसमें शेयरधारी द्वारा विधिवत् रूप से नियुक्त किए गए एक अटार्नी के हस्ताक्षर होंगे।

परन्तु नामांकन शेयरधारी संस्थान के निदेशक बोर्ड या कार्यकारी समिति या प्रबन्ध समिति के संकल्प द्वारा अथवा तत्समय लिए बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कर रहे व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में किया जा सकता है तथा बैठक अध्यक्ष

द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित प्रति अथवा लिखित मूल नामांकन, जैसी भी स्थिति हो, निगम के प्रधान कार्यालय में जमा कारवाई जायेगी और उसे नामांकन के रूप में माना जाएगा।

(iv) लेखा परीक्षक का कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कम्पनी के लेखा-परीक्षक के रूप में काम करने के लिए विधिवत् अर्हता प्राप्त न हो और जब तक कि नामांकन निर्वाचन के लिए निर्धारित की गई तारीख से 14 दिन पहले निगम के प्रधान कार्यालय में प्राप्त न हुआ हो और उसके साथ नामांकित लेखा परीक्षक का इस आशय का पत्र न हो कि यदि उसे निर्वाचित किया गया तो वह विकास बैंक द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर अपना पद ग्रहण कर लेगा।

(v) यदि वैध नामांकनों की संख्या एक से अधिक हो जाये तो वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों के नाम और पते भारत के राजपत्र और भारत के कम से कम तीन समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे। उसके बाद, लेखा-परीक्षकों के चुनाव का परिणाम भारत के राजपत्र में विधिवत् रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

(vi) लेखा-परीक्षक के चुनाव के प्रयोजन के लिए जिस बैठक में चुनाव होना हो उस बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पहले शेयरधारियों की एक सूची तैयार की जाएगी। शेयरधारियों को उस सूची की प्रति प्रधान कार्यालय में पांच रुपए के मूल्य पर उपलब्ध होगी।

51. चुनाव का नोटिस जारी करना : यदि किसी लेखा-परीक्षक का चुनाव किसी महासभा में किया जाना हो, तो लेखा-परीक्षक के चुनाव सम्बन्धी सूचना, बैठक बुलाने के नोटिस में शामिल की जाएगी।

52. लेखा-परीक्षक के चुनाव के सम्बन्ध में लागू होने वाले कुछ उपबन्ध : इस अध्याय में अन्यथा रूप से जो भी दिया गया है उसको छोड़ कर, निदेशकों के चुनाव के सम्बन्ध में इन विनियमों में दिए गए सभी उपबन्ध जहां तक हो सके, इस अध्याय के अन्तर्गत लेखा-परीक्षक के चुनाव सम्बन्ध में लागू होंगे।

53. निरसन : 24 सितम्बर, 1976 तक यथासंशोधित सामान्य विनियम एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं :

समय-समय पर यथासंशोधित विद्यमान सामान्य विनियमों के अधीन या अनुसरण में पारित किए गए किसी आदेश या संकल्प, दिए गए निर्देशों की गई कार्यवाहियों, निष्पादित या जारी किए गई लिखतों, हस्ताक्षरित दस्तावेजों अथवा किए गए कार्यों या कृत्यों को इन विनियम में से कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा लेकिन, इन विनियमों के अपनाए जाने से पहले प्रवृत्त ऐसा कोई आदेश, संकल्प, निर्देश, कार्यवाही, लिखत, दस्तावेज, कार्य या कृत्य इसी प्रकार प्रवृत्त रहेगा मानो कि उसे इन विनियमों के अधीन या अनुसरण में किया गया, निर्देशित, पारित, दिया गया, की गई, निष्पादित, जारी, हस्ताक्षरित अथवा किया गया हो।

अनुसूची "क"

शेयरधारियों की सूची के अनुसार संख्या

क्रम संख्या ——————

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,
नई दिल्ली

——————————को निगम की——————
वार्षिक महासभा/विशेष महासभा में——————श्रेणी में एक संचालक के चुनाव के लिए मत-पत्र।

प्रत्याशी	
1.	
2.	
3.	

कृपया उस व्यक्ति के नाम के सामने "×" का निशान लगायें जिसे आप मत देना चाहते हों।

यदि "×" को मिटाया अथवा गन्दा किया गया तो यह मत-पत्र अवैध हो जाएगा।

हस्ताक्षर : ——————
नाम : ——————
प्रतिनिधि : ——————
——————
——————

शेयरों की सं०

अनुसूची "ख"

प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरधारियों द्वारा लेखापरीक्षक के चुनाव के लिए मत-पत्र।

शेयरधारियों की सूची के अनुसार संख्या	प्रत्याशी	
	1.	
	2.	

क्रम संख्या ----------

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली

कृपया उस लेखा-परीक्षक के नाम के सामने " × "का निशान लगायें जिसे आप मत देना चाहते हों।

यदि " × "को मिटाया अथवा गन्दा किया गया तो यह मत-पत्र अवैध हो जाएगा।

हस्ताक्षर : ----------

नाम : ----------

प्रतिनिधि : ----------

----------को निगम की ----------

वार्षिक महासभा/विशेष महासभा में औद्योगिक वित्त निगम, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में उल्लिखित अनुसूचित बकों, बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और इसी प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थानों और सहकारी बैंकों का

शेयरों की सं०

अनुसूची "ग"

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का 15) की धारा 35 (1) के अनुसरण में

----------की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्तियों और देयताओं का विवरण

(रुपयों लाखों में)

देयताएं	रु०	रु०	परिसम्पत्तियां	रु०	रु०
1	2	3	4	5	6
1 शेयर पूंजी			1. हाथ में और बकों में नकद		
अधिकृत			2. औद्योगिक संस्थाओं में निवेश		
—जारी और अभिदत्त			—धारा 23 (घ) के अधीन स्टाक, शयर, बांड और डिबेंचर		
—प्रदत्त			धारा 23 (च) के अधीन स्टाक, शेयर बांड और डिबेंचर		
2. रिजर्व और आरक्षित निधियां			धारा 23 (छ) के अधीन शेयर और डिबेंचर		
—धारा 32 (क) (1) के अधीन विशेष आरक्षित निधियां			3. अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश		
—अन्य रिजर्व तथा लाभ			—धारा 20 के अधीन भा०यू०ट्र० की आरम्भिक पूंजी एवं अन्य अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के शेयर		
—के० एफ० डब्ल्यु० के साथ करार की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से विशेष अनुदान			4. वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण		
3. दीर्घावधि उधार			5. परिसर एवं उपस्कर		
—रुपया मुद्रा में बांड			6. स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयता		
—विदेशी मुद्रा में बांड					
—औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 21(3)(क) और (ख) 21(4) के अधीन भा० रि० बैंक भाऔविबैंक से उधार					

1	2	3	4	5	6
——औविनि अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन			7. राजस्व से अधिक व्यय सहित अन्य परिसम्पत्तियां		
——के० एफ० डब्ल्यू० के साथ करार की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से उधार					
——भारत में अन्य प्राधिकरणों तथा संस्थानों से उधार					
——विदेशी साख संस्थानों से विदेशी मुद्रा में उधार					
4. चालू देयताएं तथा प्रावधान					
क. चालू देयताएं					
——फुटकर लेनदार					
——उधारों पर प्रोद्भूत, परन्तु देय नहीं हुआ ब्याज					
——औविनि अधिनियम की धारा 22 के अधीन जमा					
——अग्रिम प्राप्तियां					
——व्यय से अधिक राजस्व सहित अन्य देयताएं					
प्रावधान					
कराधान के लिए प्रावधान					
——उचंत खाते, जैसे विनियम उचंत में अन्तर, ब्याज उचंत, आदि में रखी गई राशियों के लिए अन्य प्रावधान					
5. स्वीकृतियों पर देयता					
6. निर्धारित निधियां					

अनुसूची "ध"

——————की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों और किए गए निवेशों, ऋणों की दी गई गारन्टियों और इसे द्वारा की गई हामीदारी संविदाओं का वर्गीकरण ।

I. ऋणों का उद्योग-वार वर्गीकरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	उद्योग का प्रकार	संस्थाओं की सं०	मंजूर की गई राशि		
			रुपया ऋण	अन्य मुद्राओं में ऋण (रुपया समकक्ष)	बकाया राशि

II. ऋणों का राज्य-वार वर्गीकरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य या क्षेत्र	संस्थाओं की सं०	मंजूर की गई राशि		
			रुपए	अन्य मुद्रा (रुपया समकक्ष)	बकाया राशि

III. धारा 23(च) के अधीन निवेशों का उद्योग-वार वर्गीकरण
(प्रत्यक्ष अभिदान अथवा खरीद)

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	निवेश का प्रकार	उद्योग का प्रकार	संस्थाओं की सं०	अंकित मूल्य	प्रदत्त मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1. स्टाक							
2. शेयर							
(क) साधारण							
(ख) अधिमान							

IV. धारा 23 (घ) के अधीन निवेशों का उद्योग-वार वर्गीकरण
(हामीदारी दायित्वों को पूरा करने के लिए अर्जित)

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	निवेश का प्रकार	उद्योग का प्रकार	संस्थाओं की सं०	अंकित मूल्य	प्रदत्त मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1. स्टाक							
2. शेयर							
(क) साधारण							
(ख) अधिमान							
3. बांड/डिबेंचर परिपक्वता अवधि							
(क) एक वर्ष के भीतर							
(ख) एक वर्ष के बाद, लेकिन 5 वर्ष के भीतर							
(ग) पांच वर्ष के बाद, लेकिन 10 वर्ष के भीतर							
(घ) 10 वर्ष के बाद, लेकिन 15 वर्ष के भीतर							
(ङ) 15 वर्ष के बाद, लेकिन 20 वर्ष के भीतर							
(च) 20 वर्ष के बाद							

V. धारा 23 (झ) के अधीन अभिदत्त अथवा खरीदे गए डिबेंचरों का उद्योग-वार वर्गीकरण

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	परिपक्वता अवधि	उद्योग का प्रकार	संस्थाओं की सं०	अंकित मूल्य	प्रदत्त मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) एक वर्ष के भीतर						
	(ख) एक वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष के भीतर						
	(ग) 5 वर्ष के बाद लेकिन 10 वर्ष के भीतर						
	(घ) 10 वर्ष के बाद लेकिन 15 वर्ष के भीतर						
	(ङ) 15 वर्ष के बाद, लेकिन 20 वर्ष के भीतर						
	(च) 20 वर्ष के बाद						

VI. धारा 23 (झ) के अधीन निवेशों (डिबेंचरों से भिन्न) का उद्योग-वार वर्गीकरण
(ऋणों या डिबेंचरों के संपरिवर्तन द्वारा अर्जित स्टाक या शेयर)

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	निवेशों का प्रकार	उद्योग का प्रकार	संस्थाओं की सं०	अंकित मूल्य	प्रदत्त मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	स्टाक						
	शेयर :						
	(क) साधारण						
	(ख) अधिमान						

VII. धारा 20 के अधीन निवेश (सरकारी प्रतिभूतियों में)

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	निवेश का प्रकार	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य
1.	भारत सरकार खजाना हुंडियां			
2.	राज्य सरकारों की खजाना हुंडियां			
3.	परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियां :—			
	(क) एक वर्ष के भीतर			
	(ख) एक वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष के भीतर			
	(ग) 5 वर्ष के बाद			
4.	राज्य सरकारों की परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियां :—			
	(क) एक वर्ष के भीतर			
	(ख) एक वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष के भीतर			
	(ग) 5 वर्ष के बाद			
5.				
6.				

VIII. धारा 23(क) (i) के अधीन निगम द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों का उद्योग-वार वर्गीकरण
(सार्वजनिक बाजार में जारी किए गए ऋणों के सम्बन्ध में)

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	उद्योग का प्रकार	संस्थाओं की सं०	राशि

IX. धारा 23 (क) (ii) के अधीन निगम द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों का उद्योग-वार वर्गीकरण (अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अधिसूचित वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में)

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	उद्योग का प्रकार	संस्थाओं की सं०	राशि

X. धारा 23 (ख) के अधीन गारंटी दी गई आस्थगित अदायगियों का उद्योग-वार वर्गीकरण

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	उद्योग का प्रकार	संस्थाओं की सं०	राशि

XI. धारा 23 (ग) के अधीन निगम द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों का उद्योग-वार वर्गीकरण
(विदेशी बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण अथवा उधार व्यवस्था)

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	उद्योगों का प्रकार	संस्थाओं की सं०	राशि	
			विदेशी मुद्रा में	रुपया समकक्ष

XII. धारा 23 (ब) के अधीन निगम द्वारा की गई हामीदारी व्यवस्थाओं का उद्योग-वार वर्गीकरण

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	प्रतिभूति का स्वरूप	उद्योग का प्रकार	संस्थाओं की सं०	राशि
1.	स्टाक			
2.	शेयर :			
	(क) साधारण			
	(ख) अधिमान			
3.	बांड/डिबेंन्चर परिपक्वता :			
	10 वर्ष के भीतर			
	10 वर्ष के बाद लेकिन 15 वर्ष के भीतर			
	15 वर्ष के बाद लेकिन 20 वर्ष के भीतर			
	20 वर्ष के बाद			

अर्ध-वार्षिक

I. ऋणों और अग्रिमों का उनकी मंजूर अवधि के अनुसार वर्गीकरण

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	जितनी अवधि के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं	मंजूर किए गए संचयी ऋण-पिछली अर्ध-वार्षिक विवरणी की तारीख तक		छमाही के दौरान रद्द की गई मंजूरियां		विवरणी की तारीख को समाप्त छमाही के दौरान मंजूर किए गए ऋण		छमाही के अन्त तक मंजूर किए गए ऋण	
		ऋणों की सं०	राशि	ऋणों की सं०	राशि	ऋणों क सं०	राशि	ऋणों की सं०	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	3 वर्ष से कम								
2.	3 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम								
3.	7 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 10 वर्ष तक								
4.	10 वर्ष से अधिक लेकिन 15 वर्ष तक								
5.	15 वर्ष से अधिक								
6.	ऋण, जिसके सम्बन्ध में अदायगी की अवधि अभी तय की जानी है ।								
	जोड़								

अर्ध-वार्षिक

II. अर्जित करने की तारीख से प्रतिधारण अवधि के अनुसार हामीदारी आधार पर प्राप्त किए गए बांड/डिबेंचरों और स्टाक/शेयरों का वितरण (यदि इन शेयरों के सम्बन्ध में कोई अधिकार आरक्षित शेयर लिए गए हों, तो उनको शामिल करके) और बकाया

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	प्रतिभूति का प्रकार	एक वर्ष तक	एक वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	जोड़	टिप्पणी
(क)	बांड/डिबेंचर							
(ख)	अधिमान शेयर							
(ग)	साधारण शेयर							
(घ)	स्टाक							

टिप्पणियां : 1. अधिकार आरक्षित शेयर मूल शेयरों की प्रतिधारण अवधि के अनुसार ही वर्गीकृत किए जाने चाहिएं ।

2. बांड इत्यादि का बही मूल्य, वर्तमान बाजार मूल्य सहित प्रस्तुत किया जाए जिसे कोष्ठक में अलग से दिखाया जाए ।

वार्षिक

I. ----------को समाप्त वर्ष के दौरान केवल एक संस्थान के साथ भागीदारी में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कवल ऋण के रूप में मंजूर की गई सहायता

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	संस्थान का नाम	परिचालनों की सं०	मंजूर की गई कुल राशि	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का भाग		
				मंजूरियां	संवितरण----तक संवितरण	कुल (संचयी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक					
2.	भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि०					
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम					
4.	भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम					
5.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट					
6.	राज्य वित्तीय और औद्योगिक विकास निगम					
7.	बैंक					
8.	अन्य (उल्लेख करें)					

टिप्पणियां : 1. केवल संवितरित किए गए कुल ऋण और हामीदारी राशि दर्शाई जाए । पहली विवरणी में संचयी आंकड़े दिए जाने चाहिएं और उसके बाद वाली विवरणियों में विवरणी के वर्ष से सम्बन्धित आंकड़े दिए जाने चाहिएं ।

2. वर्ष के दौरान संवितरणों में कुछ ऐसी संस्थाओं को किए गए आंशिक संवितरण भी शामिल किए जाएं जिनके लिए पूर्ववर्ती वर्षों में संवितरण पहले ही किए जा चुके हों ।

वार्षिक

II----------को समाप्त वर्ष के दौरान अन्य संस्थानों के साथ भागीदारी में भारतीय औद्योगिक, वित्त निगम द्वारा सहायता (जिसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सिवाय एक से अधिक संस्थान शामिल हों)

(रुपये, लाखों में)

सारणी क—ऋण

क्रम सं०	परिचालनों की सं०	मंजूर की गई कुल राशि	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का भाग			अन्य संस्थाओं की भागीदारी की सीमा							
			मंजूरियां	संवितरण	तक कुल संवितरण	भा०औ० वि०बैंक	भा०औ० सा० एवं नि० निगम	जी० बी० नि०	सा० बी० नि०	भा० यू० ट्रे०	राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्यो-गिक विकास निगम	बैंक	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

वार्षिक

II----------को समाप्त वर्ष के दौरान अन्य संस्थानों के साथ भागीदारी में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा सहायता

सारणी ख—हामीदारियां

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	संस्थाओं की सं०	भागीदारी संस्थान									
		हामीदारी की गई कुल राशि	भा०औ० वि०नि०	भा०औ० वि० बैंक	भा०औ० सा०एवं नि० निगम	जी० बी० नि०	सा० बी० नि०	भा० यू० ट्रे०	राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम	बैंक	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

वार्षिक

3.----------को समाप्त वर्ष के दौरान ऋणों के रूप में तथा डिबेंचरों, शेयरों आदि की खरीद के लिए अभिदानों के रूप में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता का विवरण

(रुपये, लाखों में)

क्रम सं०	सहायता का विवरण	संस्थाओं की सं०	राशि					
			विदेशी मुद्रा ऋण			अभिदान		
			रुपया ऋण	विदेशी मुद्रा	रुपया समकक्ष	साधारण शेयर	अधिमान शेयर	बांड डिबेंचर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क)	केवल रुपया ऋण							
(ख)	केवल विदेशी मुद्रा ऋण							
(ग)	रुपया और विदेशी मुद्रा, दोनों में ऋण							
(घ)	दोनों प्रकार के ऋण (रुपया और विदेशी मुद्रा) तथा, बांडों/डिबेंचरों/शेयरों में अभिदान							

टिप्पणियां : 1. केवल संवितरित किए गए कुल ऋण और निगम द्वारा लिए गए डिबेंचर/शेयर ही दिखाए जाएं।

2. पहली विवरणी में संचयी आंकड़े और बाद की विवरणी में विवरण से सम्बन्धित वर्ष के आंकड़े दिखाए जाएं।

वार्षिक

IV----------को समाप्त वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा, औद्योगिक संस्थाओं के बांडों डिबेंचरों, अधिमान शेयरों और साधारण शेयरों और स्टाक की खरीद के लिए किए गए अभिदान का राज्यवार वितरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य या क्षेत्र	संस्थाओं की सं०	सहायता का प्रकार		
			अभिदान *खरीद		
			बांड डिबेंचर	अधिमान शेयर	साधारण शेयर
1	2	3	4	5	6

*हामीदारी के माध्यम से अर्जित किए गए बांड, शेयर इत्यादि सम्मिलित हैं।

टिप्पणियां : 1. निगम द्वारा लिए गए कुल शेयरों डिबेंचरों को दिखाया जाए।

2. पहली विवरणी में संचयी आंकड़े और उसके बाद की विवरणी में विवरणी से सम्बन्धित वर्ष के आंकड़े दिखाए जाएं।

औद्योगिक वित्त निगम अधिकारी (कर्मचारी) (सेवा निवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र की संस्थाओं में नियोजन का प्रतिग्रहण) विनियम, 1978

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भाऔंवि बैंक) के पूर्व अनुमोदन से औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की उपधारा (2) खंड (ट) के साथ पठित धारा 43(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाए हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. I इन विनियमों को औद्योगिक वित्त निगम अधिकारी (कर्मचारी) (सेवा निवत्ति के बाद निजीक्षेत्र की संस्थाओं में नियोजन का प्रतिग्रहण) विनियम, 1978 कहा जाएगा ।

II ये विनियम 9 अगस्त, 1978 से लागू होंगे ।

2. प्रयोज्यता

ये विनियम निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों को छोड़कर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारिवृन्द विनियम, 1974 के विनियम–7 में यथापरिभाषित निगम के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों पर लागू होंगे :—

(i) जो नैमित्तिक नियोजन में हैं,

(ii) ठेके पर कार्यरत अधिकारी ।

3. परिभाषाएं :

इन विनियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों का अभिप्राय है, ऐसे व्यक्ति जो निगम में पर्यवेक्षक, प्रशासकीय या प्रबंधकीय पद पर कार्यरत हैं या नियुक्त किया गया अन्य कोई व्यक्ति और या जिसे उसकी सेवानिवृत्ति, चाहे उसका पदनाम कुछ भी क्यों न हो, के समय निगम के अधिकारी के रूप में कार्यरत था ।

(ख) "निगम" से अभिप्रेत औविनि अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है ।

(ग) "बोर्ड" से अभिप्रेत निगम का निदेशक बोर्ड है ।

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित उच्चाधिकार समिति है ।

(ङ) "निजी संस्था में नियोजन" से अभिप्रेत है किसी कम्पनी, सहकारी समिति, फर्म अथवा व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिक वित्तीय या व्यावसायिक कारोबार में लगे व्यक्ति के अधीन एजेंट सहित किसी भी हैसियत से नियोजन और ऐसी फर्म में भागीदारी, परन्तु इसमें सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः धारित अथवा नियंत्रित किसी निगमित संकाय में नियोजन सम्मिलित नहीं है ।

4. यदि कोई वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिकारी निगम की सेवा से अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख से दो वर्षों में किसी भी समय निजी संस्था में नियोजन स्वीकार करना चाहे तो वह इस सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त निगम के सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन लेगा ।

5. निगम की सेवा से सेवा निवृत्त सभी कर्मचारियों की वाणिज्यिक नियुक्ति महाप्रबन्धक, संयुक्त महाप्रबन्धक (प्रशासन विभाग के प्रभारी) और विधि सलाहकार से गठित उच्चाधिकार समिति द्वारा विनियमित की जाएगी ।

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 18th February 1988

NOTICE

No. SBD/000534.—In terms of Section 29(1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of the State Bank of Hyderabad and with the approval of Reserve Bank of India, have appointed Shri M. C. Sharma as Managing Director of the State Bank of Hyderabad for a further period of one year as from 28th February 1988 to 27th February 1989 (both days inclusive).

The 25th Febrbary 1988

No. BM/26/29.—Thirty-Third Annual General Meeting of the State Bank of India will be held at Technical Teachers' Training Institute (Western Region), Shamla Hills, Bhopal 462 002, on Thursday, the 21st April 1988 at 4.00 p.m. for the transaction of the following business :

To receive the Central Board's Report, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made up to the 31st December 1987 and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

D. N. GHOSH
Chairman

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

New Delhi-110 002, the 19th February 1988

No. 1-CA(7)/160/87.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has made the following amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, the same having been previously published and approved by the Central Government as required under sub-section (3) of the said section.

In th esaid Regulations, for the existing Regulation 63, *substitute* the following :—

"63. *Number of members to be elected* :

(1) The number of members to be elected from each regional constituency shall be one member for such number of members in the constituency as may be determined by dividing the total number of members as determined in accordance with sub-regulation (4) by the maximum number of members to be elected to the Council as provided in sub-section (2) of Section 9.

(2) In case the resultant number of members for each constituency, after being added up in terms of the absolute number without considering the fraction, is less than the maximum number as provided in sub-section (2) of Section 9, the fraction in respect of the region with the highest fraction will be counted as one. In case the total is still less than the maximum number, the fraction in respect of the region with the next highest fraction will be counted as one. This process will be continued until the total is equal to the maximum number of members to be elected under sub-section (2) of Section 9.

(3) In case the resultant number of members for each constituency, after being added up, is less than the maximum number of members and there are more than one regional constituency with exactly the same fraction the constituency with a higher number of members will have precedence in the matter of conversion of the fraction into one.

(4) The total number of members referred to in sub-regulation (1), shall be determined with reference to the number of members in the list of members published under sub-section (3) of Section 19 in the year immediately preceding the year in which the election is to be held.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), each constituency shall have at least two persons elected therefrom to the Council."

The 23rd February 1988

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(7)/129/82.—The following draft of certain amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, which it is proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949), is published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken up for consideration on or after 20-4-1988.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the specified date will be considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

In the said Regulations :—

For the existing regulation 32B, the following regulation shall be substituted :—

"32B. *Stipend to Articled Clerks*

(1) Every member engaging an articled clerk shall pay to such clerk every month a minimum monthly stipend at the rates specified below depending on where the normal place of service of the articled clerk is situated :—

Situation of Normal place of service of the articled clerk	During 1st year of traing	During 2nd year of traing	During the remaining period of traing
(a) Cities with population of two million and above.	Rs. 150/-	Rs. 225/-	Rs. 300/-
(b) Cities/Towns other than those having population of more than two million	Rs. 100/-	Rs. 150/-	Rs. 225/-

Provided that an additional stipend of Rs. 50/- per month shall be paid to the articled clerk on his passing the Intermediate examination under these Regulations, from the first day of the month following the date of declaration of the result irrespective of above classification of rates of stipend with reference to cities/towns.

Provided further that nothing contained in this regulation shall entitle an articled or audit clerk registered with effect from a date prior to 1st July, 1973 to any stipend under this regulation.

Explanation 1 : For the purpose of determining the rate at which stipend is payable under this regulation, the period of articled training of the clerk under any previous employer or employers (not being any such period prior to 1st July, 1973) shall also be taken into account.

Explanation 2 : For the purpose of this regulation, the figures of population shall be taken as per the last published Census Report of India.

(2) The stipend under this regulation shall be paid by the member to the articled clerk either (a) by a crossed account payee cheque every month against a stamped receipt to be obtained from the articled clerk; or (b) by depositing the amount every month in an account opened by the articled clerk in his own name with a branch of the bank to be specified by the member.

Note :—The rates of stipend contained in the above notification were made a part of Regulation 32B of the Chartered Accountants Regulations, 1964, w.e.f. 1-8-1984 after obtaining the approval of the Central Government thereto. Certain writ petitions were filed before the Hon'ble High Court at Madras (being Writ Petition Nos. 8781, 9039, 9040, 9431, 9432 and 12004 of 1984). The Hon'ble High Court in its order dated 20th October, 1987 has directed that the notification should be published for public comments as required under sub-section (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, the above notification is being published for comments to comply with the Court's order.

It may be mentioned in this connection that the Council proposes to further increase the rates of stipend with effect from 1st July, 1988 as per Notification No. 1-CA(7)/162/88 dated 23rd February, 1988 published in this issue."

No. 1-CA(7)/162/88.—The folowing draft of certain amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, which it is proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949), is published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken up for consideration on or after 20-4-1988.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the specified date will be considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

In the said Regulations :—

For the existing sub-regulation (1) of Regulation 32B, *substitute* the following with effect from 1st July, 1988 :—

"(1) Every member engaging an articled clerk shall pay to such clerk every month a minimum monthly stipend at the rates specified below depending on where the normal place of service of the articled clerk is situated :—

Situation of normal place of service of the articled clerk	During the 1st year of training	During the 2nd year of training	During the remaining period of training.
	Rs.	Rs.	Rs.
(a) Cities/towns with population of 20 lakhs and above.	225/-	350/-	450/-
(b) Cities/towns having a population of 3 lakhs and above but less than 20 lakhs.	150/-	225/-	350/-
(c) Cities/towns having a population of less than 3 lakhs.	125/-	175/-	250/-

Provided that an additional stipend of Rs. 100/- per month shall be paid to the articled clerk on his passing the Intermediate examination under these Regulations, from the first day of the month following the date of declaration of the result irrespective of above classification of rates of stipend with reference to cities/towns.

Provided further that nothing contained in this regulation shall entitle an articled or audit clerk registered with effect from a date prior to 1st July, 1973 to any stipend under this regulation.

Explanation 1.—For the purpose of determining the rate at which stipend is payable under this regulation, the period of articled training of the clerk under any previous employer or employers (not being any such period prior to 1st July, 1973) shall also be taken into account.

Explanation 2.—For the purpose of this regulation, the figures of population shall be taken as per the last published Census Report of India".

R. L. CHOPRA
Secretary

Calcutta-700 071, the 12th February 1988

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/8/12/87-88.—In pursuance of Regulation 10(1)(iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate/s of Practice issued to the following members have been cancelled as they do not desire to hold the same :—

Sl. No.	Membership Number	Name & Address	Date of Cancellation
1.	10807	Shri Sankar Prasanna Mukhopadhaya, FCA 13, Jubilee Park, Calcutta-700 033.	1-4-87
2.	53021	Shri Debasis Nawn, ACA 98/27, Gopal Lal Tagore Road, Calcutta-700 036.	21-1-88
3.	53309	Mrs. Sujata Saha, ACA 248, S.N. Roy Road, Calcutta- 700 038.	4-6-87

The 19th February 1988

(CHARTERED ACCOUNANTS)

No. 3ECA/5/14/87-88.—With reference to the Institute's Notification No. 3FCA|4|10|86-87 and 3ECA|4|11|86-87 dated 27-2-87 and 31-3-87, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members the name/s of the following member/s with effect from the date/s mentioned against their name/s :—

Sl. No.	Member-ship No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	7875	Shri Ram Ratan Das, ACA 10, Pymers Mead, Croxted Road, West Dulwich, London SE21 8NQ.	22-12-87
2.	50194	Shri Mantu Lal Saha, ACA 1711-2560 Kingston Road, Scarboroough, Ontario, Canada M1M 1L8.	14-1-88

R. L. CHOPRA
Secretary

Madras-600 034, the 1st February 1988

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(4)/12/87-88.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) Sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1	2	3	4
1.	2559	Shri S. Venkatasubrahmanyan, 35, Naicker New Street, Madurai-625 001	26-01-88
2.	2622	Shri T. K. Mallinathan 'Jayam' No. 3, 6th Cross Street, Indiranagar Madras-600 020	22-10-86

1	2	3	4
3.	3157	Shri R. Annaji Rao, 51, Unity House Abids Hyderabad-500 001	02-12-87
4.	19856	Shri S. Raghuramaurthy, D. No. 6-2-77 2/3, Arudelpet Guntur-522 002	15-12-87
5.	25624	Shri V. Kumar, 31, Lakshmanan Street Mahalingapuram, Madras-600 034	10-01-88
6.	82359	Shri Ambady Narayanan Vijaya kumar, XXX/97, "Aswathi" Poonkunnam Trichur-680 002 Kerala	02-09-86

No. 3SCA(4)/13/87-88.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (c) Sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of non-payment of the prescribed fees with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	M No.	Name & Address	Date of Removal
1.	5949	Shri C.K. Philipose Chempakanallore Payyappady Kottayam-686 034 Kerala State	01-08-87
2.	8474	Shri M. Sundaresan, C/o. ZTRS P. O. Box 32581 Lusaka—Zambia	01-08-85
3.	19122	Shri A. Ramasubramanian, Plot No. 102, Upstairs Srinagar Colony Hyderabad-500 873	01-08-87
4.	19835	Shri T.V. Satchidanandan, 81-B, Kamaraj Avenue Adyar Madras-600 020	01-08-85
5.	21564	Shri N. Suryanarayanan, 'May Flower' 73, V.M. Street Royapettah Madras-600 014	01-08-87
6.	80910	Shri T. James Samuelraj, 61, Ponnappa Mudaly Street Purasawalkam Madras-600 084	01-08-87

No. 3SCA(4)/14/87-88.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (c) Sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 1st February 1988 on account of non-payment of the prescribed fees, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	M. No.	Name & Address
1.	22417	Shri A. Vasantharajan, 51, Alarmelmangapuram Mylapore Madras-600 004
2.	22426	Shri C.S. Krishnaswamy, 41, 2nd Cross Street Ramanakrishnanagar Madras-600 028
3.	23738	Shri B. Mohammed Iqbal, No. 27, II Floor Silver Jubilee Park Road Bangalore-560 002

The 12th February 1988

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(8)/13/87-88.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold their Certificate of Practice :—

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Dates
1.	2226	Shri S. Sankara Subrahmani, ACA, 3, 1 Cross Karpagam Gardens Adyar, Madras 600 020.	31-07-1987
2.	9627	Shri Kandathil Chandy Babu, ACA Chief Accountant Lesotho National Insurance Co. Ltd. P. Bag A-65 Maseru, Lesotho.	31-07-1987
3.	21991	Shri S. Mani, ACA 13, Malavia Street Ramnagar Coimbatore 641 009.	31-07-1987
4.	22564	Shri T.M. Jose, ACA Kanakkapillil House Cherayil Ambalapuzha P. O., Alleppey Dist., Kerala.	05-10-1987
5.	23518	Shri R. Santosh, ACA. International House Manasagangothri Mysore-570 006.	31-07-1987
6.	26716	Shri P.S. Margabandu, ACA. 22-A, Third Street Postal Colony West Mambalam Madras-600 033.	14-09-1987
7.	26798	Shri B. Ravisankar, ACA 4/30, Kannagi Street, Vinayakapuramt Ambattur, Madras-600 053.	11-01-1988
8.	32810	Shri Shivaputra Linganagouda Patil, FCA, Deputy Manager (Finance & Accounts) SILK FILATURE KSIC Ltd. T. Narasipura, Mysore Distt. Pin 571 124.	01-09-1987

No. 3SCA(8)/14/87-88.—In pursuance of Regulations 10(1) (iv) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from dates mentioned against their names, as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice :—

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Dates
1.	5949	Shri C.K. Philipose, FCA Chempakanallore, Payyapaddy, Kottayam-686 034.	01-08-1986
2.	13227	Shri K. Suresh Rao, FCA Bahrain National Oil Co., Room No. 202, P.O. Box 25504, Awali—Bahrain.	01-08-1986
3.	14224	Shri N. Shamanna, ACA 81, Fifty Feet Road, Hanumantha Nagar, Bangalore-560 019.	01-08-1985
4.	14715	Shri Babu Ninan, FCA, M/s. Zambia National Building Society, P.O. Box 30420, Lusaka, Zambia.	01-08-1986
5.	19957	Shri J.P.A. Jebarajan, ACA, 19, 10th Avenue, Ashok Nagar, Madras-600 083.	01-08-1986
6.	20685	Shri Mahendra Kumar Sharma, ACA, A/11, 2nd Floor, Abid Shopping Centre, Chirag Ali Lane, Hyderabad-500 001.	01-08-1981
7.	21292	Shri P.B. Murali, ACA, 31, Car Street, Triplicane, Madras-600 005.	01-08-1983
8.	21527	Shri Joseph Melookaran, ACA, 7605, FLINT/E, Shawnee, KANSAS-66214, U.S.A.	01-08-1984
9.	23092	Shri B.R. Rangarajan, ACA, 45, Third Main Road, R.A. Puram, Madras-600 028.	01-08-1986
10.	32760	Shri P.L. Anantharam, ACA, 139, Srinagar Colony, Hyderabad-500 873.	01-08-1984
11.	37045	Shri Santosh Ranganath Belavadi, ACA, 261, Hindwadi, Near Gurudev Mandir, Belgaum-590 011.	01-08-1986
12.	51144	Shri P.C. Shah, ACA, M/s. Andhra Oxygen P. Ltd., Industrial Development Area, Visakhapatnam-530 012.	01-08-1986
13.	80982	Shri V Krishna Kumar, Chief Accountant, Abdul Aziz Yousuf Essa & Co., P.O. Box 3562 SAFAT, KUWAIT.	01-08-1986

The 19th February 1988

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(5)/15/87-88.—With reference to this Institute's Notification Nos. 3SCA(4)/10, 86-87 dated 27th February, 1987 and 4SCA(1)/8/77-78 dated 13th February, 1978, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date for Restoration
1.	10952	Shri K. Mohana Rao, ACA, Dy. General Manager (Accts.) A.P. Heavy Machinery & Engg. Ltd. Kondapalli-521 228.	11-12-1987
2.	14494	Shri R.N. Prabhu, ACA, M/s. Zesco Ltd., P.O. Box 71334, NDOLA, ZAMBIA.	18-01-1988
3.	19523	Shri Hemendra Kumar Kankaria, FCA, Chartered Accountant, 1-2-593/7, Gaganmahal Colony, Hyderabad-4500 029.	18-01-1988

R. L. CHOPRA
Secy.

Kanpur-208 001, the 27th January 1988

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3-CCA(5)/(13)/87-88.—With reference to this Institute's Notification No. 3-CCA(4)/(6) 86-87 dated 28-1-1987 it is hereby notified in persuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members the name of the following Member with effect from the date mentioned against his name :—

Sl. No.	Membership Number	Name & Address	Date
1.	8576	Shri Ram Bharosey Lal Vaish, ACA, Manager Sales L.I.C. of India, Pandari, RAIPUR-492 004.	8-1-88

R. L. CHOPRA
Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 15th February 1988

No. R-12/19/5/75.INS.I.—In exercise of the powers under Regulation 75 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 read with Resolution of the Employees' State Insurance Corporation dated 14th December, 1980, the Director General, Employees' State Insurance Corporation has constitued another Medical Board for the purpose of Section 54 and 54-A of the ESI Act as under :—

1. The Medical Superintendent ESI Hospital Jhilmil Delhi—Chairman.
2. Surgical Specialist, ESI Hospital, Jhilmil, Delhi—Member.

3. Orthopaedic Specialist, ESI Hospital, Jhilmil, Delhi—Member.

The Chairman is authorised to co-opt any other specialist as a member of the Board in lieu of or in addition to the Orthopaedic and Surgical Specialist from any ESI Hospital in Delhi if necessary, depending upon the nature of disablement from which insured person to be examined is suffering.

Jurisdiction : The Board will have jurisdiction throughout the Union of Delhi and the Districts of Ghaziabad and Bulandshahar in the State of Uttar Pradesh and Faridabad

N. VYAS
Insurance Commissioner

New Delhi, the 10th February 1988

No. N-15'13|7|4|87-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16th February, 1988 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

"The areas comprising revenue Village Thribal (survey Nos. 64 65, 68 69, 87, 88, 89, 90|1, & 92) and KIADB Industrial Area under Hobli and Taluk Hubli in District Dharwar."

HARBHAJAN SINGH
Dir. (Plg. & Dev.)

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 17th February 1988

No. UT|507|DPD|(P&R)105|Vol.1|87-88.—The provisions of the Parents' Gift and Growth Fund Unit Scheme-1987 formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 and approved by the Board in the meeting held on October 17, 1987 are published herebelow for general information :

THE PARENTS' GIFT AND GROWTH FUND UNIT SCHEME—1987

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) the Unit Trust of India hereby makes the following Unit Scheme :

OBJECTIVES

(i) An applicant shall exercise one of the two options as under while making an application under the Scheme. Under this Scheme an applicant shall receive an Income Distribution made by the Trust every half year on 30th June and 31st December each year which without being paid out shall be reinvested and applied for the purchase of further units at par during the period opted for.

(ii) The option which the applicant can exercise would be to switch over from this Scheme to any other Monthly Income Unit Scheme (MIS), at the end of the fourth or fifth year from the month of his entry in this Scheme when the units under such MIS are on sale. When the option is actually exercised the amount standing to the credit of the unitholder consisting of the original investment in units, the reinvested units and any other sums paid will be applied to acquire units under the nearest available MIS the sales of units of which are on. Every applicant|beneficiary shall exercise one of the following options.

An applicant has three alternatives under the Scheme

Alternative A :

An applicant under the Scheme can make an irrevocable investment in units of the Scheme in favour of another person who will be the sole beneficiary to the amount, appreciation, Income under the MIS and whom the Trust will recognise as the holder of the units.

When an irrevocable investment has been made, the unitholder could withdraw from this Scheme at the expiry of the 4th or 5th year as opted for without conversion into the MIS. The option or options exercised while applying is irreversible and final. However, in case of exigencies the beneficiary (unitholder) will be allowed to withdraw at the end of the 4th or 5th year even if a choice has been made to continue under the MIS after the expiry of the 4th or 5th year.

Alternative B :

An applicant can make an investment in units in his own name and appoint in the application form the person who would receive only the income distribution after conversion of the accumulated amount during the first 4 or 5 years of this Scheme into a MIS. Appreciation in value if any on the maturity of the MIS would however be payable to the applicant alongwith the monies invested. Besides the beneficiary appointed to receive such income distribution under the MIS, the applicant has a further right to nominate any other person to receive the proceeds of the units standing to his credit in the event of his death during the currency of this Scheme or the MIS.

Alternative C. :

An applicant can make a provision for himself by investing in units in his own name. The investment will be in his name for his benefit and he will continue for the entire term namely the 4 or 5 year period under this Scheme and also in the nearest MIS after the expiry of the 4th or 5th year under this Scheme. He cannot withdraw after participation under this Scheme.

I. *Short title and commencement* :

(1) This Scheme shall be called "The Parents Gift and Growth Fund Unit Scheme 1987".

(2) It shall come into force on the 15th day of December, 1987.

(3) Units will be on sale throughout the year (except for a month when the books will be closed for accounts purposes).

(Provided that the Chairman or the Executive Trustee may susnend the sale of units under the Scheme at any time by giving a week's notice in such newspapers as may be decided).

II. *Definitions* :

In this Scheme, unless the context otherwise requires—

(a) the "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;

(b) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(c) "applicant" an applicant under the Scheme means an investor himself or an investor who makes an irrevocable investment in units for the benefit of another person;

(d) "beneficiary" a person entitled to units under this Scheme or one appointed to receive the income under the MIS;

(e) "Company" means a company established under the Companies Act 1956 and includes a body corporate established under any Act for the time being in force in India;

(f) "eligible parent" means any parent who has been made the beneficiary under the Scheme;

(g) "eligible Trust" a Trust defined under the Regulation;

(h) "Monthly Income Scheme (MIS)" means such MIS as the Trust may from time to time hereafter launch as the applicant or beneficiary is capable of joining;

(i) "number of units issued" means the aggregate of the number of units sold and outstanding;

(j) "recognised stock exchange" a stock exchange which is for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 (42 of 1956);

(k) "Registered Society" means a Society registered under the Societies Registration Act of 1860;

(l) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act;

(m) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees one hundred in the unit capital;

(n) "unitholder" is a person in whose favour an irrevocable investment in units has been made or the applicant himself but does not include the person appointed to receive income under MIS.

(o) all other expressions not defined herein but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

(p) all references to the masculine gender shall include the feminine gender.

III. *Face value of each unit*

The face value of each unit shall be 100 rupees.

IV. *Application for units*

1. Applications for units may be made by the following classes of persons.

(i) an individual;

(ii) Companies or bodies corporate; eligible Trusts, Trusts, Regd. Societies;

(iii) Any State Government or Central Government pursuant to an arrangement entered into with the Trust;

2. Applications shall be made in such form as may be approved by the Chairman of the Trust.

3. Applications shall be for a multiple of 10 units subject to a minimum of 10 units.

4. (i) The payment for the units shall be made by an applicant alongwith the application form by—

(a) Cash;

(b) Cheque and drafts should be drawn on branches of banks within the city where the office at which the application is tendered, is situated;

(c) by necessary endorsement on the application form in case of applicants under sub-clause 1(iii) .

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised be the date on which the cheque is received by the Trust or by a designated branch of an authorised bank. If payment is made by draft or postal the acceptance date will, subject to such draft or postal order being realised, be the date of issue of such draft or postal order provided the application is received by the Trust or a designated branch of an authorised bank within a reasonable time. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant/unitholder shall be issued such lower number of units as could be issued under the Scheme, the balance due to him shall be refunded to him at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) A unit certificate will be sent by registered post with or without acknowledgement due to the address given by the applicant; and the Trust will not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the unit certificate; so sent.

V. *Sale of units*

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust, shall, as soon thereafter as possible, send the applicant an acknowledgement thereof. As soon as possible thereafter, the Trust shall issue to the applicant/unitholder one unit certificate representing the units sold to him or, if the applicant so desires, such number of certificates for such denomination in multiples of 10 as he may specify, provided each certificate shall be for a minimum of 10 units.

VI. *Sale and Repurchase prices of units*

The price at which a unit will be sold by the Trust (hereinafter referred to as the "Sale Price") and the price at which a unit will be repurchased by the Trust (hereinafter referred to as "Repurchase Price") shall be at par i.e. at Rs. 100 per unit.

Provided however the Trust shall not sell or repurchase units during such period when the Registers of the unitholders are closed for purposes of accounts.

Notwithstanding anything to the contrary contained above when the Trust is satisfied that in the interest of the Trust, the unitholders and of the continuance and growth of the Scheme, it is necessary or expedient to do so, the Trust may determine the sale price or repurchase price or both at a rate which may not necessarily be at par and any such determination shall be deemed to be in the interest of the Trust and the unitholders.

VII. *Repurchase of units*

(1) The Trust shall not repurchase units before 14th December, 1991.

(2) The Trust shall on and after 15th December, 1991 repurchase at par on receipt of the unit certificate/s with the form units comprised in the certificate/s are tendered for repurchase.

(3) Payment for units repurchased by the Trust after deductions if any shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

VIII. *Restrictions on sale and repurchase of units*

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme, the Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units —

(i) on such days as are not working days;

(ii) during the period when the register of unitholders is closed in connection with (as notified by the Trust) the annual closing of the books and accounts.

Explanation : For the purposes of this Scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or (ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

IX. *Form of unit certificate*

Unit certificates shall be in such form as approved by the Chairman. Each unit certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the certificate and the name of the unitholder.

X. *Manner of preparation of unit certificate*

The unit certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board may from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No unit certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon, may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Trust. Provided that should the unit certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the certificate, the Trust may be a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The unit certificate so issued shall also be valid.

XI. *Trusts not to be recognised regarding unit certificates*

The person who is registered as the holder and in whose name a unit certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such unit certificate and the units which it represents; and the Trust may recognise such unitholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take notice of the execution of any trust or, save as herein expressly provided or as by some court of competent

jurisdiction ordered, to recognise any trust or equity or other interest affecting the title to any unit certificate or the units thereby represented.

XII. *Exchange of unit certificates and procedure when certificate is mutilated, defaced, lost etc.*

(1) In case any unit certificate shall be mutilated or worn or defaced, the Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new unit certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or worn or defaced unit certificate. In case any unit certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, in its discretion, issue to the person entitled a new unit certificate in lieu thereof. No such unit certificate shall be issued unless the applicant/unitholder shall previously have —

(i) furnished to the Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original unit certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Trust the mutilated or worn out or defaced unit certificate; and

(iv) furnish to the Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any certificate under the provisions of this clause, the Trust may require the applicant/unitholder for the unit certificate to pay a fee of Rupee one per unit certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such certificates.

XIII. *Register of unitholders*

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders/applicants :

(1) A register of the unitholders shall be kept by the Trust at its offices and there shall be entered in the register :

(a) the names and address of applicants;

(b) the names and addresses of the beneficiaries;

(c) the distinctive number of the unit certificate and the number of units held by every such person;

(d) the date on which such person became the holder of the units standing in his name; and

(e) any lien as may be permitted to be recorded;

(2) Any change of name or address on the part of an applicant/unitholder shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any unitholder without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 60 days in any one year: the Trust shall give notice of such closure by advertisement in such newspapers as the Board/or Committee may direct.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XIV. *Receipt by unitholder to discharge Trust*

The receipt of the unitholder for any moneys paid to him in respect of the units represented by the certificate shall be a good discharge to the Trust.

XVI. *Death or bankruptcy of a unitholder*

(1) Where nomination has been made the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units under the Regulations or continue in the Scheme as the case may be.

(2) In the absence of a valid nomination the Executor or administrators of the deceased unitholder or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(3) Any person becoming entitled to a unit consequent upon the death or bankruptcy of a unitholder during the currency of the Scheme may upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased at par on the date on which all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

XVII. *Transfer of units*

No transfer of units will be permitted under the Scheme. The Trust shall however record a lien in its books if any certificate has been pledged with a Bank for loans availed.

XVIII. *Nomination*

(a) Where the applicant has made an irrevocable investment in favour of the beneficiary, the beneficiary has a right to make, substitute or cancel a nomination to the extent provided in the General Regulations.

(b) Where the applicant has complete control over the investment in units and indicates the name of the person to receive the Income Distribution after conversion of the accumulated amount into units of the MIS, the applicant has a right to nominate any other person to receive the proceeds in the event of his death as provided in the General Regulation.

(c) Where the applicant has made an investment in units in his own name he has the right to make substitute or cancel a nomination to the extent provided in the General Regulations. Except individual unitholder/applicant no other person is entitled to make a nomination.

XIX. *Investment limits*

(1) Investments by the Trust from the funds of the Scheme in the securities of any one company shall not exceed 15% of the securities issued and outstanding of such companies.

Provided that the aggregate of such investments in the capital initially issued by new industrial undertakings shall not at any time exceed 5% of the total amount of the said funds.

(2) The limits prescribed under Sub-clause (1) shall not apply to investments of the Trust in bonds, deposits and debentures of a company whether secured or not.

XX. *Income and other Distributions*

The Trust shall pay divident @ 12.5% per annum to the unitholders under the Scheme which shall be payable as enumerated hereafter.

(1) Dividened will be payable every half year ending 31st December and 30th June to those whose names stood on the register of unitholders as on the above dates. The income distributable shall be made as soon as may be after the expiry of the relevant half year.

(2) Devidend will be paid for a full year or on prorata basis for the broken period calculated from the months of entry into the Scheme to the nearest completed year.

A unitholder participating under the Scheme will not receive the dividend half yearly, but will authorise the Trust to reinvest the dividend every half year deemed to have been distributed on the units purchased by him, by purchase of further units at par on the 1st of July and 1st of January each year during his stay in the Scheme. The Trust will, however, forward to the unitholder, under this Scheme a statement showing the units originally purchased by the unitholder/applicant and the units acquired through reinvestment of dividends. The Trust's year for the said purpose will be july to June.

(3) Completion of the option period of 4 or 5 years will be calculated from the month of entry into the Scheme. For the broken period if any from the completion of 4 or 5 years till the switchover into a MIS, the Trust shall pay on the original investment in units and accrued units a compensation which will be at the rate of 12½%.

(4) Over and above the cumulation of units under the Scheme and the compensation paid for the broken period from the completion of the 4th or 5th year till switch over to the nearest MIS, the Trust may distribute appreciation at the expiry of the 4th or 5th year at such rates as it may determine on the accumulated units. Such distribution based on the period of holding will be proportionate to units held and may be made depending on income, reserves and other relevant considerations including the interest of existing unitholders.

XXI. *Publication of accounts*

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board, showing the working of the scheme during the period ending on the 30th June. The Trust shall, on a request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts so published.

XXII. *Additions and amendments to Scheme*

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and any amendment thereof will be notified in the Official Gazette.

XXIII. *Termination of the Scheme*

The Trust reserves the right to terminate the Scheme by giving a week's notice in atleast two leading English newspapers.

In the event of a termination of the Scheme in the manner as specified hereof the Trust shall determine the repurchase price by valuing the assets pertaining to the Scheme as it the close of business on the date notified for termination reduced by the liabilities pertaining to the Scheme and dividing them by the number of units outstanding and deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust is adequate to cover brokerage, commission, taxes, if any, stamp duties and other charges in relation to realisation of investments by the Trust and other adjustments and the expenditure in connection with the closure and payment of the distribution to the unitholders of the assets in respect of the Scheme. In such an event the repurchase prices shall in addition to the par value bear the other distributable component of the asset per unit arrived at by the Trust in a manner satisfactory to its auditors and as the Board may approve.

XXIV. *Scheme to be binding on unitholders*

The terms of this Scheme including any amendments thereof from time to time, shall be binding on each unitholder and even other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding.

XXV. *Suspension or closure of sales*

Sale of units under this Scheme may be suspended or closed by the Trust at any time after giving notice of seven days in important daily newspapers of its intention to do so.

XXVI. *Copy of Scheme to be made available*

A copy of this Scheme incorporating all amendments thereto shall be made available for inspection at the offices of the Trust at all times during its business hours on payment of a sum of Rs. 5/-.

XXVII. *Benefits to the unitholders*

All benefits accruing under the Scheme in respect of capital reserves and surpluses if any available at the time of the closure of the scheme shall be distributable only among the unitholders who hold the units at its closure.

XXVIII. *Power to construe provisions*

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme, Chairman or in his absence the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be final and conclusive.

XXIX. *Relaxation/Variation/Modification of provisions*

The Chirman or in his absence the Executive Trustee of the Trust in order to mitigate hardships or for smooth and easy operation of the Scheme, relax, vary or modify any of the provisions of the Scheme in case of any unitholder, or class of unitholders upon such conditions as may be deemed expedient.

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963
Parents Gift Growth Fund Unit Scheme, 1987)

Unit Certificate No.

No of Units

Option
A/B/C

Period of holding
4 years & Repurchase
4 years with MIS
5 years & Repurchase
5 years with MIS

This is to certify that the person named in this Certificate as the Unitholder is the Registered Holder of

Units each of the face value of Rupees ONE hundred subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) the Regulations framed thereunder and the Parents Gift Growth Fund Unit Scheme, 1987. Issued under clause 1x of the Scheme.

Name of Unitholder
Name of Applicant
Name of Beneficiary
Name/s of Nominee/s

for Unit Trust of India
Signature

Signature

FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF UNITS

To,

Date :

The Unit Trust of India,

I _____ am the registered holder of _____ units of the Unit Trust of India and am desirous of selling to the Trust all the said units. The price of the units may be paid to me by cheque/bank draft at my cost.

Signature of witness _____ Signature of holder
Name _____ *Signature of the Holder attested :
Occupation _____
Address _____ Signature of the
_____ Attesting person :
_____ Name :
Address/Office seal

Signature of witness _____
Name _____
Occupation _____
Address _____
_____
_____

*Signature of the holder can be attested by the Bank Manager/ Notary Public/Magistrate

A. K. THAKUR
General Manager (P&D)

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 20th January 1988

No. 1/88-122.—In terms of advice received from the Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs, Banking Division, Jeevan Deep, Sansad Marg, New Delhi-110 001 vide letter No. F.2(6)87-IF.I dated the 23rd April, 1987 from the Under Secretary to Government of India, the following Regulations framed by the Industrial Finance Corporation of India in terms of section 43(1) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 with amendments upto the 27th October, 1986 is hereby published in the Official Gazette :

1. Industrial Finance Corporation of India (Payment of gratuity to employees) Regulations, 1968.
2. Industrial Finance Corporation (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1949.
3. IFCI (Transaction of Business with specified Industrial Concerns) Regulations, 1982.
4. IFCI General Regulations, 1982.
5. Industrial Finance Corporation Officer (Employees) Acceptance of employment in the Private sector concerns after Retirement Regulations, 1978.

M. L. KAPOOR,
Dy. General Manager (Admn. & Pers.).

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

[Incorporated under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948)]

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

(Payment of gratuity to employees) Regulations, 1968

In exercise of the powers conferred by Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948), the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India (hereinafter referred to as "Corporation"), after consultation with the Industrial Development Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following Regulations, namely—

Short title and commencement

1. (1) These Regulations may be called the Industrial Finance Corporation of India (Payment of Gratuity to employees) Regulations, 1968.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1968.

Power to interpret

2. The power to interpret these Regulations vests in the Chairman of the Corporation (which expression shall include the person appointed to discharge the functions of the Chairman for the time being in terms of Section 13A of the Industrial Finance Corporation, Act, 1948), who may authorise the issue of such administrative instructions as may be necessary to give effect to these Regulations.

Definitions

3. In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context —

(1) "average pay" in relation to an employee means the average of (a) the substantive pay applicable to him, as defined herein (b) officiating pay, (c) special pay, (d) personal pay, and (e) any other emoluments classified as 'pay' by the Corporation;

(2) "date of retirement" means—

(a) in the case of an employee who retires or is retired in accordance with the terms and conditions of his service, the date on which he so retires or is retired; and

(b) in the case of any other employee, the date from which he ceases to be in the Corporation's service;

and the expression 'month of retirement' shall be construed accordingly.

(3) "pay" means—

(a) in the case of an employee who has been on leave continuously for a period of twelve months or more immediately preceding his date of retirement, the substantive pay at such date or the average pay earned while on duty during the twelve calendar months immediately preceding the month in which he proceeded on leave, whichever is higher;

(b) in any other case, the substantive pay at his date of retirement or the average pay earned while on duty during the twelve calendar months immediately preceding the month of retirement, whichever is higher.

(4) "substantive pay" means in relation to an employee, the pay to which he is entitled in the scale of pay applicable to the post held by him substantively.

(5) "service in the Corporation"—

(a) includes the period of an employee's continuous temporary service immediately preceding his confirmation;

(b) includes the period during which an employee is on duty or on leave duly authorised by a competent authority;

(c) does not include any period during which an employee is absent from duty without permission or overstays his leave unless specifically permitted by a competent authority.

Conditions of grant

4. Subject to the terms, conditions and other provisions contained in the succeeding Regulations, gratuity will be granted to a permanent employee after termination of his service in the Corporation, or in the event of his death before receipt of gratuity, to such person or persons as may be determined in accordance with Regulation 8; but nothing in these Regulations shall be construed as conferring any right or benefit on any employee whose service in the Corporation is governed by a contract expressly stipulating his service to be for a special period.

When not admissible

5. (1) No gratuity will be granted to or in the case of an employe if he has not completed service in the Corporation for a minimum period of ten years;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), gratuity will be granted to, or in the case of, an employee who has not completed service in the Corporation for a minimum period of ten years, if—

(i) he dies while in service of the Corporation; or

(ii) he has retired, or has been required to retire, either on account of certified permanent incapacity due to bodily or mental infirmity or owing to the abolition of his appointment on account of reduction of establishment; or

(iii) his service in the Corporation is terminated by the Corporation for reasons other than reduction of establishment.

Amount admissible

6. Without prejudice to the provisions of Regulation 5, the amount of gratuity admissible to an employee shall be—

(a) a sum equal to one month's pay for each completed year of service in the Corporation subject to a maximum of Twenty months' pay or Rupees thirty thousand, whichever is less; and

(b) an additional sum equal to half month's pay in respect of each completed year of service in the Corporation in excess of thirty years.

Payment of reduced amount in certain cases

7. Notwithstanding anything contained in the foregoing Regulations, the Corporation may, while determining the amount of gratuity payable to an employee, take in to account any financial loss caused to the Corporation by reason of the inefficiency or misconduct of such employee, and grant a reduced amount of gratuity;

Provided that he difference between the amount of gratuity ordinarily admissible under the foregoing Regulations and the amount of gratuity so reduced shall not exceed the amount of the financial loss caused to the Corporation.

Payment in case of death of the Employee

8. In the event of the death of an employee before receipt of gratuity, the amount of gratuity admissible shall be paid—

(a) to the person who may have been nominated by the employee in terms of Regulation 15 of the Industrial Finance Corporation of India Employees' Provident Fund Regulations and if there are more persons than one so nominated, the amount of gratuity shall be distributed among such persons in the same proportion in which the employee has distributed the amount standing to his credit in the Provident Fund; and

(b) If no such nomination has been made, or is subsisting, the person or persons to whom the amount of gratuity shall be paid and the proportion in which the amount shall be distributed among them, shall be determined by the Chairman of the Corporation.

Board's Powers in regard to grant of gratuity to employees of the Corporation ceased to be in service on or after 1-7-1965

9. The Board may, in its discretion, grant gratuity upto an amount not exceeding the amount admissible under these Regulations to any employee who may have ceased to be in the service of the Corporation on or after the first day of July, 1965, provided he would have been eligible for gratuity under these Regulations had these Regulations been in force on that day.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

[Incorporated under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948)]

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION (ISSUE AND MANAGEMENT OF BONDS) REGULATIONS, 1949

In exercise of the powers conferred by section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, (XV of 1948), the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations namely :—

1. *Short Title and Application* :

(1) These regulations may be called the Industrial Finance Corporation (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1949.

(2) They shall apply to bonds issued and sold by the Corporation under sub-section (1) of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948.

2. *Definitions;*

In these regulations unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(a) "The Act" means the Industrial Finance Corporation Act 1948;

(b) "The Bank" means the Reserve Bank of India;

(c) "Bond" means the bonds issued and sold by the Corporation under sub-section (1) of Section 21 of the Act;

(d) "Corporation" means the Industrial Finance Corporation of India established under the Industrial Finance Corporation Act 1948 (XV of 1948);

(e) "Defaced Bond" means a bond which has been illegible and rendered undecipherable in material parts and the material parts of a bond are those where :—

(i) the number, the issue to which it appertains and the face value of the bond or payments of interest are recorded, or

(ii) the endorsement or the name of the payee is written, or

(iii) the renewal receipt is supplied.

(f) "Form" means a form as set out in the schedule (I) to these regulations;

(g) "Lost Bond" means a bond which has actually been lost and shall not mean a bond which is in possession of some person adversely to the claimant;

(h) "Mutilated Bond" means a bond which has been destroyed, torn or damaged in material parts thereof;

(i) "Office of Issue" means the Office of the Industrial Finance Corporation of India or Office of the Bank on the books of which a bond is registered or may be registered;

(j) "Prescribed Officer" means such officers of the Corporation or of the Bank as may be authorised by the Board of Directors of the Corporation or the Bank, as the case may be for the purposes of Regulations 9, 10, 11, 13, 14 and 15.

(k) "Stock certificate" means a Stock certificate issued under regulation 3.

3. *Form of the Bond and the Mode of Transfer thereof etc.*

(1) A mond may be issued in the form of :—

(a) a promissory note payable to, or to the order of, certain person; or

(a) a stock certificate for stock registered in the books of the Corporation or the Bank.

(2) (i) A bond issued in the form of a promissory note shall be transferable by endorsement and delivery like a promissory note payable to order.

(ii) No writing on a bond issued in the form of a promissory note shall be valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only a part of the amount denominated by the bond.

(3) A bond issued in the form of a stock certificate and registered in the books of the Corporation or the Bank shall be transferable either wholly or in part by execution of an instrument of transfer in Form I. The transferor in such a case shall be deemed to be the holder of the bonds issued in the form of stock certificate to which the transfer relates until the name of the transferee is registered by the Corporation or the Bank.

(4) (i) A bond shall be issued over the signature of the Chairman of the Corporation which may be printed, engraved or lithographed or impressed by such other mechanical process as the Corporation may direct.

(ii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper handwriting of the signatory himself.

(5) No endorsement of a bond in the form of a promissory note or no instrument of transfer in the case of a bond or in the form of stock certificate shall be valid unless made by the signature of the holder or his duly constituted attorney or representative inscribed in the case of a bond in the form of a promisory note on the back of the bond itself and in the case of a stock certificate on the instrument of transfer.

3A. *Issue of Bonds etc.* :

(1) The Bonds will be issued by the Bank.

(2) A list of bonds issued by the Bank may be forwarded to the office of the Corporation concerned for purposes of registration on its books.

4. *Trust not recognised* :

(1) The Corporation or the Bank shall not be bound or compelled to recognise in any way, even when having notice thereof, any trust or any right in respect of a bond other than an absolute right thereto in the holder.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1) the Corporation or the Bank may, as an act of gacre and without liability to the Corporation or the Bank, record in its books such directions by the holder of the bond issued in the form of the stock certificate for the payment of interest on, or of the maturity value of, or for the transfer of, or such matters relating to the stock certificate as the Corporation or the Bank thinks fit.

4A. *Provision for Holding Bonds issued in the form of Stock Certificate by Trustes and Office Holders.*

(1) A bond in the form of stock certificate may be held by a holder of an office—

(a) in his personal name, described in the books of the Corporation or the Bank and in the stock certificate, as a trustee, whether as a trustee, of the trust specified in his application or as a trustee without any such classification, or

(b) by name of his office.

(2) On an application made in writing to the Corporation of the Bank in the form required by the Corporation or the Bank by the personel in whose name a bond stands and on surrender of the bond, the Corporation or the Bank may—

(a) make an entry in their books describing him as a trustee of a specified trust or as a trustee without specification of any trust and issue a stock certificate in his name described as trustee with or without the specification of the trust, as the case may be, or

(b) issue a stock certificate to him by the name of his office and make an entry in its books describing him as the holder of the stock by the name of his office according to the applicants request, provided—

(i) the request is in conformity with the provisions of the sub-regulation (1),

(ii) the necessary evidence required by the Corporation or the Bank in terms of sub-regulation (7) has been furnished; and

(iii) the bond if it is in the form of promissory note has been endorsed in favour of the Corporation and if in the form of a stock certificate has been receipted by the registered holder in Form-II.

(3) The stock certificate under sub-regulation (1) may be held by the holder of the office either alone or jointly with another person or persons with a person or persons holding an office.

(4) When the stock is held by a person in the name of his office, any documents relating to the stock certificate concerned may be executed by the person for the time being holding the office by the name in which the stock certificate is held as if his personal name were so stated.

(5) Where any transfer deed, power-of-attorney or other document purporting to be executed by a stock certificate holder described in the books of the Corporation or the Bank as a trustee or as a holder of an office is presented to the Corporation or the Bank, the Corporation or the Bank shall not be concerned to inquire whether the stock certificate holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to give any such power or to execute such deed or other document and may act on the transfer deed, power of attorney or document in the same manner as though the executant is a stock certificate holder and whether the stock certificate holder is or is not described in the transfer deed, power-of-attorney or document as a traustee or as a holder of an office and whether he does or does not purport to execute the transfer deed, power-of-attorney or document in his capacity as a trustee or as a holder of the office.

(6) Nothing in these regulations shall, as between any trustees for office holders, or as between any trustees or office holders and the beneficiaries, under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees or office holders to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust the terms of the instrument constituting the trust or the rules governing the association of which the stock certificate holder is a holder of an office and neither the Corporation nor the Bank nor any person holding or acquiring any interest in any stock certificate shall, by reason only of any entry in any register maintained by the Corporation or the Bank in relation to any stock certificate or any stock certificate holder or of anything in any document relating to stock certificate, be effected with notice of any trust or of the fiduciary charactor of any stock certificate holder or of any fiduciary obligation attaching to the holding of any stock certificate.

(7) Before acting on any application made, or of any document purporting to be executed, in pursuance of this regulation by a person as being the holder of any office, the Corporation or the Bank may require the prodution of evidene that such person is the holder for the time being of that office.

5. *Persons Disqualified to be Holders*

No minor and no person who has been found by a competent court to be of unsound mind shall be entitled to be a holder.

6. *Payment of Interest*

(1) Interest on a bond in the form of a promissory note shall be paid by the offie of issue or any other office of the Corporation or office of the Bank, specified in the bond prospectus subject to compliance by the holder of the bond with such formalities as the Corporation or the Bank may require, on presentation of the bond.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Corporation or the Bank may pay interest on a bond in the form of a promissory note, the interest on which is payable at any other office of the Bank, by an interest warrant payable at such office.

(3) Interest on a bond in the form of a stock certificate shall be paid by warrants issued by the Corporation or the Bank and payable at the local office of the Corporation or the Bank. The presentation of the stock certificate shall not be required at the time of payment of interest but the payee shall acknowledge the receipt at the back of the warrant.

7. *Procedure when a Bond in the Form of a Promissory Note is lost, etc.*

(1) Every application for the issue of a duplicate bond in place of a bond which is alleged to have been lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, either wholly or in part shall be addressed to the office of issue, and shall contain the following particulars, namely :—

(a) Particulars of the Bond according to the following form :—

Bond for Rs.....
No. ..... of the ..... percent Bond.....

(b) Last half-year for which interest has been paid;

(c) The person to whom such interest was paid;

(d) the person in whose name bond was issued (if known);

(e) the place of payment of interest at which the bond was enfaced;

(f) the circumstances attending the loss, theft, destruction, mutilation or defacement; and

(g) whether the loss or theft was reported to the police.

(2) Such application shall be accompanied by :—

(a) where the bond was lost in course of transmission by registered post, the Post Office registration receipt for the letter containing the bond;

(b) a copy of the police report, if the loss or theft was reported to the police;

(c) where the last payment of interest was not made by the office of issue, a letter signed by the Manager of the Corporation where interest was last paid, certifying the last payment of interest on the bond and stating the name of the party to whom such payment was made; provided, however, where the last payment of interest was made by the Reserve Bank, such letter should be signed by the Manager of the Bank where interest was last paid.

(d) if the applicant is not he registered holder, an affidavit sworn before a magistrate testifying that the applicant was the last legal holder of the bond, and all documentary evidence necessary to trace back the title to the registered holder; and

(e) any portion or fragments which may remain of the lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced bond.

(3) A copy of the application shall also be sent to the office of the Corporation or the Office of the Bank where interest is payable if such interest is not payable by the Office of Issue, provided that it shall not be necessary to send copies of enclosures accompanying the application.

8. *Notification in Gazette*

The loss, theft, destruction, mutilation or defacement of a bond or portion of a bond in the form of a promissory note shall forthwith be notified by the applicant in three successive issues of the Gazette of India and of the local official Gazette, if any, of the place where the loss, theft, destruction, mutilation or defacement occurred. Such notification shall be in the following form or as nearly in such form as circumstances permit :—

"Lost", ("stolen", "destroyed, "mutilated" or "defaced" as the case may be).

The Industrial Finance Corporation bond No. ..... of the ..... per cent Bond for Rs. ..... originally standing in the name of ..... and last endorsed to ..... the proprietor, by whom it was never endorsed to any other person having been lost (stolen, destroyed, mutilated or defaced), notice is hereby given that payment of the above bond and the interest hereupon has been stopped at he office of issue, and that application is about to be made or has been made for the issue of a duplicate in favour of the proprietor. The public are cautioned against purchasing or otherwise dealing with the above-mentioned bond.

Name of person notifying.

Residence.

9. *Issue of Duplicate Bond and taking of indemnity*

(1) After the publication of the last notificaion prescribed in regulation 8, the prescribed officer shall, if he is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the bond and of the justice of the claim of the applicant, cause the particulars of the bond to be included in a list published under regulaion 10, and shall order the office of issue :—

(a) If only a portion of the bond has been lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, and if a portion thereof sufficient for its identification has been produced, to pay interest and to issue to the applicant, on execution of an indemnity bond such as is hereinafter mentioned a duplicate bond in place of that of which a portion has been so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced either immediately after the publication of the list under regulation 10 or on the expiry of such period as the prescribed officer may consider necessary from the date of the publication of the said list;

(b) If no portion of the bond so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, sufficient for its identification has been produced to pay to the applicant, two years after the publication of the said list, and on the execution of an indemnity bond in the manner hereinafter prescribed, the interest in respect of the bond so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced till the expiry of the period of six years as next hereinafter provided; and to issue to the applicant a duplicate bond in place of the bond so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced six years after the date of publication of the said list; provided that—

(i) if the date on which the bond is due for repayment falls earlier than the date on which the said period of six years expires, the prescribed officer shall, within six weeks of the former date, invest the principal amount due on the bond in the Post Office Savings Bank, and shall repay this amount, together with any interest which may have accrued thereon in such Bank, to the applicant at he time when a duplicate bond would otherwise have been issued, and

(ii) if at any time before the issue of the duplicate bond the original bond is discovered or it appears to the office of issue for other reasons that the order should be rescinded, the matter shall be referred to the prescribed officer for further consideration and in the meantime all action on the order shall be suspended. An order passed under this sub-regulation shall on expiry of the period of six years referred to therein, become final unless it is in the meantime rescinded or otherwise modified.

(2) The prescribed officer may, at any time prior to the issue of a duplicate bond, if he finds sufficient reason, alter or cancel any order made by him under this regulation and may also direct that the interval before the issue of a duplicate bond shall be extended by such period not exceeding six years as he may think fit.

(3) Indemnity Bonds—

(i) (a) when executed under sub-regulation (1)(b) shall be for twice the amount of interest involved, that is to say, twice the amount of all back interest, accrued due on the bond plus twice the amount of all interest to accrue due thereon during the period which will have to elapse before the issue of a duplicate bond can be made, and

(b) in all other cases shall be for twice the face value of the bond plus twice the amount of interest calculated in accordance with clause (a).

(ii) The prescribed officer may direct that such indemnity bond shall be executed by the applicant alone or by the applicant and one or two sureties approved by him as he may think fit.

9A. *Procedure when a bond in the form of a stock certificate is lost, etc.*

(1) Every application for the issue of a duplicate stock certificate in place of a stock certificate which is alleged to have been lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced either wholly or in part shall be addressed to the office of issue and shall be accompanied by—

(a) the post office registration receipt of the letter containing the stock certificate, if the same was lost in transmission by registered post.

(b) a copy of the police report, if the loss or theft was reported to the police;

(c) an affidavit sworn before a magistrate testifying that the applicant is the legal holder of the stock certificate and that the stock certificate is neither in his possession nor has it been transferred, pledged or otherwise dealt with by him; and

(d) any portions or fragments, which may remain of the lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced stock certificate.

(2) The circumstances attending the loss shall be stated in the application.

(3) The office of issue shall, if it is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the stock certificate, issue a duplicate stock certificate in lieu of the original certificate.

10. *Publication of List*

(1) The list referred to in regulation 9 shall be published half-yearly in the Gazette of India in the months of January and July or as soon afterwards as may be convenient.

(2) All bonds in respect of which an order has been passed under regulation 9 shall be included in the first list published next after the passing of such order and thereafter such bonds shall continue to be included in every succeeding list until the expiration of six years from the date of first publication.

(3) The list shall contain the following particulars regarding each bond included therein, namely, the name of the issue, the number of the bonds, its value, the name of the person to whom it was issued, the date from which it bears interest, the name of the applicant for a duplicate, the number and date of the order passed by the prescribed officer for payment of interest or issue of a duplicate, and the date of publication of the list in which the bond was first included.

11. *Determination of a Mutilated Bond as a Bond requiring renewal*

It shall be at option of the prescribed officer to treat a bond which has been mutilated or defaced as a bond requiring issue of a duplicate under regulation 9 or more renewal under regulation 14.

12. *When a Bond in the form of a Promissory Note is required to be renewed*

(1) A holder of a bond in the form of a promissory note (hereinafter in this regulation referred to as bond) may be required by the office of issue to receipt the same for renewal in any of the following cases, namely;

(a) if only sufficient room remains on the back of the bond for one further endorsement or if any word is written upon the bond across the existing endorsement or endorsements;

(b) if the bond is torn or in any way damaged or crowded with writing or unfit, in the opinion of the office of issue;

(c) if any endorsement is not clear and distinct or does not indicate the payee or payees, as the case may be, by name or is made otherwise than in one of the endorsement cages on the back of the bond;

(d) if the interest on the bond has remained undrawn for ten years or more;

(e) if the interest cages on the reverse of the bond have been completely filled or if the vacant prescribed cages on the reverse of the bond do not correspond with the half years for which interest has become due on the date when the bondis pressented for drawal of interest;

(f) if the bond having been enfaced three times for payment of interest is presented for re-enfacement; and

(g) if in the opinion of the office of isuse, the title of the person presenting the bond for payment of interest is irregular or not fully proved.

(2) When requisition for renewal of a bond has been made under sub-regulation (1) payment of any further interest thereon shall be refused until it is receipted for renewal and actually renewed.

13. *Person whose title to a Bond of a deceased sole holder may be recognised*

(1) The executors or administrators of a deceased sole holder of a bond (whether a Hindu, Mohammedan, Parsi or otherwise) and the holder of a succession certificate issued under Part X of the Indian succession Act, 1925 (XXXIX of 1925) in respect of the bond shall be the only persons who may be recognised by the office of issue (subject to any general or special instruction of the prescribed officer) as having any title to the bond.

(2) Notwithstanding anything contained in Section 45 of the Indian Contract Act, 1872 (IX of 1872), in the case of a bond issued, sold or held payable to two or more holders, the survivors or survivor and on the death of the last survivor, his executors, administrators, or any person who is the holder of a succession certificate in respect of such bond shall be the only person who may be recognised by the office of issue (subject to any general or special instructions of the prescribed officer) as having any title to the bond.

(3) The office of issue shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or other legal representation as the case may be from a competent court or office in India, having effect at the place of situation of the office of issue. Provided nevertheless that in any case where the prescribed officer shall in his absolute discretion think fit, it shall be lawful for him to dispense with the production of probate, letters of administration or other legal representation upon such terms as to indemnity or otherwise as he may think fit.

14. *Receipt for renewal etc.*

(1) Subject to any general or special instructions of the prescribed officer, the office of issue may, by its order, on the application of the holder—

(a) on his delivering the bond or bonds in the form of a promissory note or promissory notes and on his satisfying the office of issue regarding the justice of his claim, renew, sub-divide or consolidate the promissory note or promissory notes, provided the promissory note or promissory notes has or have been receipted in Form III, Form IV or Form V, as the case may be; or

(b) convert the promissory note or promissory notes into stock certificate or certificates, provided the promissory note or promissory notes has or have been endorsed as follows : —
"Pay to the Industrial Finance Corporation of India"; or

(c) renew, sub-divide or consolidate a stock certificate or stock certificates, provided the stock certificate or stock certificates has or have been receipted in Form VI, Form VII or Form VIII, as the case may be; or

(d) convert the stock certificate or stock certificates into promissory note or promissory notes, provided the stock certificate or stock certificates has or have been receipted in Form IX; or

(e) convert the bonds of one loan into those of another, provided—

(i) inter-loan conversion is permissible, and

(ii) the conditions governing such conversion are complied with.

(2) The office of issue may, under the orders of prescribed officer, require the applicant for renewal, sub-division or consolidation of a bond under sub-regulation (1) to execute a bond in Form X with one or more sureties approved by him.

15. *Renewal of Bond in Case of Dispute as to Title:*

Where there is a dispute as to the title to a bond in respect of which an application for renewal has been made, the prescribed officer may :—

(a) where any party to the dispute has obtained a final decision from a court of competent jurisdiction declaring him to be entitled to such bond, issue a renewed bond in favour of such party, or

(b) refuse to renew the bond until such a decision has been obtained.

Explanation:

For the purposes of this sub-regulation, the expression 'final decision' means a decision which is not appealable or a decision which is appealable but against which no appeal has been filed within the period of limitation allowed by law.

16. *Liability in Respect of Bond Renewed etc*:

When a duplicate bond has been issued under regulation 9, or a renewed bond has been issued or a new bond has been issued upon sub-division or consolidation under regulation 14, in favour of a person, the bond so issued shall be deemed to constitute a new contract between the Corporation and such person and all persons deriving title thereafter through him.

17. *Discharge*:

The Corporation shall be discharged from all liability in respect of the bond or bonds paid on maturity or in place of which a duplicate, renewed, sub-divided or consolidated bond or bonds has or have been issued :—

(a) in the case of payment, after the lapse of six years from the date on which payment was due;

(b) in the case of a duplicate bond after the laps of six years from the date of the publication under regulation 10 of the list in which the bond is first mentioned, or from the date of the payment of interest on the original bond, whichever date is later;

(c) in the case of a renewed bond or of a new bond issued upon sub-division or consolidation after the laps of six years from the date of issue thereof.

18. *Discharge in Respect of Interest*.:

Save as otherwise expressly provided in the terms of the bond, no person shall be entitled to claim interest on any such bond in respect of any period which has elapsed after the earliest date on which demand could have been made for the payment of the amount due on such bond.

19. *Discharge of A Bond*

When a bond becomes due for payment of principal, the bond shall be presented at the office of the Corporation or office of the Bank at which the interest thereon is payable or at the office of issue duly signed by the holder on its reverse.

20. *Preservation and Destruction of Records Relating to Bonds.*

(1) The period of preservation of the records, relating to the Bonds, maintained by the Corporation or the Bank shall be the period mentioned in column 3 of Schedule II against the particulars of records shown in column 2 of that Schedule.

(2)The Corporation or the Bank shall ot be held liable or responsible in any way for any loss, damage or claim that may arise due to the destruction of any such record after the expiry of the period prescribed in column 3 of the Schedule II.

(3) The period for the preservation of the record shall be reckoned from the 1st July every year following the year to which the record pertains.

(4) The Corporation or the Bank shall prepare a list of the record due for destruction in the beginning of every calendar year.

(5) The destruction of the records shall be by fire in the presence of an authorised officer of the Corporation or the Bank.

THE SCHEDULE I

FORM I

[*See Regulation* 3(3)]

I/We.....do hereby assign and transfer my/our interest or share in the inscribed stock of the..... per cent. Industrial Finance Corporation Bonds of ....amounting to Rs. ..... being the amount/a portion of the stock certificate for Rs. .....as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto.....his/her/their executors, administrators or assigns, and I/We..... do freely accept the above stock certificate transferred.... .....to the extent it has been transferred to me/us.

I/We @.....hereby request that on my/our @ being registered as the holder(s) of the stock certificate hereby transferred to me/us, the aforesaid stock certificate(s) @ to the extent it has been transferred to me/us @ may be renewed in my/our name(s) converted in my/our name(s) @.

**I/We @.....hereby request that on the above transferee(s) @ being registered as he holder(s) @ of the stock certificate hereby transferred to him/them @; the aforesaid stock certificate to the extent it has not been transferred to him/them @ may be renewed in my/our @ name(s).

As witness our hand the..... day of.....One thousand nine hundred and.....

Signed by the above named transferor in the presence of*.....

(Transferor).....
Address.....

Signed by the abovenamed transferee in the presence of*.....

(Transferee).....
Address.....

@Omit the alternative which does not apply.

**This paragraph to be used only when a portion of a stock certificate is transferred.

*Signature, occupation and address of Witness.

FORM II

[*See Regulation* 4A (2)]

Form of recipt for renewal of a bond issued in the form of a stock certificate.

Received in lieu hereof a renewed stock certificate of the .....per cent Industrial Fnance Corporation Bonds .....for Rs.....in favour of .... with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India.

Signature of the registered holder/duly authorised representative of (Name of the registered holder).....

FORM III

[*See Regulation* 14 (1) (a)]

Form of endorsement for renewal of a bond in the form of a promissory note.

Received in lieu thereof, a renewed promissory note payable to (name of holder).....with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India.....

Signature of the holder/duly authorised representative of (Name of the holder) .....

FORM IV

[*See regulation* 14 (1) (a)]

Form of endorsement for sub-division of a bond in the form of a promissory note.

Received in lieu hereof..... promissory notes for Rs..... respectively payable to (name of holder).....with interest payable by the industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India .....

Signature of the holder/duly authorised representative of (Name of the holder) .....

FORM V

[*See regulation* 14 (1) (a)]

Form of endorsement for consolidation of bonds in the form of promissory notes.

Received in lieu hereof a new promissory note payable to (name of holder).....for Rs. ..... by consolidation with promissory note or promissory notes numbers .....(mentioning the numbers and amounts of the other promissory notes desired to be consolidated with it and specifying the issue) with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India.....

Signature of the holder/duly authorised representative of (Name of the holder) .....

FORM VI

[*See regulation* 14 (1) (c)]

Form of enorsement for renewal of a stock certificate—

Received in lieu hereof a renewal stock certificate of the ..... per cent Industrial Finance Corporation Bonds..... for Rs. ..... in the name of ..... with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India.....

Signature of the registered holder/duly authorised representative of (Name of the registered holder).....

FORM VII

[*See regulation* 14 (1) (c)]

Form of endorsement for sub-division of a stock certificate.

Received in lieu of this stock certificate..... stock certificates for Rs. ..... respectively of the ..... per cent Industrial Finance Corporation Bonds ..... with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India.....

Signature of the registered holder/duly authorised representative of (Name of the registered holder).....

FORM VIII

[*See regulation* 14 (1) (c)]

Form of endorsement for consolidation of stock certificates.

Received in lieu of stock certificates Nos ..... for Rs. ..... respectively of the ..... per cent Industrial Finance Corporation Bonds..... ..... a stock certificate for Rs. ..... of the ..... percent Industrial Finance Corporation Bonds ..... with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India .....

Signature of the registered holder/duly authorised representative of (Name of the registered holder).....

FORM IX

[*See regulation* 14 (1) (d)]

Form of endorsement for conversion of stock certificates into promissory notes.

Received in lieu of this certificate ..... promissory notes of Rs. ..... each (together with a new stock certificate for the balance amounting to Rs. .....) with interest payable by the Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank of India .....

Signature of the registered holder/duly authorised representative of (Name of the registered holder).....

FORM X

[*See regulation* 14 (2)]

Know all men by these presents that we

(a) Principal

....
....
Son of .....
Resident of .....
(and .....
Son of .....
Resident of . . . .)

(b) Sureties

(and .....
Son of . . . .
Resident of .....
hereby bind ourselves and each of us, our and each of our heirs, executors, administrators and representatives and all of them jointly and severally to the Industrial Finance Corporation of India as constituted by the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (hereinafter called the said Corporation) for payment of the sum of Rs. ..... to the said Corporation, its certain attorneys, successors and assigns.

AND I/each of us the said ..... hereby covenant with the said Corporation that if any suit shall be brought touching the subject matter of this obligation or the condition here under written in any court subordinate to the High Court of Judicature at Delhi, the same, may, at the instance of the said Corporation or the Reserve Bank of India, Delhi, whoever may be a party to such suit, be removed unto, tried and determined by, the said High Court in its extraordinary original civil jurisdiction, as the case may be at Delhi.

*Out of the several alternatives mentioned hereafter the one which applies to the case and strike out the others.

WHEREAS the said ..... (a) has applied to the Corporation/Bank* for the renewal/consolidation/sub-division of the bond (bonds) issued by the said Corporation Bank mentioned in the schedule hereto.

AND WHEREAS the said Corporation/Bank have consented and agreed to accept the said application on the said

(a) Principal

(a)..... ....
with two good and sufficient sureties entering into and executing the above written bond subject to the condition hereunder written :

*If there are two sureties

AND WHEREAS the above bounden .....
(and) .... *at the request of the said
....
....

(a) Principal

(a) has (have) agreed to become surety (sureties) for (a) and to join with the said .....
(a) in executing the above written bond.

Now the condition of the above written bond is such that if the above bounden ....
....

(b) Name of the Principal and sureties of (a)

(b) or each of them or their heirs, executors, administrators or representatives or any or either of them shall from time to time and at all times hereafter effectually save, defend, keep harmless and indemnified the said Corporation and the said Reserve Bank of India from and against the claims and demands of all persons claiming to be entitled to the bond (bonds) issued by the said Corporation mentioned in the schedules hereto or to any interest thereon and of other persons whomsoever in respect of the said bond/(bonds) or the renewal thereof or the payment of any interest thereon and from and against all damages, losses, costs, charges and expenses which the said Corporation or the said Reserve Bank of India may sustain, incur or be liable to for or in consequence of any such claim or demand

or by reason of the issue of renewed bond (bonds) as aforesaid or the payment of any interest due on the said bond (bonds) or renewed bond (bonds) then the above written bond (shall be void but otherwise the same) shall remain in full force and effect.

Signed and delivered by.....

.....

.....

in the presence of.....

and of.....

Date :

The Schedule herein referred to

Nature and description of the bond.	Number	Date of Issue	Amount

SCHEDULE—II

Records Pertaining to the Industrial Finance Corporation Bonds and the period of their Preservation

Column No. 1 S. No.	Column No. II Particulars of records	Column No. III Period of Preservation
1.	Cancelled IFC Bonds	10 years after the year of cancellation.
2.	Check Registers	Permanent
3.	Cards Balance Book	10 Years
4.	Day Book	10 Years
5.	Enfacement Registers	10 Years
6.	Enfacement cancellation Registers	10 Years
7.	General Ledgers	10 Years
8.	G.P. Notes Ledgers	10 Years
9.	Interest Drafts Registers	10 Years (after taking note of unpaid drafts in the Interest Check Registers).
10.	Statement of Loan Agreement verification	10 Years
11.	Issue Registers	Permanent
12.	IFC Bonds Application Register	Permanent
13.	Brokerage Registers	10 years from agreement of loan figures.
14.	Paid IFC interest warrants	6 Years
15.	Register of Renewal etc. fees	2 Years
16.	Register of cancelled securities	10 Years.
17.	Register of Transfer of Loans 'TO' and 'FROM' other PDOs	10 Years
18.	Repayment Registers	10 years from the date on which loan balance is credited to Revenue.
19.	Stock Issue Register	Permanent
20.	Stock Interest Draft Register	10 Years
21.	Stock Cancellation Register	10 Years
22.	Stocks Ledgers	10 Years
23.	Stop List	Permanent
24.	Skeleton forms Register	3 Years
25.	Special cancellation and renuvbering advices srom PDOs.	10 Years
26.	Safe Account Border Forms Register	3 years
27.	Index cards in respect of certificates held in the safe custody	10 Years from the date of cancellation.
28.	Gsneral Scroll book containing entries of vouchers passed on to ledger section	2 Years
29.	Broad Sheet Register	3 Years
30.	Documents Register	Permanent
31.	Files containing ordinary routine letters	3 Years
32.	Files containing Central Office instructions	Permanent
33.	Files containing Heirship and Mitakshara Certificates	10 Years
34.	Files of ordinary letters from Reserve Bank of India Offices	10 Years
35.	Files of important letters from public	10 Years
36.	Files of disputed claims cases	Permanent
37.	Files of completed lost bond cases	10 Years after issue of duplicate
38.	Lost receipt case files	6 Years after the date of delivery of securities to claimant.
39.	Third copy files	3 Years
40.	New Loan brokerage and underwriting files and statistics from receiving offices	10 Years from agreement of loan figures.
41.	Files containing inspection reports	Permanent
42.	Files containing Manager's orders	Permanent
43.	Files containing requisition slips for issue of duplicates of lost IFC Bonds	10 Years
44.	Interest schedules files	10 Years
45.	Special cancellation register	10 Years
46.	Discharged counter receipts	3 Years
47.	Loan balancing register	5 Years
48.	Index Register of paid I.F.C. interest warrants	10 Years
49.	Index register of special cancellation advices issued	10 Years
50.	Index register of renumbering advices sent	10 Years
51.	Scroll book of numbers allotted to drafts issued	10 Years
52.	List of Bonds cancelled during the year	Permanent
53.	Summary of transactions passed through the books of PDO	3 Years
54.	Index register of cancelled securities	10 Years
55.	Register of stock cards	10 Years
56.	Register showing the amount of stamp duty incurred	Permanent

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

[Incorporated under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948)]

IFCI (Transaction of Business with specified Industrial Concerns) Regulations, 1982

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, with the previous approval of the Industrial Development Bank of India, hereby makes the following regulations, namely :

1. *Short Title* : These Regulations may be called the Industrial Finance Corporation of India (Transaction of Business with specified Industrial Concerns) Regulations, 1982.

2. *Definitions* : In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context.

(a) "The Act" means the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948).

(b) "Specified industrial concern" means an industrial concern other than that covered under the proviso to sub-section (2) of Section 26 of the Act of which any of the Directors of the Corporation is a proprietor, partner, director, manager, agent, employee or guarantor, or in which one or more Directors of the Corporation together hold substantial interest as defined in the Explanation to the said sub-section.

(c) Other expressions used but not defined in these Regulations and used in the Act have the meanings respectively assigned to them for the purpose of the Act.

Transactions with specified Industrial concerns

3. The entering into business with a specified industrial concern shall be in accordance with the following conditions and limitations, in addition to the conditions and limitations prescribed by the Act, namely :

(a) No assistance shall be sanctioned except by the Board.

(b) Any assistance sanctioned to a specified industrial concern shall be reported to the Central Government and the Development Bank and shall be disclosed in the Annual Report of the Corporation for the period during which the assistance was sanctioned.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA INCORPORATED UNDER INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION ACT, 1948 (15 OF 1948)

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA GENERAL REGULATIONS, 1982

In exercise of the powers conferred by Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, the Board of Directors, with the previous approval of the Industrial Development Bank of India, has made the following Regulations :—

CHAPTER I

INTRODUCTORY

1. *Short Title* : These Regulations may be called the "Industrial Finance Corporation of India General Regulations, 1982".

2. *Definitions* : In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(a) "the Act" means the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948);

(b) "Member" means member of an Advisory Committee or any other Committee constitued by the Board of Directors of the Corporation;

(c) Other expressions used but not defined in these Regulations and used in the Act have the meanings respectively assigned to them for the purposes of the Act.

CHAPTER II

SHARES OF THE CORPORATION

3. *Shares movable property* : The shares of the Corporation shall be movable property.

4. *Shareholders of the Corporation* :—(i) Shareholders of the Corporation shall be the Development Bank, Scheduled Banks, Insurance Companies, Investment Trusts and other like financial instituions and Co-operative Banks.

(ii) The decision of the Board on any question whether any company, corporation or association is an investment trust or other like financial instituion within the meaning of sub-sections (3) and (7) of Section 4 and sub-section (2) of Section 4A of the Act, shall be final.

5. *Conditions of Allotment of Shares* :—(i) Subject to the provisions of the Act and these Regulations, the allotment of shares shall be under the control of the Board.

(ii) The first allotment of shares shall be made in accordance with the provision of Section 4 of the Act, and subsequent allotments shall be made in accordance with the provision of Section 4A of the Act.

(iii) The Board may make the said first allotment to the applicants for shares either in full, or in part depending on the number of applicants from the class of shareholders concerned. In so far as it is practicable, the Board shall make full allotment in respect of applications for small number of shares so that there may be as many shareholders of that class as possible.

(iv) If and when the capital is increased in accordance with the provision of Section 4(IB) of the Act, the shares representing the capital so increased shall be allotted by the Board in the manner provided in Section 4A(2) of the Act.

(v) The decision of the Board as to whether in a particular application for shares, there shall be full, partial or no allotment, shall be final.

6. *Share Register* : The Corporation shall maintain at its Head Office a register of shareholders and shall enter therein the following particulars :—

(a) the name and address at which each shareholder has his principal place of business;

(b) the categories specified in sub-sections (2) and (3) of Section 4 of the Act to which the shareholder beyongs;

(c) the date on which each instituion or bank is entered as a shareholder, the manner in which it acquired its share and, except in the case of first allotment of shares, the name of the previous holder;

(d) the date on which any institution or bank ceases to be a shareholder, and the name of the institution or bank to whom the share is transferred.

Explanation

In cases of transfer of shares to the Reserve Bank under Section 4(7) of the IFC Act, a separate note will be made at the appropriate places in the Share Register regarding the pledge/transfer of the shares made by a particular shareholder.

7. *No joint holding of shares* :—The Corporation shall not recognise the joint holding of shares.

8. *Inspection of Share Register* :—(i) The Share Register prescribed by Regulation 6 except when closed under the provisions of these Regulations, shall be open to inspection by any shareholder free of charge at the Head Office of the Corporation during business hours subject to prior intimation to the Corporation and such reasonable restrictions as the Corporation may impose, but so that not less than two hours on each day may be allowed for inspection.

(ii) A shareholder shall not have the right himself to make a copy of any entry in any such register, but may, except when the register is closed, reqire a copy of any such register or of part thereof on pre-payment therefor at the rate of Rs. 5.00 for every hundred words or fractional part thereof required to be copied.

9. *Closure of Share Register* :—The Board may be giving notice by advertisement, close the Share Register for such periods (not exceeding six weeks at any one time) as shall in its opinion be necessary.

10. *Share Certificate* :—(i) Every share certificate shall be issued under the Common Seal of the Corporation.

(ii) Every share certificate shall specify the number and the denoting numbers of the shares to which it relates.

11. *Every shareholder entitled to one free share certificate*

(i) The Development Bank shall be entitled, free of charge, to one certificate for all the shares registered in its name.

(ii) Every shareholder other than the Development Bank shall be entitled, free of charge, to one certificate for each 5 shares registered in its name. If any shareholder requires more than one certificate for each 5 shares held by it, a sum of Rs. 5.00 shall have to be paid to the Corporation for each shares shall be entitled, free of charge, to one share certificate and if it requires more than one certificate it shall pay a sum of Rs. 5.00 for each additional certificate. The Corporation, on the request of a shareholder, may issue a share certificate covering more than 5 shares registered in its name.

12. *Renewal of Share Certificate*

If any share certificate is worn out, defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of a fee of Rs. 5.00 and on such terms and conditions as also payment of out-of-pocket expenses incurred by the Corporation in investigation of evidence, if any, as the Chairman thinks fit.

13. *Transfer of shares*

(i) Subject to the restrictions contained in the Act and in these Regulations, shares shall be transferable, but every transfer must be in writing in the following form and executed by a person duly authorised to do so on behalf of the share holder concerned :—

We A.B. (name and address) in consideration of the sum of Rupees .... paid to us by C.D. (name and address) hereinafter called 'the transferee' do hereby transfer to the transferee the share (or shares) numbered........ in the Industrial Finance Corporation of india to hold unto the transferee and their assigns, subject to the several conditions on which we hold the same at the time of the execution hereof and we, the transferee do hereby agree to take the said share (or shares) subject to the conditions aforesaid and we the transferee request that we be registered in respect of the said share (or shares) in the registers of the Corporation.

As witness our hands———— day of ————
Transferor ————————.

(Address)

Witness
Transferee————————

(Address)

Witness

(ii) The instrument of transfer of any share shall be lodged with the Corporation duly signed both by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of such share until the name of the transferee is entered in Register. Each signature to such transfer shall be duly attested by one witness, who shall sign giving his address and occupation.

14. *Power to refuse recognition of transfer*

The Board may decline to register any transfer of shares unless it is accompanied by the certificate of shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to satisfy itself regarding the right of the transferor to transfer the shares and the eligibility of the transferee to become a shareholder in terms of the Act and these Regulations.

15. *Corporation's lien on shares*

The Corporation shall have a first and para-amount lien upon all shares registered in the name of each shareholder or transferred to the Reserve Bank in pursuance of Section 4(7) of the Act and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities and engagements solely or jointly with any other person to or with the Corporation whether the period for the payment, fulfilment or discharge thereof shall have actually arrived or not, and such lien, shall extend to all dividends from time to time declared in respect of such shares. Unless otherwise agreed, the registration of a transfer of shares shall operate as a waiver of the Corporation's lien, if any, on such shares.

16. *Disqualified shareholder*

(i) It shall be the duty of any institution or bank registered as a shareholder to give intimation forthwith to the Corporation on its ceasing to be qualified to be registered as a shareholder under the Act.

(ii) The Board may at any time cause such enquiry to be made as it may consider necessary for ascertaining whether any institution or bank registered as a shareholder has ceased to be so qualified and upon being satisfied that any such institution or bank has ceased to be so qualified it shall inform such institution or bank that it is not entitled to be a shareholder of the Corporation. Such an institution or bank will not be further entitled to the payment of any dividend on any such share nor to exercise any of the rights of a shareholder otherwise than for the purpose of the sale of such share and the Corporation shall make an entry in the Register to that effect.

(iii) If it appears to the Board that an institution or bank which is not qualified to be a shareholder of the Corporation is registered by inadvertence or otherwise as a shareholder of the Corporation, it shall inform the shareholder that it is not entitled to the payment of any dividend on any such share nor to exercise any of the rights of a shareholder otherwise than for the purpose of the sale of such share and shall make an entry in the Register to that effect. A determination of the Board under this Regulation as to whether an institution or bank is qualified to be a shareholder or not shall be conclusive.

CHAPTER III

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

17. *Annual General Meetings*

The annual general meeting of the Corporation shall be held at Delhi or at any other place in India where there is an office of the Corporation. Each annual general meeting shall be held within four months from the date on which the annual accounts of the Corporation are closed.

18. *Special General Meetings*

The Board may convene a special general meeting at such time and place as may be decided by it of any category and/or class of shareholders, if and when considered necessary, to transact the specified business.

19. *Notice convening a General Meetings*

A notice convening any general meeting shall be signed by the Chairman or Executive Director or General Manager of the Corporation and shall be published in the Gazette of India at least 30 days before such meeting and in such other manner as the Board may direct.

20. *Business at General Meetings*

(i) At the annual general meeting, the following business shall be transacted :—

(a) the consideration of the Balance Sheet of the Corporation and the Profit & Loss Account for the year ended 30th June, together with a report by the Board on the working of the Corporation during the year and Auditors' report on the said Balance Sheet and Accounts;

(b) the election of Directors under the Act, if any;

(c) the election of an Auditor under Section 34 of the Act.

No other business shall be transacted or discussed at any annual general meeting except with the consent of the Chairman and unless at least ten shareholders qualified to vote at such meeting have given five weeks' prior notice of such business to the Corporation, together with the draft resolution to be put to that meeting, for being included in the notice convening such meeting.

(ii) Except with the consent of the Chairman, no business shall be transacted or discussed at any special general meet-

ing other than the business for which such meeting has been convened.

21. *Quorum at General Meeting*

No business shall be transacted at any meeting of the shareholders, whether it is the annual general meeting or any special general meeting unless a quorum of 1/3rd of the shareholders or 5 shoareholders whichever is less entitled to vote at such meeting is present by duly authorised representatives or by proxy at the commencement of such meeting, and if within fifteen minutes from the time appointed for the meeting the quorum is not present, the Chairman may dissolve the meeting or adjourn it to the same day in the following week at the same time and place or to such other day and at such other time and place as the Chairman may determine. If at such adjourned meeting a quorum is not present, the shareholders who are present shall form a quorum provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than four months after the 30th of June, and if adjournment would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced one hour from the time appointed for the meeting and those shareholders who are present shall form a quorum.

22. *Chairman of General Meeting*

(i) The Chairman of the Board or in his absence a Director authorised by the Chairman in writing in this behalf or named by the Board, shall be the Chairman at the general meeting, and if no such authorisation is issued, the shareholders may elect any other Director present at the meeting to be the Chairman of the meeting.

(ii) The Chairman shall regular the procedure at all general meetings and in particular shall have full power to decide the order in which shareholders can address the meeting, to fix a time limit for speeches, to apply the closure when in his opinion any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

23. *Voting at General Meetings*

(i) At any general meeting a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded as hereunder, be decided on a show of hands. A declaration by the Chairman of a general meeting that on a show of hands, a resolution has been carried unanimously or by a particular majority or rejected thereat, shall be conclusive, and an entiry to that effect in the book containing the proceedings of the meeting shall be sufficient evidence of that fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of or against such resolution.

A pool may be demanded immediately before a resolution is put to vote, or immediately before the declaration of the result of voting on show of hands by :—

(a) at least five shareholders having the right to vote on the resolution and present through an authorised representative or by proxy, or;

(b) any shareholder or shareholders present through an authorised representative or by proxy having not less than one tenth of the total voting power in respect of the resoultion :—

Provided that a demand for a poll may be withdrawn at any time by the shareholders who made the demand.

Explanation :—'Total voting power' in regard to any matter relating to the Corporation means the total number of votes which may be cast in regard to that matter on a poll at a meeting of the Corporation, if all the shareholders having a right to vote on that matter are present at the meeting and cast their votes.

(ii) If a poll is demanded, it shall be taken either at once or at such time and place as the Chairman may direct and shall be by ballot, and the result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken. At such poll a vote shall be cast by a shareholder entitled to vote either by duly authorised representative or by proxy.

(iii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of a poll as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

24. *Minutes of General Meetings*

(i) The Corporation shall cause minutes of all proceedings of general meetings to be recorded in books kept for that purpose.

(ii) Any such minute, shall be signed by the Chairman of the meeting at which the proceedings took place or by the Chairman of the next succeeding meeting and shall thereafter be evidence of such proceedings recorded in the minute.

(iii) Where minutes of the proceedings of any general meeting have been kept in accorance with this provision, such meeting shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings taken place threat to have duly taken place.

CHAPTER IV

25. *Shareholders entitled to vote and their voting rights*

(i) Each shareholder who has been registered as a shareholder for a period of not less than six months prior to the date of a General Meeting shall, at such Meeting, have one vote for each share held by it provided that the requirement as to be registered as a shareholder for a period of not less than six months prior to the date of the General Meeting shall not apply to the Development Bank.

(ii) Every shareholder entitled to vote as aforesaid present by proxy or by a duly authorised representive shall have one vote for each share held by it. In case of voting by poll, the ballot papers shall be prepared as per proforma given in Schedules A & B.

26. *Voting by duly authorised representative*

(i) A shareholder being a body corporate may, by resolution of its Board of Directors or Executive Committee or Management Committee or by writing by the person exercising the powers of the Board or Executive Committee or Management Committee for the time being, authorise any of its officials or any other person to act as its representatives at any general meetings of the Corporation, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the shareholder, which he represents, as if he were a shareholder of the Corporation. The authorisation may be given in favour of two or more representatives in the alternative. A person acting in terms of the authorisation, given under this regulation, shall not be deemed to be a proxy. A representative appointed hereunder is, in these regulations, referred to as "a duly authorised representative".

(ii) No person may attend or vote at any meeting of the Corporation as a duly authorised representative unless a copy of the resolution appointing him as such representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed or his written authorisation in original, as the case may be, shall have been deposited at the Head Office of the Corporation not less than 4 clear days before the date fixed for the meeting. An appointment of a duly authorised representative shall after the deposit of a certified copy of the resolution or the written authorisation as aforesaid be irrevocable for the meeting for which it is made and shall revoke any proxy previously deposited for such shareholder.

(iii) No person may be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or any employee of the Corporation.

Explanation : For the purposes of Regulations 25 and 26, a body corporate shall include the Development Bank, nationalised banks and other scheduled banks, cooperative banks, insurance companies, investment trusts and other financial institutions which are incorporated or registered under a Central Act or any Act of the Legislature of a State or under any law for the time being in force in India.

27. *Proxies* : (i) No instrument of proxy shall be valid unless in the case of a body corporate it is executed under its common seal or signed by its attorney duly authorised in writing.

(ii) No proxy shall be valid unless it is made out specifically for the purpose of voting at the meeting at which it is to be used.

(iii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and unless it, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of that power or authority certified by a Notary Public is deposited at the Head Office of the Corporation not less than 4 clear days before the date fixed for the meeting.

(iv) No instrument of proxy shall be valid unless it is in the following form and dated :—

Industrial Finance Corporation of India.

We ..... of ..... being a ..... shareholder of the Industrial Finance Corporation of India holding shares Nos..... hereby appoint .... of ..... (or failing him..... of .....) as our proxy to vote for us and on our behalf at a meeting of the shareholders of the Corporation to be held at ..... on the ..... day of ..... and at any adjournment thereof.

Dated this ....., day of ....

(v) Subject to Regulation 26(ii) hereof, an instrument of proxy so deposited shall be irrevocable after the last day for the deposit of proxies unless on or before such day there shall have been deposited at the Head Office of the Corporation a notice in writing under the hand or Common Seal of the grantor specifically stating that such instrument is revoked in which case none of the proxy holders named in the instrument shall be entitled to attend or vote at any such meeting.

(vi) If two or more instruments of proxy in respect of the same shares shall be deposited and if on or before the last day for deposit of proxies all but one of such instruments of proxy shall not have been duly revoked in accordance with the procedure prescribed in clause (v) all such instruments of proxy shall be deemed invalid.

(vii) The due revocation of an instrument of proxy shall in no way prohibit the deposit of another valid instrument of proxy within the time limited by clause (iii).

28. *Election disputes* :—(i) if any dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected or otherwise asto the validity of the election of a Director, any person interested being a candidate or shareholder entitled to vote at such election may within 7 days of the date of the declaration of the result of such election give intimation in writing thereof to the Chairman of the Board and shall in doing so give full particulars of the grounds upon which he disputes the validity of such election. The Chairman shall forthwith, refer such dispute for the decision of a Committee consisting of himself, and two Directors elected pursuant to any of clauses (c), (d) and (e) of Section 10(1) of the Act, to be nominated by the Chairman in this behalf.

(ii) Such Committee shall make such enquiry at is deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election if it finds that the election was not a valid election it shall make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the Committee.

(iii) An order and direction of such Committee in pursuance of these Regulations shall be final and conclusive.

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

29. *Determination by lot of Directors to retire*:—The determination by lot prescribed by the first proviso to sub-section (2) of Section 11 of the Act shall be made at a meeting of the Board to be held not later than three months before the expiry of the period specified in the said proviso and the result shall be declared immediately thereafter.

30. *Issue of notice of election*:—Where at any general meeting an election is to be held, notice of the number of vacancies and of seats to be filled shall be included in the notice convening the meeting.

31. *List of each class of shareholder* :—(i) For the purpose of an election of Directors under any of clauses (c), (d) and (e) of Section 10(1) of the Act, a separate list of shareholders of each class shall be prepared at least four weeks before the date of the meeting at which the election is to be held and the shareholders of each class shall vote in the election of Directors representing their class only.

(ii) Each such list shall be available for purchase at a price of Rs. 5.00 for each copy on application at the Head Office of the Corporation.

32. *Nomination of candidates for Directorship* :—(i) No candidate for election as a Director of the Board shall be validly nominated unless :—

(a) he is, on the last date for receipt of nominations, not disqualified to be a Director under Section 12 of the Act;

(b) he is nominated by a shareholder of the class of shareholders in respect of which the election is to be held;

(c) the nomination is made by a resolution of the Board of Directors or the Executive Committee or Management Committee or by writing by the person exercising the powers of the Board or Executive Committee or Management Committee, for the time being, of the shareholding institution and a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, or the written nomination in original as the case may be, shall be deposited in the Head Office of the Corporation, and the same shall be deemed to be a nomination.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received at the Head Office of the Corporation not less than 14 clear days before the date fixed for the election.

33. *Publication of list of candidates for Directorship* :—On the first working day following the last date, fixed for the receipt of nomination papers, the Chairman shall take the same into consideration, and shall after such enquiry, if any, as he thinks necessary accept or reject the nomination of each candidate. The decision of the Chairman that a nomination is valid or invalid shall be final. If the number of valid nominations is equal to or less than the vacancies to be filled the candidates validly nominated shall be deemed to be elected at the meeting convened for the purpose and their names and addresses shall be published as so elected. If the number of valid nominations exceed the number of vacancies the names and addresses of candidates validly nominated shall be published in the Gazette of India, and in at least three newspapers in India. The result of the election of directors shall be duly published in the Gazette of India.

CHAPTER VI

MEETINGS OF THE BOARD

34. *Meeting of the Board* :—(i) A meeting of the Board shall be held at least once a quarter in each year and shall be convened by the Executive Director or the General Manager.

(ii) Any three Directors may require the Chairman to convene a meeting of the Board at any time and the Chairman shall, on receipt of the requisition, convene a meeting of the Board giving sufficient notice, provided that the date of the meeting so convened shall not be later than 15 days from the date of the receipt of the requisition.

(iii) Meetings of the Board shall be held at Delhi or at any other place in India.

(iv) Ordinarily not less than fifteen clear days' notice shall be given of each meeting of the Board and such notice shall be sent to every Director at his registered address. Should it be found necessary to convence an emergency meeting, sufficient notice shall be given to every Director who is at the time in India to enable him to attend.

(v) (a) No business shall be transacted at any meeting of the Board, whether it is a regular meeting or an emergency meeting, unless the quorum prescribed under section 17(2) of the I.F.C. Act, 1948, is present.

(v) (b) If a meeting of the Board is not held for want of quorum, then the meeting may be adjourned to such date and such time and place as the Chairman may decide.

(vi) No business other than that for which the meeting was convened shall be discussed at a meeting of the Board, except with the consent of the Chairman of the meeting and a majority of the Directors present unless one clear week's notice has been given of the same in writing to the Chairman.

(vii) A copy of the proceedings of each Board meeting shall be circulated as soon as possible thereafter for the information of the Directors and shall be signed by the Chairman.

35. *Resolution by Circulation* :—A resolution in writing circulated to all the Directors in India and approved and signed by a majority of such Directors who are then in India, one of whom shall be the Chairman shall be valid and effectual and shall be deemed to be the resolution passed by the Board on the date on which it is approved and signed by the last signatory to the resolution.

Provided that any resolution so passed shall be reported to the Board at its next meeting for information, indicating the dissent, if any, recorded by any director at the time of circulation.

36. *Disclosure of interest of a Director* :—Every Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the Corporation shall disclose the nature of his concern or interest to the Board or any Committee appointed by the Board, and shall withdraw from the meeting of the Board or Committee when any such contract, loan or arrangement is discussed.

Provided that in the case of any such contract, loan or arrangement proposed to be entered into with a Company or Society, it shall not be necessary for a Director to withdraw from the meeting when his concern or interest consists only in his holding either singly or together with any other Director or Directors of the Board in the aggregate not more than two percent of the paid-up share capital in such Company or Society.

37. Fees, for Directors' or members' meeting :—(i) Each Director or member (other than the Chairman and other than a salaried officer of Government, the Reserve Bank or the Development Bank or Nationalised Banks, Nationalised Insurance Companies, Statutory Corporations or Investment Trusts) shall receive a fee of Rs. 250.00 for each meeting of the Board and of a Committee appointed by the Corporation, attended by him.

(ii) In addition, each such Director or member shall be reimbursed his travelling expenses, if any, on such scale as may be prescribed by the Board from time to time.

(iii) In the case of a salaried Officer of the Central Government, the Reserve Bank or the Development Bank, or Nationalised Banks, or Nationalised Insurance Companies or Statutory Corporations or Investment Trusts, who is a Director or a member of any Committee of the Corporation, the travelling allowance paid to him by Government, the Reserve Bank or the Development Bank or Nationalised Banks, or Nationalised Insurance Companies, Statutory Corporations or Investment Trusts under their rules shall be reimbursed to the Government, the Reserve Bank or the Development Bank or Nationalised Banks, or Nationalised Insurance Companies or Statutory Corporations or Investment Trusts on demand.

38. *Resignation by a Director* :—A Director nominated or appointed by the Central Government or a Director nominated by the Development Bank may resign his office by presenting an application to the Central Government or the Development Bank as the case may be with copy to the Board, and his resignation shall take effect on receipt of the information by the Corporation of the Central Government or Development Bank having accepted his resignation. Notwithstanding the above, a Director appointed or nominated by the Central Government or Development Bank may be removed by the nominating authorities.

A Director who is elected pursuant to sub-clause (c), (d) or (e) of sub-section (1) of Section 10 of the Act may resign his office by presenting an application to the Board and on the acceptance of the resignation the office shall become vacant.

39. *Appointment of the Advisory Committees or other Committees* :—(i) The Board may appoint Advisory Commitees and other Committes for technical and other advice so as to assist the Corporation in the efficient discharge of its functions.

(ii) Meeting of any such Committee may be convened from time to time at the Head Office of the Corporation, or at such other place in India as may be specified in the notice convening the meeting. Sufficient notice shall be given for such meetings.

(iii) The Chairman of Executive Director shall be the Chairman of an Advisory Committee and of any other Committte appointed by the Board. If the Chairman or Executive Director is for any reason unable to attend a meeting of an Advisory Committee or of any other Committee, any Director authorised by the Chairman in this behalf shall preside at that meeting, and in default of such authorisation, the Committee may elect a Chairman to preside at their meeting.

(iv) A person who is a member of an Advisory Committee or of any other Committee and who is directly or indirectly interested in any contract loan or arrangement which comes before such Committee shall disclose the nature of his interest to such Committee and shall withdraw from the meeting of the Committee when such contract, loan or arrangement is discussed.

(v) Each member of an Advisory Committee or of any other Committee shall before entering upon his duties be required to sign a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Schedule to the Act.

CHAPTER-VIII

General

40. *Board to inform Central Government and the Development Bank regarding disqualifications* :—The Board shall forthwith inform the Central Government and the Development Bank if it comes to the notice of the Board that any Director has become subject to any disqualification under the Act.

41. *Acts of Directors valid notwithstanding subsequent discovery of disqualifications* :—All acts done at any meeting of the Board or an Advisory Committee or any other Committee appointed by the Corporation or by any person acting as Director of the Board or member of an Advisory Committee or any other Committee appointed by the Corporation shall, notwithstanding any subsequent discovery of any defect in the appointment of such persons or their disqualification at the time of appointment, be valid as if every such person had been duly appointed and duly qualified.

42. *Manner and form in which contracts blinding on the Corporation may be executed* :—(1) Contracts on behalf of the Corporation may be made as follows :—

(a) Any contract which is by law required to be in writing may be made on behalf of the corporation in writing signed by any person acting under its authority, express or implied, and may in the same manner be varied or discharged.

(b) Any contract, which would be valid if made by parol only, may be made by parol on behalf of the Corporation by any person acting under its authority, express or implied, and may in the same manner be varied or discharged.

(c) All contracts made according to the provisions of this Regulation shall be valid and binding on the Corporation.

43. *Accounts, Receipts and Documents of the Corporation by whom to be signed* :—The Chairman, the Executive Director, the General Managers, the Joint General Managers, the Deputy General Managers and the Assistant General Managers, and such other officers of the Corporation, as the Board may, by notification in the Official Gazette, authorise in this behalf, may sign, issue, execute, endorse and transfer promissory notes, bonds, stock receipts, stocks, doebentures, shares, securities and documents of title to goods standing in the name of or held by the Corporation and to draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments in the current and authorised business of the Corporation and to open bank accounts and operate thereon and to sign all other accounts, receipts deeds, agreements, contracts and documents connected with any business of the Corporation.

44. *Plaints, etc. by whom to be signed* :—Plaints, written statements, vakalatnamas, affidevits and all other documents connected with legal proceedings may be signed and veri-

fied on behalf of the Corporation by any officer empowered by or under Regulation 43 to sign documents for and on behalf of the Corporation or otherwise authorised generally o rspecifically by the Board to do so.

45. *Common Seal of the Corporation* :—(i) The Common Seal of the Corporation shall not be affixed to any instrument except pursuant to a resolution of the Board and except in the presence of at least one Director, who shall sign his name to the instrument in token of his presence, and such signing shall be independent of the signing of any person who may sign the instrument as witness. Unless so signed as aforesaid such instrument shall be of no validity.

(ii) The Common Seal of the Corporation shall be affixed to the share certificate issued by the Corporation and may be used for such other purposes as may be approved by the Board.

46. *Service of notice to shareholders* : (i) A notice may be given by the Corporation to a shareholder by sending it by post to his registered address.

(ii) Any notice required to be given by the Cororation shall be treated as having been sufficiently i ssued if an advertisement in that regard is got published in at least three newspapers circulating in India.

(iii) Any notice if issued by post shall be deemed to have been served or the third day of the day of posting and in proving such service it shall be sufficient to prove that the notice was properly addressed and posted.

(iv) The signature to any notice to be given by the Corporation may be written or printed.

47. *Accounts* :—The Board shall cause accounts to be kept of the assets and liabilities, receipts and expenditure of the Corporation.

48. *Returns* : (i) The Statement of assets and liabilities to be made under sub-section (1) of Section 35 of the Act, shall be in the form specified in Schedule 'C' annexed hereto and the annual statement of assets and liabilites and the Profit & Loss Account, in terms of sub-section (3) of Section 35 shall be in the forms prescribed by the Development Bank, from time to time.

(ii) The statements to be made under sub-section (2) of Section 35 of the Act showing the classificaion of the loans and investments to be made by the Corporation, agreements entered into by it shall be in the form specified in Schedule 'D' annexed hereto.

49. *Payment of dividend* : (i) Dividends shall be declared and paid, as soon as possible after the closing of the annual accounts.

(ii) No interest shall be payable by the Corporation on any dividend.

(iii) A dividend may be paid by cheque or warrant sent to the registered address of the shareholder entitled thereto and every cheque or warrant so sent shall be made payable to the order of the shareholder to whom it is sent.

(iv) The Corporation shall not make payment of a dividend to any person not entitled thereto under the Act or these Regulations but shall retain the same and make payment thereof to the person who next becomes registered in respect of the share on which such dividend is payable.

Explanation : Dividend shall be payable only to those shareholders whose names appear in the Register of Shareholders of the Corporation at the annual closing of the said Registerd.

CHAPTER VIII

Election of Auditor

50. *Election of Auditor* : The election of an auditor under sub-section (1) of Section 34 of the Act by the parties mentioned in sub-section (3) of Section 4 of the Act shall be in the manner hereinafter provided namely :—

(i) the shareholders of the Corporation other than the Development Bank shall elect an auditor from out of the panel of auditors approved by the Central Govt./Reserve Bank who shall hold office for one year.

Provided that such elected auditor shall be required to continue in office until the election of his successor at the next Annual General Meeting or Special General Meeting as the case may be.

(ii) a retiring elected auditor shall be eligible for re-election.

(iii) the nomination of an auditor shall be in writing signed by a duly constituted attorney of the shareholder.

Provided that a nomination may be made by a Resolution of the Board of Directors or Executive Committee or Management Committee or by a writting by the person exercising the powers of the Board for the time being, of the shareholding institution and a copy of the Resolution certified to be true by the Chairman of the meeting, or the written nomination in original as the case may be, shall be deposited in the Head Officer of the Corporation and the same shall be deemed to be a nomination.

(iv) No nomination of an auditor shall be valid unless he is duly qualified to act as an auditor of Companies under sub-section (1) of Section 226 of the Companies Act, 1956 and unless the nomination is received at the Head Office of the Corporation not less than 14 clear days before the date fixed for the election together with a letter from the auditor nominated that he will accept the office, if elected, on such remuneration as the Development Bank may fix.

(v) If the number of valid nominations exceeds one, the names and the addresses of candidates validly nominated shall be published in the Gazette of India and in at least three newspapers in India. Thereafter the result of the election of auditors shall be duly published in the Gazette of India.

(vi) For the purpose of the election of the auditor, a list of shareholders shall be prepared at least four weeks before the date of the meeting at which the election is to be held. Such list shall be available to the shareholders at the Head Office of the Corporation at a price of Rs. 5.00 per copy.

51. *Issue of notice of election.*—Where at any general meeting an election of an auditor is to be held, a notice regarding the election of the auditor shall be included in the notice convening the meeting.

52. *Certain provisions to apply to election of auditor.*—Except as otherwise provided in this Chapter, all the provisions in these Regulations relating to the election of Directors shall, so far as may be, apply to the election of an auditor under this Chapter.

53. *Repeal.*—The General Regulations as modified upto 24th September, 1976 are hereby repealed.

Nothing in these Regulations shall affect any order or resolution passed, directions given, proceedings taken, instruments executed or issued, documents signed or act or thing done under or in pursuance of the existing General Regulations as amended from time to time but any such order, resolution, directions, proceedings, instruments, documents, act or thing shall if in force before the adoption of these Regulations continue to be in force as if the same could have been made, directed, passed, given, taken, executed, issued, signed or done under or in pursuance of these

SCHEDULE 'A'

No. according to the list of shareholders

Serial No. ————

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi

Voting paper for election of one Director under the Category ———————— at the ———————— Annual General Meeting/Special General Meeting of the Corporation on the————————.

Candidates

1.	
2.	
3.	

Please put one cross (X) against the name of the candidate for whom you desire to vote.

This voting paper will be invalid if 'X' is erased or smudged.

Signature :————————

Name :————————

Representing :————————

————————

No. of shares :

SCHEDULE 'B'

No. according to the list of shareholders

Serial No.————————

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi

Voting paper for election of an Auditor by the shareholders representing scheduled banks, insurance companies, investment trusts and other like financial institutions and the co-operative banks mentioned in sub-section (3) of Section 4 of the IFC Act at the————————Annual General Meeting/Special General Meeting of the Corporation on the————————

1.	
2.	

Please put one cross 'X' against the name of the Auditor for whom you desire to vote.

This voting paper will be invalid if 'X' is erased or smudged.

Signature :————————

Name :————————

Representing :————————

————————

No. of shares :

SCHEDULE 'C'

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA, NEW DELHI

Statement of Assets & Liabilities as at the close of———————— pursuant to Section 35(1) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (XV of 1948)

(Rs. in lakhs)

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
(1) Share Capital			(1) Cash in hand and with Bank		
—Authorised . . .			(2) Investments in industrial concerns		
—Issued & Subscribed . .			—Stock, shares, bonds & debentures under Sec. 23 (d) .		
—Paid-up			—Stock, shares, bonds & debentures under Sec. 23(f) .		
(2) Reserves & Reserves Fund			—Shares & debentures under Sec. 23(i) . . .		
—Special Reserve under Section 23 A (1) . . .			(3) Investments in other Financial-Institutions		
—Other Reserves and profit .			—Subscription to initial capital of UTI and shares of other notified financial institutions under Section 20. .		
—Specific Grant from Government of India in terms of Agreement with KFW .			(4) Loans to assisted concerns .		
(3) Long-term Borrowings			(5) Premises & Equipments .		
—Bonds in Rupee Currency			(6) Customers' Liability for Acceptances.		
—Bonds in Foreign Currency			(7) Other assets including excess of expenditure over revenue		
—Borrowings from RBI/IDBI under Sec. 21(3)(a) & (b)/21(4) of IFC Act, 1948 .					
—Borrowings from Govt. of India Under Section 21 (4) of IMC Act, 1948 .					
—Borrowings from Govt. of India in terms of agreement with KFW. . . .					
—Borrowings from other authorities and Institutions in India					

(Rs. in lakhs)

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
—Borrowings from Foreign Credit Institutions in foreign Currencies . .					
(4) Current Liabilities & Provisions					
A. Current Liabilities					
—Sundry Creditors . .					
—Interest accrued but not due on borrowings . . .					
—Deposits/U/S 22 of the IFC Act					
—Advance Receipts . .					
—Other Liabilities including excess of revenue over expenditure . . .					
B. Provisions					
(i) Provision for taxation .					
(ii) Other provisions for amounts kept in suspense A/c like difference in Exchange Suspense, interest Suspense, etc. . . .					
(5) Liability on Acceptances .					
(6) Earmarked Funds . .					

SCHEDULE 'D'

Quarterly

Classification of the loans and investments made by the Industrial Finance Corporation of India, the loans guaranteed by it and the underwriting arrangements entered into by it as on———————————.

I. INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF LOANS

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Type of Industry	No. of concerns	Amount sanctioned		
			Rupee loan	Loan in other currencies (equivalent in Rs.)	Amount outstanding

II. STATE-WISE CLASSIFICATION OF LOANS

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	State or Territory	No. of concerns	Amount sanctioned		
			Rupees	Other currencies (equivalent in Rs.)	Amount outstanding

III. INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF INVESTMENTS UNDER SECTION 23(f)
(DIRECT SUBSCRIPTION OR PURCHASE)

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Type of investment	Type of industry	No. of concerns	Face value	Paid-up value	Book value	Market value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. STOCKS :							
2. SHARES :							
(a) Ordinary							
(b) Preference							

IV. INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF INVESTMENTS UNDER SECTION 23(d)
(ACQUIRED IN FULFILMENT OF UNDERWRITING OBLIGATIONS)

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Type of investment	Type of industry	No. of concerns	Face value	Paid-up value	Book value	Market value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. STOCKS :							
2. SHARES :							
(a) Ordinary . .							
(b) Preference . .							
3. BONDS/DEBENTURES							
Maturing :							
(a) Within 1 year .							
(b) After 1 year but within 5 years .							
(c) After 5 years but within 10 years .							
(d) After 10 years but within 15 years .							
(e) After 15 years but within 20 years .							
(f) After 20 years .							

V. INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF DEBENTURES SUBSCRIBED OR PURCHASED
UNDER SECTION 23 (i)

(Rupees in lakhs)

Sl. No.	Maturity period	Types of industry	No. of concerns	Face value	Paid-up value	Book value	Market valuo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(a) Within 1 year . .							
(b) After 1 year but within 5 years . .							
(c) After 5 years but within 10 years .							
(d) After 10 years but within 15 years .							
(e) After 15 years but within 20 years .							
(f) After 20 years . .							

VI. INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF INVESTMENTS (OTHER THAN DEBENTURES)
UNDER SECTION 23 (i) (STOCKS OR SHARES ACQUIRED BY
CONVERSION OF LOANS OR DEBENTURES)

(Rupees in lakhs)

Sl. No.	Type of investment	Type of Industry	No. of concerns	Face value	Paid-up value	Book value	Market value
1. STOCKS :							
2. SHARES :							
(a) Ordinary . .							
(b) Preference . .							

VII. INVESTMENT UNDER SECTION 20
(In Government Securities)

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Nature of investment	Face value	Book value	Market value
1.	Government of India Treasury Bills			
2.	Treasury Bills of State Governments			
3.	Government of India securities maturing :—			
	(a) Within one year			
	(b) After one year but within 5 years			
	(c) After 5 years			
4.	Securities of State Governments maturing :—			
	(a) Within one year			
	(b) After one year but within 5 years			
	(c) After 5 years			
5.				
6.				

VIII. INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF LOANS GUARANTEED BY THE CORPORATION UNDER SECTION 23(a)(i) (IN RESPECT OF THE LOANS FLOATED IN PUBLIC MARKET)

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Type of Industry	No. of concerns	Amount

IX. INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF LOANS GUARANTEED BY THE CORPORATION UNDER SECTION 23(a) (ii) (IN RESPECT OF LOANS MADE BY SCHEDULED BANKS, STATE CO-OPERATIVE BANKS AND OTHER NOTIFIED FINANCIAL INSTITUTIONS)

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Type of Industry	No. of concerns	Amount

X. INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF DEFERRED PAYMENTS GUARANTEED UNDER SECTION 23(b)

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Type of Industry	No. of concerns	Amount

XI. INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF LOANS GUARANTEED BY THE CORPORATION UNDER SECTION 23(c)

(Loans from or credit arrangements with foreign banks or financial institutions)

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Type of industry	No. of concerns	Amount	
			In foreign currency	Rupee equivalent

XII. INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF UNDERWRITING ARRANGEMENTS ENTERED INTO BY THE CORPORATION UNDER SECTION 23 (d)

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Nature of Security	Type of industry	No. of concerns	Amount
1.	STOCKS :			
2.	SHARES :			
	(a) Ordinary			
	(b) Preference			
3.	BONDS/DEBENTURES			
	Maturing :—			
	Within 10 years			
	After 10 years but within 15 years			
	After 15 years but within 20 years			
	After 20 years			

Half-yearly

I. CLASSIFICATION OF LOANS AND ADVANCES ACCORDING TO THE PERIODS FOR WHICH THEY HAVE BEEN SANCTIONED

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Period for which loans sanctioned	Loans sanctioned cumulative—upto the date of the last half-yearly return		Cancellations during the half-year		Loans sanctioned during the half-year ended the date of the return		Loans sanctioned upto the end of the half-year	
		No. of loans	Amount	No. of loans	Amount	No. of loans	Amount	No. of loans	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Less than 3 years								
2.	3 years and over but less than 7 years								
3.	7 years and over but not exceeding 10 years								
4.	Over 10 years but not exceeding 15 years								
5.	Over 15 years								
6.	Loans in respect of which the period of repayment is yet to be finalised								
	TOTAL								

Half-yearly

II. Distribution of bonds/debentures and stock/shares acquired by way of underwriting according to period of retention from the date of acquisition (including the right shares, if any, taken up in respect of such shares) and outstanding.

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Type of security	Upto one year	Above 1 year but not exceeding 3 years	Above 3 years but not exceeding 5 years	Above 5 years but not exceeding 7 years	Above 7 years	Total	Remarks
(a)	Bonds/Debentures							
(b)	Preference shares							
(c)	Ordinary shares							
(d)	Stock							

NOTES : 1. The right shares should be classified according to the period of retention of the original shares.

. Book value of the bonds, etc., should be furnished with the present market value shown separately in brackets.

Annual

I. Assistance by way of loans only sanctioned by Industrial Finance Corporation of India (IFCI) in participation with only one institution during the year ended the——————————

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of Institution	No. of operations	Total amount sanctioned	IFCI's share			
				Sanctioned	Disbursements	Total disbursements upto	(Cumulative)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1.	Industrial Development Bank of India						
2.	Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd.						
3.	Life Insurance Corpn. of India						
4.	General Insurance Corpn. of India						
5.	Unit Trust of India						
6.	State Financial and Industrial Development Corporations						
7.	Banks						
8.	Others (specify)						

NOTES : 1. Total loans disbursed and amount underwritten need only be shown. The first return should show the cumulative figures and subsequent ones the figures relating to the year of return

2. Disbursements during the year may include part disbursements to certain concerns for which disbursements had already been made in the earlier years as well.

Annual

II. Assistance by the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) in participation with other institutions during the year ended—————— (where more that one institution other than IFCI are involved)

STATEMENT A—LOANS

(Rs. in lakhs)

Sl No.	No. of operations	Total amount sanctioned	IFCI's share			Extent of participation of other Institutions							
			Sanctions	Disbursements	Total disbursements upto	IDBI	ICIC	LIC	GIC	UTI	SFCS & SIDCS	Banks	Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Annual

II. Assistance by Industrial Finance Corporation of India (IFCI) in participation with other institutions during the year ended the.....

STATEMENT B—UNDERWRITINGS

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	No. of concerns	Total amount underwritten	Participating Institutihns								
			IFCI	IDBI	ICICI	LIC	GIC	UTI	SFCS & SIDCS	Banks	Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Annual

III. Particulars of financial assistance by the Industrial Finance Corporation of India in the form of loans and subscriptions to purchase of debentures, shares etc. during the year ended the————————

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Particulars of loans	Name of concerns	Amount of					
			Foreign currency loans			Subscriptions to		
			Rupee loans	In foreign currency	Rupee equivalent	Ordinary shares	Pref. shares	Bonds/ Debentures
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(a)	Only rupee loans . .							
(b)	Only foreign currency loans							
(c)	Both rupee and foreign currency loans							
(d)	Both loans (rupee and foreign currency and subscriptions to purchase of bonds/debentures/ shares/stock . . .							

NOTES : 1. Total loans disbursed and debentures/shares etc. taken up by the Corporation need only be shown.

2. The first return should show the cumulative figures and subsequent ones the figures relating to the year of the return.

Annual

IV. Statewise distribution of subscription to purchase of bonds/debentures, prefcrence shares and ordinary shares and stock of Industrial concerns made by Industrial Finance Corporation of India during the year ended the————————

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	State or Territory	No. of concerns	Type of assistance		
			Subscription to* /Purchase of		
			Bonds/Debentures	Preference Shares	Ordinary Shares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*Inclusive of bonds, shares etc. acquired through underwriting operations.

NOTES : 1. Total shares/debentures etc. taken up by the Corporation need be shown.

2. The first return should show the cumulative figures and subsequent ones the figures relating to the year of the return.

ANNEXURE

Industrial Finance Corporation Officer (Employees) Acceptance of employment in the Private Sector Concerns After Retirement Regulations, 1978.

In exercise of the powers conferred by Section 43 (1), read with clause (k) of sub-section (2) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (Act 15 of 1948), the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India with the previous approval of the Industrial Development Bank of India (IDBI) hereby make the following Regulations, namely :—

1. *Short Title & Commencement*

1. These Regulations may be called Industrial Finance Corporation Officer (Employees) Acceptance of Employment in Private Sector Concerns After Retirement Regulations, 1978.

II. These Regulations shall come into force on the 9th August, 1978.

2. *Applicability*

These Regulations shall apply to all Senior and Junior officers of the Corporation, as defined under Regulation 7 of the Industrial Finance Corporation of India (Staff) Regulations, 1974, except—

(i) those who are in casual employment,

(ii) Officers on contract.

3. *Definitions*

In these Regulations, unless the context otherwise requires—

(a) Senior and Junior Officers mean those persons who have held supervisory, administrative or managerial

posts in the Corporation or any other person who is appointed and/or functioning as an officer of the Corporation at the time of his retirement by whatever designation called,

(b) "Corporation" means the Industrial Finance Corporation of India established under the I.F.C. Act, 1948.

(c) "Board" means the Board of Directors of the Corporation.

(d) "Competent Authority" means the High Power Committee constituted for the purpose by the Board of Directors of the Corporation.

(e) "Employment in Private Concern" means an employment in any capacity including that of an Agent under a Company, Cooperative Society, Firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and also includes a directorship or such a company and partnership of such firm but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially held or controlled by Government.

4. If a senior or a Junior officer wishes to accept employment in a private concern at any time within two years from the date of his retirement, from the service of the Corporation, he should obtain the previous sanction of the Competent Authority in the Corporation empowered in his behalf.

5. The commercial employment of all officers retired from the service of the Corporation will be regulated by a High Power Committee constituted of General Manager, Joint General Manager (In-charge of Administration Department) and the Legal Adviser.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, 1988